खण्ड-226, अंक-3
गुरूवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1883
(24 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
श्री गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल , श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दौलतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन शर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजाबसीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल राकसेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार , २४ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रानीपुर, जिला सहारनपुर में हैवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट लगाने के लिये सर्वेक्षण

**१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली के भारी यन्त्रों के ४५ करोड़ की लागत से बनने वाले कारखाने के बारे में राज्य सरकार को केन्द्र से आश्वासन मिल गया है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री मलखानसिंह)—जी नहीं।

**२—श्री झारखण्डेराय—यदि हां, तो इसके निर्माण-कार्य के प्रारम्भ होने की कब तक आशा है ?

श्री मलखानसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखण्डेराय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इन बिजली के कारखानों के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में कोई बातचीत हुई थी, विचार-विनिमय हुआ था और क्या केवल अन्तिम निर्णय होना बाकी है या क्या पोजीशन है ?

श्री मलखानसिंह––थर्ड फाइव ईयर प्लान के पीरियड में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि वह तीन हैवी एलेक्ट्रिकल प्लान्ट्स कंट्री में लगाने जा रहे हैं। इधर से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन जगहों के लिये सजेशन दिया––रानीपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, हर्रावाला, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में और मुरादाबाद––ये तीन स्थान उसने बताये। तो टेक्निकल कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमारे आफिसर्स ने जाकर इन जगहों को देखा और रानीपुर को और जगहों के मुकाबिले में प्रेफर किया। इसलिये इस सम्बन्ध में सर्वे किया जा रहा है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से अभी तक कोई इन्फार्मेशन नहीं आयी है। हम नहीं कह सकते कि कब उनकी रेकमेंडेशन आयेगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी तक कोई फाइनल डेसीजन नहीं लिया है, इसलिये एलोकेशन आफ प्लान्ट का सवाल उठता नहीं।

श्री झारखण्डेराय––क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्लान्ट के लगाने में राज्य सरकार को किसी प्रकार का कोई व्यय भार वहन करना पड़ेगा या इसका पूरा व्यय भार दिल्ली सरकार वहन करेगी?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––हां, शायद जमीन हमें उपलब्ध करके उन्हें देनी पड़ेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां लगेगा?

श्री मलखानसिंह––मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि रानीपुर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसको पसन्द किया गया है और सर्वे वगैरह हो रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का अभी तक कोई फाईनल डेसीजन नहीं हुआ है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)––क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसका फैसला कब तक हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अब होने ही वाला है।

श्री झारखण्डेराय––क्या सरकार बतायेगी कि इस बात का अन्तिम निर्णय हो चुका है कि यू० पी० में ही लगेगा, लेकिन कहां लगेगा, कब लगेगा, यह अभी विचाराधीन है या यू० पी० में लगेगा या और कहीं लगेगा किसी दूसरे प्रान्त में, यह भी विचाराधीन है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––कभी ज्यादा बात करने से काम बिगड़ जाता है। इसलिये माननीय सदस्य को थोड़ा सन्तोष रखना चाहिये। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा खुलासा बात नहीं करना चाहिये।

गोरखपुर के समीप खाद का कारखाना स्थापित करने की योजना

**३––श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)––क्या मुख्य मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि गोरखपुर में बनने वाले खाद के कारखाने का कार्य किस स्थिति में है और उससे उत्पादन कब तक होने का अनुमान है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी गोरखपुर के समीप कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान का सवक्षण किया गया है और पानी, मिट्टी आदि के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं। स्थान के विषय में भारत सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होते ही भूमि के अर्जन का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

आशा है कि सन् १९६४ के अन्त तक कारखाना स्थापित होकर उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा।

**४—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त उत्पादन की खपत के क्षेत्र कौन होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का प्रवर्त्तन

**५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जोत सीमा अधिनियम को अब तक लागू न करने का क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, ३ जनवरी, १९६१ से लागू हो चुका है और उसकी धारा ९ में उल्लिखित सामान्य नोटिस समस्त नियत प्राधिकारियों द्वारा १५, २२ और २९ जुलाई, १९६१ के सरकारी गजटों में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

मोहनलालगंज तहसील में फाइलेरिया का कथित प्रकोप

**६—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ जिले के देहाती क्षेत्र में और विशेष तौर से तहसील मोहनलालगंज के मीरखनगर निमोहा आदि कई गांवों में फाइलेरिया बीमारी में सैकड़ों आदमी लगभग पिछले दो महीनों से ग्रस्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार को सूचना नहीं दी गई है या सरकार ने स्वयं सूचना प्राप्त करने की कोशिश की और उसको इस प्रकार की सूचना नहीं मिली ?

श्री धर्मसिंह—जो हमारे पास साधन हैं—न डाइरेक्टोरेट में इत्तला है, न हेल्थ आफिसर को कोई इत्तला है और न सरकार को इत्तला है और सूचना दी भी नहीं गई है सरकार को।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मन्त्री जी मेरा जो यह प्रश्न है उस प्रश्न को सूचना नहीं मानते हैं और यदि मानते हैं तो प्रश्न होने के बाद में भी कोई सूचना क्यों नहीं प्राप्त की गई ?

श्री धर्मसिंह—यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन है और सूचना प्राप्त करने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन बाद में इसमें सर्वे इत्यादि कराने का इरादा है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—इस रोग की भयानकता को देखते हुए क्या राज्य सरकार मलेरिया की तरह से फाइलेरिया उन्मूलन की कोई योजना बना रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कई जिलों में इस तरह की योजना चल रही है।

देवरिया जिले में चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

**७—श्री रामायणराय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देवरिया जिले के गन्ना काश्तकारों का कितना रुपया मिलों पर बकाया है और उसे दिलाने के लिये वह क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---अमुक जिले के गन्ना काश्तकार का विभिन्न चीनी मिलों पर दिनांक ३१ जुलाई, १९६१ तक कुल ९५.८४ लाख रुपया बकाया था, जिसकी वसूली के लिये कतिपय चीनी मिलों को छोड़कर शेष के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं और उनसे गन्ने की कीमत को तुरन्त अदा करने के लिये कहा जा चुका है। जिलाधीशों को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री रामायणराय---क्या मन्त्री महोदय, जिन मिलों के ऊपर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी न करने का या उनको छोड़ देने की बात बतलाई, उनके नाम बतलायेंगे ?

श्री मलखानसिंह---जिन चीनी मिलों के ऊपर ५ लाख से ऊपर का बकाया है उन सब पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। केवल तीन ऐसे हैं, पडरौना जिसके ऊपर १ लाख ६२ हजार, सासामूसा जिसके ऊपर १ लाख ८ हजार और एक गौरीबाजार जिसके ऊपर २ लाख ६५ हजार बाकी हैं उनको जारी नहीं किया गया है। बाकी सब को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कितनी फैक्टरियों ने अभी तक सारी रकम अदा कर दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यहां तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितनों ने अदा कर दिया है। पहले मुझको ५ करोड़ ६०-७० लाख बतलाया था जो अभी तक गन्ने की कीमत विभिन्न मिलों के ऊपर बाकी है, उसमें जो आखिरी सूचना मैंने कल केन कमिश्नर से प्राप्त करने की कोशिश की उससे पता चलता है कि करीब ३ करोड़ ६०, ७० लाख अभी देना बाकी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये गये ? अगर हां, तो उसके बाद उसके तहत में मिलों पर कार्यवाही कौन-कौन-सी हुई। कुर्की या वारन्ट गिरफ्तारी किनकी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह विषय कई मर्तबा मैं यहां पर बता चुका हूं और बार-बार इस बात को दोहराया जा चुका है। मुझे सदन का समय उस विषय का उत्तर देने में लेना नहीं है। मैं कह चुका हूं कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं और जिलाधीश को अधिकार दिया गया है और वह जब-जब जहां मौका पड़ता है उस रिकवरी सर्टिफिकेट के तहत में उनसे पैसा इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही जिस मिल को रिकवरी सर्टिफिकेट देते हैं, जिलाधीश को यह आदेश दिया है कि वह ऐसी स्थिति पैदा न कर दें कि जिससे काम भी न बने और पैसा भी जमा न हो और खामख्वाह के लिये एक ऐसा वातावरण हमारे बीच में पैदा हो जाय जिससे न किसान का भला हो और न मिल का ही भला हो। तो जिलाधीश को हमने एक अधिकार दे रखा है रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के बाद भी कि जैसी व्यवस्था हो उसको सोच-समझ कर इन तमाम रिकवरी सर्टिफिकेट का जो रुपया इकट्ठा करना है उनके विषय में अपनी अपनी जगह पर वह निर्णय लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिकवरी सर्टिफिकेट जब ईशू किये गये तो उनमें से एग्जिक्यूशन के द्वारा कितना धन वसूल हुआ ?

श्री मलखानसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन मिल मालिकों पर रुपया बाकी है उसके लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आइन्दा सीजन में उन मिल मालिकों को मौका न दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार इस प्रकार की अदूरदर्शिता करने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें किसानों का हित नहीं है।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—यह जो किसानों का रुपया बकाया है उसकी अवधि समाप्त होने के बाद क्या सरकार उन रुपयों का सूद भी काश्तकारों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूद की व्यवस्था तो अधिनियम के रूल्स में है और वह तो मिलता ही है लेकिन यह बतला दूं कि तजुर्बा यह बतलाता है कि सूद जो मिल से लिया जाता है अधिकांश में वह रुपया केन डेवलपमेन्ट कौन्सिल ले लेती है और उस सूद के रुपये को अपने कार्यों में व्यय करती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो जिलाधीशों को आदेश दिये हैं उनका किसी जिलाधीश ने पालन किया और अगर किया तो वह किस तरह से और किस जिलाधीश ने ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी मैंने बतलाया कि ५ करोड़ ७० लाख रुपया बकाया था और अब ३ करोड़ ७० या ६० लाख रह गया है। तो रिकवरी सर्टिफिकेट्स एक जरिया होता है और एक डर होता है मिल के ऊपर जिसके द्वारा जिलाधीश धीरे-धीरे उस रकम को उससे इकट्ठा करवाता है, जिसके इकट्ठा करने के लिये उस रिकवरी सर्टिफिकेट्स द्वारा उसे आदेश रहते हैं।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि प्रदेश के ४८ जिलों में बाढ़ आयी हुई है और गन्ना उत्पादन करने वाले जिलों में तो जरूर आयी है, इसलिये जिन जिलों में बाढ़ है वहां के किसानों को तो जरूर रुपया दिलाने का प्रयत्न वे करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हम बराबर इस प्रयत्न में लगे हुए हैं और बराबर जिलाधीशों और मिल मालिकों को कह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों उनके पास पैसा आता जाय, पहला कार्य वह यह करें कि जो गन्ने की कीमत उन पर बकाया है उसे अदा कर दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार ने जो आदेश जिलाधीशों को भेजे हैं उनमें क्या यह भी कहा गया है कि जरा बहुत ही एहतियात से कार्यवाही करें, ताकि न तो मिल पर संकट आये और न किसानों पर आफत आये ? तो क्या आदेश में यह भी है कि चीनी का स्टाक जो मिल मालिकों के पास है उसकी कुर्की करना या मिल मालिकों पर वारंट जारी करना या उन को जेल ले जाने के पूर्व उसे सरकार से इजाजत लेना जरूरी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक शक्कर के स्टाक की बात है यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वह आलरेडी मार्गेज-सा है बैंक्स के पास, क्योंकि उन्होंने उस पर रुपया दे रखा है। तो उसकी फिर से बिक्री करने का प्रश्न नहीं उठता। कल भी मैंने इसी विषय में सदन को बतलाया था कि केन्द्रीय सरकार कोटा सिस्टम कायम किये हुए है। यदि किसी मिल की चीनी हम कुर्क भी कर लें तो बेंच नहीं सकते, क्योंकि बिना केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के न तो उसकी बिक्री हो सकती है और न उसका वितरण हो सकता है। तो इस कार्य में, जैसा अभी माननीय प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं बतलाया, हमने जिलाधीशों को कुछ सहूलियत का रास्ता बरतने के लिये कहा है जिससे कि उन अधिकारों के तहत में जो कि उन्हें प्राप्त हैं वह अधिक से अधिक शीघ्रता से उस रुपये को गन्ना उत्पादक को दिलवा दें, जोकि उसका केन की कीमत का निकलता है या बाकी रह गया है।

जलकल योजना बढ़ाने वाली नगरपालिकाएं तथा इलाहाबाद नगर महापालिका को जल-कल योजना बढ़ाने के लिये ऋण

८—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सरकार ने किन-किन नगरपालिकाओं को वाटरवर्क्स को बढ़ाने की योजना हाल में भेजी है और वह क्या है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—नगरपालिकाओं को वाटरवर्क्स बढ़ाने की योजना शासन द्वारा नहीं भेजी जाती है, बल्कि नगरपालिकाएं स्वयं उपयुक्त फीस देकर इस प्रकार की योजनाएं मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से बनवाती हैं। पिछले वर्षों में जिन नगरपालिकाओं ने वाटरवर्क्स बढ़ाने की योजनाएं बनाई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२१ पर)

*९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका की जल-कल योजना को बढ़ाने हेतु सरकार ने अब तक किस-किस रूप से और कौन-कौन से प्रयास किये हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी— इलाहाबाद महापालिका की जल-कल योजना को बढ़ाने हेतु सरकार ने महापालिका को निम्न प्रकार ऋण के रूप में सहायता दी है—

		रु०
१९५४–५५	.. ..	४,००,०००
१९५५–५६	.. ..	११,००,०००
१९५६–५७	.. ..	२,५०,०००
१९५७–५८	.. ..	९,००,०००
१९५९–६०	.. ..	२,००,०००
१९६०–६१	.. ..	३,००,०००
	कुल ..	३१,५०,०००

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उक्त योजना के लिये महापालिका को ४,४७,००० रु० ऋण के रूप में देने का विचार है, जिसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६१–६२) में ८,५०,००० रु० का ऋण देने का प्रस्ताव है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४–५५ में जब ४ लाख रुपया दिया जाता था और अब जब कि ५० लाख रुपया ऋण के रूप में दिया गया है तो उस समय पानी की कितनी क्षमता थी और इस समय कितनी है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका की तरफ से भी वाटर वर्क्स को बढ़ाने की कोई योजना भेजी गयी है, अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—वहां से अब तक कोई योजना नहीं आई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—हल्द्वानी नगरपालिका ने जो वहां पेयजल की भारी कमी है उसको देखते हुए वहां के लिये जो वाटर वर्क्स को बढ़ाने की योजना भेजी है उसका इसमें नाम क्यों नहीं है, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो जांच करा लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगरपालिका को जो आइन्दा ऋण दिया जायेगा वह नकद रुपयों में दिया जायेगा या पुराने ऋणों में काट दिया जायेगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जिस तरह से मांग की जायेगी उस तरह से दिया जायेगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बढ़ौतनगर वाटर वक्स को स्कीम पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है और सब यंत्र लग भी चुके हैं, किन्तु फिर भी अभी तक उसको बाकायदा चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इसको चालू करने की कोशिश की जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गौरा बरहज नगरपालिका, जिला देवरिया, की जो वाटर वर्क्स की योजना थी और जिसके अन्तर्गत वहां पर एक ट्यूबवेल भी धंसाया गया था, उस पर अब क्या हो रहा है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ऋण जो दिया गया है यह नगर महापालिका के पहले जब नगरपालिका ही थी उसके लिये दिया गया, या बाद को जब उसका क्षेत्र बढ़ गया और वह नगर महापालिका बन गयी, उसके लिये दिया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—यह नगरपालिका के ऊपर छोड़ दिया गया है, जहां चाहेगी इस्तेमाल करेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी के पास आगरा महापालिका से शिकायत आयी है कि जमुना में पर्याप्त पेय-जल न होने से आगरा वाटरवर्क्स काम नहीं कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है, तो भी मंत्री जी को अगर मालूम हो तो बता दें।

श्री गनेशीलाल चौधरी—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नैनीताल में कथित सर्वदलीय मीटिंग

*१—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि माह जून व जुलाई, सन् ६१ में नैतीताल में जो सर्वदलीय मीटिंग प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों (कुमायूं व गढ़वाल डिवीजन) को हिमांचल प्रदेश में मिलाने के संबंध में हुई थी, उसकी सूचना सरकार को है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—नैनीताल में माह जून व जुलाई सन् १९६१ में किसी सर्वदलीय मीटिंग होने की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि ३ जुलाई, १९६१ को म्युनिसिपल हाल, नैनीताल में एक मीटिंग हुई, जिसमें नेता, स्वतंत्र पार्टी, माननीय पालीवाल जी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर, माननीय नारायणदत्त तिवारी, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर माननीय रामस्वरूप वर्मा, जनसंघ पार्टी के डिप्टी लीडर, माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट और कांग्रेस के श्यामलाल वर्मा के नैनीताल में भाषण हुए और वहां उन्होंने ऐसी मांग प्रस्तुत की ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुझे सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को सूचना है कि ३ जुलाई को कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, बल्कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का स्वागत, नैनीताल के लोगों की तरफ से किया गया और इसका एकांगी विरोध किया गया कि कोई इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इसकी भी सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यहां पहाड़ी क्षेत्रों के जो यू० पी० के लोग हैं उनका बहुत ही भारी बहुमत वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होना चाहता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे ऊपर तो यह इम्प्रेशन है कि पहाड़ के लोग सब हमारे साथ रहना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—कोई मीटिंग नहीं हुई, यह किस जरिये से सरकार को मालूम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चूंकि कोई खबर नहीं, "No news is a good news"।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जो दावत दी गयी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को, उसमें कुछ सदस्यों ने इस बात के सम्बन्ध में भाषण दिये कि हिमांचल प्रदेश में पहाड़ी जिले ले लिये जायं ?

श्री अध्यक्ष—जब मालूम ही नहीं उनको मीटिंग के बारे में तो वह क्या बतायेंगे ? आप नारायणदत्त जी से पूछिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नैनीताल नगरपालिका के अध्यक्ष ने जो स्वागत किया था लोक-लेखा समिति का, उसके संबंध में जिस बात की चर्चा हुई उसकी कोई सूचना है, कोई आवेदन-पत्र भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—दुर्भाग्य से उस दिन मेरी चाय ही मिस हो गयी, मैं वहां था ही नहीं, लेकिन पहाड़ के ठुकरा देने से जो अशान्ति फैली हुई है पर्वतीय क्षेत्र में और विकास समस्त रूप से पिछड़ा हुआ है उत्तराखण्ड के विकास के लिये तो रुपया सरकार खर्च करती है और दक्षिणी खण्ड वैसा ही रह जाता है, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि लोगों में बेचैनी इस बात की है कि हमें उत्तराखण्ड में शामिल किया जाय या हमारा भी उतना ही विकास किया जाय जितना कि उत्तराखण्ड का किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह भी नहीं ज्ञात है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस मीटिंग का जिक्र अभी विकल जी ने किया है, तो तिवारी जी ने जैसा कि कहा है वह चाय पार्टी थी और उसमें पहाड़ पर जाने या न जाने की बात सिर्फ आयी थी और उसी से विकल जी को भ्रम हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे कतई कोई जानकारी नहीं है।

राज्य कर्मचारियों के सेवा मुक्त होने की निश्चितता

*२—श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ५५ वर्ष या उससे अधिक वर्ष के हो जाने के फलस्वरूप ३१ दिसम्बर, १९६१ को सेवा मुक्त किये जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनमें से ५५,५६,५७ व ५८ वर्ष पूरे करने वाले कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जब पूरे आंकड़े सारे प्राधिकारियों से प्राप्त हो जायंगे तब सूचना प्रस्तुत की जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यही प्रश्न मैंने १८-७-६१ को दिया था, जब यह प्रश्न जो एजेंडे में दिया गया है वह ३१-८-६१ को दिया गया था। लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे लिख दिया कि यह पांचवे शुक्रवार को लिया जायगा और इसे ले लिया गया। मैं इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं यह बड़ा पक्षपात है।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास भेज दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है कि ऐसे कुल कर्मचारी ३१ दिसम्बर को रिटायर न किये जायं और ३१ मार्च तक रिटायर किये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उक्त आंकड़ों का इतने अधिक समय में प्राप्त न होने का क्या कारण है और वह कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अप्वाइंटिंग अथारिटी इतनी संख्या में हैं कि उनको नीचे से वह आंकड़े इकट्ठा करने में समय लगता है, इसलिये इसमें देरी हो रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या कोई सरकारी आदेश इस किस्म का गया है कि ३१ दिसम्बर तक ५५ वर्ष वालों का रिटायरमेन्ट होगा और वह कितने लोगों को भेजा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संख्या मैंने बतायी और देरी का कारण बतलाया कि अप्वाइंटिंग आथरिटीज विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यक्ति रहते हैं तो जितने हेड्स आफ डिपार्टमेन्ट हैं उन सब से आंकड़ा इकट्ठा करने में समय लगता है, इसलिये वे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह ३१ मार्च या ३१ दिसम्बर के लिये जो लिस्ट मांगी गयी है कि अगले साल कितने रिटायर होंगे, वह कब तक मुकम्मल हो जायगी जिससे सदन की मेज पर रखी जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस समय तक तो जरूर तैयार हो जायगी जिस समय तक उनके जाने की बात है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि ३१ दिसम्बर को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनमें से नान टैक्निकल हैड्स में से लोगो को एक्सटेंशन देने का विचार है। यदि हां तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिकांशतः तो ऐसी नीति नहीं है।

श्री रामायणराय—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे भी विभागाध्यक्ष हैं जो उक्त आज्ञा के कारण रिटायर होने वाले हैं वे अपने एक्सटेंशन के लिये प्रयास कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कोई उत्तर देने वाला सवाल नहीं है, कर रहे होंगे। जो अप्वाइंटिंग आथरिटी है उनसे निवेदन कर रहे होंगे।

श्री मदन पांडेय---अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सरकार का हर काम इकोनामी मेजर के अनुसार हो रहा है, तो क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इस ५५ साल के बजाय ५८ साल के रिटायरमेंट के सिलसिले में कितनी इकोनामी की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके लिये तो मैंने बताया कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने आदमी हट रहे हैं, कितने नये आ रहे हैं। जब सारे आंकड़े आ जायेंगे तब मैं बता सकूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६१ को यह अधिकारी जो चीफ इन्जीनियर और इन्जीनियरों के ऊपर इन्जीनियर इन-चीफ बनाये गये हैं और जिनको ६० साल से ज्यादा हो गया है, वह रिटायर नहीं हो रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कई दफा उसकी चर्चा हो चुकी है। ५ साल के लिये कांट्रेक्ट उनसे किया हुआ है, तो वह कैसे इसमें आ सकते हैं ? इसमें कांट्रेक्ट सर्विस वाले नहीं आते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी देर होने का एक कारण है सूचना की उपलब्धि में, कि अभी अन्दाजा किया जा रहा है कि कितने और टेक्निकल एक्सपर्ट्स या इंडिस्पेंसिबिल लोगों को एक्सटेंशन दिया जा सकता है जो सन् ६२ में काम आ सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी बातें सदैव कटुता से भरी रहती हैं, और यदि मैं कहूं तो असत्यता से भरी रहती हैं, तो ऐसे टेक्निकल हैंड्स के बारे में तो जनसंघ के नेता ही ज्यादा जानते होंगे, वही चुनाव वगैरह की बातें ज्यादा किया करते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विरोधी दल के सदस्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न करते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से यह जवाब मिले कि उसको विरोधी सदस्य ही जानते हैं, तो यह कहां तक उचित है ?

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ३१ दिसम्बर को जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनमें किसी को भी एक्सटेंशन न देने की घोषणा वह सदन में करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस बात की घोषणा करने के लिये मैं उद्यत नहीं हूं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि जिन-जिन विभागों में अधिकारियों को आवश्यकता रहेगी और जिनके बिना सरकार समझती है कि कार्य नहीं चल सकेगा और उनके विभागीय अध्यक्ष और अधिकारीगण सिफारिश करेंगे तो न्यूनतम वृद्धि कार्य-काल में हो सकती है। परन्तु इसका निर्णय तो हम लेंगे। यह सरकार को अधिकार है कि एक्स्टेंशन के प्रश्नों के ऊपर वह समय समय पर निर्णय ले, जो भी इस प्रकार के प्रश्न उसके सामने उपस्थित किये जायं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री गोविन्दसिंह ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया था और जिसकी आज्ञा आपने प्रदान की, उसका उत्तर मुख्य मंत्रीजी ने दिया कि ऐसा प्रश्न करना अशोभनीय था, क्या वह किसी स्वीकृत प्रश्न के लिये अशोभनीय कह सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने 'असत्यता' कहा था।

श्री अध्यक्ष––इस पर आक्षेप करने का अधिकार आपके बजाय श्री गोविन्द सिंह विष्ट को था। अगर वे इस प्रकार से प्रोटेस्ट करते कि उनका मतलब इस प्रकार नहीं था, तब मैं उनको एलाउ कर देता। परन्तु उन्होंने तो टोका नहीं। इससे मालूम पड़ता है वह जो चाहते थे वह हो गया। अब जब कोई सदस्य इरादे से चुभती बात करता है तो दूसरा भी उसे चुभता हुआ जवाब देगा।

श्री गौरीशंकर राय––माननीय, एक्सटेंशन के बारे में पूर्व घोषित नीति के अनुसार सरकार ने यह कहा था कि वह केवल टेक्निकल आदमियों को ही एक्सटेंशन देगी, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार टेक्निकल लोगों को ही एक्सटेंशन देना चाहती है अथवा दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभागों के लोगों को भी एक्सटेंशन देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सरकार की यह घोषित नीति है कि जिन लोगों की उम्र ५५ साल हो गयी है, अगर विभागों को उनकी आवश्यकता नहीं है तो वे रिटायर कर दिये जायेंगे।

आचार्य दीपंकर––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि ५५ वर्ष की उम्र पर एफीशियेंसी कम हो जाती है, मुलाजिमों को रिटायर कर दिया जायगा, तो क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ५५ वर्ष से ऊपर की उम्र के जो मंत्री हो गये हैं उनको भी रिटायर किया जाय ताकि उनके स्थान पर नया ब्लड आ सके ?

श्री अध्यक्ष––तो क्या आप सदस्यों के लिये भी यह लागू करना चाहते हैं ? आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ५५ साल के बाद उन सभी को रिटायर कर दिया जायगा जिनकी विभाग को आवश्यकता नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर विभागों को आवश्यकता हो तो क्या उन सब को ऐक्सटेंशन दे दिया जायगा चाहे वे टेक्निकल हों या न हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मुख्यतः तो यह चीज टेक्निकल हैंड्स तक ही लागू होगी अथवा जो ऐसे विभागों में काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जिसमें कोई भी हेड आफ दि डिपार्टमेंट ऐसा अनुभव करे कि अमुक व्यक्ति को २–४ अथवा ६ महीने के लिये देश के विकास की वजह से और तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के कामों की पूर्ति के कारण उसकी आवश्यकता है।

श्री रामायणराय––माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि लगभग ३४ हजार कर्मचारी इस नीति के कारण अवकाश ग्रहण करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह केवल उन्होंने प्रचारार्थ कहा है अथवा उसके पीछे कोई तथ्य भी है जिसके आधार पर उन्होंने प्रेस में ऐसा बयान दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं आंकड़े के विषय में तो नहीं कहता हूं कि यह आंकड़ा है लेकिन इतना अवश्य है कि मैं जितनी भी बातें करता हूं वे सब तथ्यों के आधार पर ही करने की चेष्टा करता हूं।

[२४ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२––**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)––[७ सितम्बर, १९६१ के ल ये स्थगित किये गये।]

रामपुर-मथुरा ब्लाक अधिकारी के विरुद्ध श्री खेमनलाल द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का आश्वासन

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिला नियोजन कार्यालय के सम्मुख अशोक वृक्ष के नीचे उक्त कार्यालय से संबंधित किसी हरिजन कर्मचारी ने उक्त कार्यालय में होने वाले व्यवहारों से ऊबकर दिनांक १ फरवरी, १९६१ से अनशन शुरू कर दिया था जिस पर जिलाधीश ने जांच जारी की थी ? यदि हां, तो अनशन किये जाने का कारण क्या है ?

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)—जिला नियोजन कार्यालय के सम्मुख रामपुर-मथुरा ब्लाक के पत्र-वाहक श्री खेमन लाल, जो हरिजन हैं, १-२-६१ को बैठे रहे और उस कार्यालय द्वारा पूछताछ करने पर वह घर चले गये। उनकी ब्लाक अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों पर विचार किया गया जिन्हें वे साबित नहीं कर सके।

उन्होंने अनशन तो नहीं किया किन्तु उनकी शिकायत थी कि उन्हें जबर्दस्ती नौकरी से निकाल दिया गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक अधिकारी के विरुद्ध क्या मुख्य-मुख्य शिकायतें थीं और क्या यह सत्य है कि उनके विरुद्ध अनैतिक आचरण की भी शिकायत थी ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—इन शिकायतों के बारे में पूरी तौर से तो हम नहीं बतला सकते, क्योंकि श्री खेमनलाल उनका सबूत ही नहीं दे सके, मगर यह सही है कि उनके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर ही शिकायतें थीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यक्ति अब नौकरी में है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्री खेमनलाल को दूसरी पोस्ट पर एप्वाइंट कर दिया गया है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस पद से उनको निकाला गया है, जब उनकी कोई गलती नहीं थी, तो बजाय दूसरी पोस्ट पर भेजने के उसी पद पर उनको क्यों नहीं रखा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन के अनुसार उनकी गलती मालूम हुई, इसलिये उनको अलग कर दिया गया। मगर वे हरिजन हैं, नौजवान हैं तथा यह पहली पहली गलती उनकी मालूम पड़ी, इसलिये दोबारा उन्हें एप्वाइंट कर लिया गया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि ब्लाक अधिकारी के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं वे बहुत गम्भीर हैं और चूंकि खेमनलाल कोई सबूत नहीं दे सके, इसलिये वह साबित नहीं हो सका, तो क्या वे किसी दूसरे जरिय से इसकी फिर जांच करवाने की कृपा करेंगे कि वे आरोप सही हैं या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जरूर करेंगे। मैंने पहले ही माहेश्वरी जी से कह दिया है कि आपके पास कुछ मसाला हो तो मेरे पास भेज दें ।

औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य एवं अपराधवृत्ति संबंधी समिति की सिफारिशें

*४—श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य एवं उनमें अपराधवृत्ति का सर्वेक्षण करने वाली राज्य सरकार की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

श्री वसी नकवी—जी हां ।

*५—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन्हें अमल में लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री वसी नकवी—मुख्य सिफारिशों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं। यह सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९२–२९४ पर)

श्री झारखन्डेराय—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके महत्व को देखते हुए इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह रिपोर्ट हमें जून के महीने में मिली जो अभी गवर्नमेंट के विचारार्थ है । सबसे पहले इसे लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जायगा । अगले महीने में लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी कमेटी बैठेगी तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीया मंत्री जी इन शिकायतों में से एक दो प्रमुख शिकायतें बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शिकायतों का तो कोई सवाल है नहीं, यह तो दूसरी चीज है । १८–२० सिफारिशें हैं जो सदन के सामने रख दी गयी हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उन सिफारिशों में जो एक-दो प्रमुख हैं उनको बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उन्होंने सिफारिश की है कि म्युनिसिपल हेल्थ रूल्स को इनफोर्स किया जाय, मकानों के बड़े-बड़े कमरे हों, वेक्सिनेशन आदि की फैसिलिटीज हों, इस तरह की बहुत सी बातें हैं ।

श्री रामायणराय—क्या श्रमिकों के बच्चों में बढ़ती हुई चिल्ड्रेन डेलिक्वेंसी को रोकने के लिये भी उस कमेटी ने कोई सुझाव दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उसने यह सुझाव दिया है कि लेबर कालोनीज में सोशल एजूकेशन का इन्तजाम किया जाय, लेबर के मकानों में एक कमरे के बजाय कम से कम दो कमरे हों, इस तरह की ८–१० सिफारिशें हैं, जो सदन के सामने मौजूद हैं, कहिये तो मैं पढ़ दूं ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह अन्तिम रिपोर्ट दी है या कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी उस कमेटी ने सरकार को दी थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में इस वक्त मेरे पास इत्तिला नहीं है, नोटिस चाहिये, लेकिन फाइनल रिपोर्ट उसने दे दी है ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय के पहले लेबर स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी इन सिफारिशों को रखने, का विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस पर विचार नहीं किया गया, उम्मीद कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री रामायणराय––जिस उप-समिति की सिफारिश की चर्चा श्रम-मंत्राणी जी ने की उस उप-समिति में ऐसे भी व्यक्ति रखे गये थे जिन को अपराध और अपराधवृत्ति पैदा होने के कारणों की कोई जानकारी रही हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––यह तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वह उप समिति मेरे आने से पहले ही एप्वाइंट हुई थी, श्री राजाराम शास्त्री उसके चेयरमैन थे, और नाम मेरे पास नहीं हैं, इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अपराध वृत्ति जो औद्योगिक मजदूरों में बढ़ रही है इस को देखते हुये और इन कमेटियों की सिफारिशों को देखते हुये क्या सरकार लेबर वेलफेयर सेन्टर्स का सुधार कर के यह कार्य करना चाहती है या कोई विधेयक लाकर इसको कराना चाहती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––यह तो इस पर विचार हो कर निर्णय होने के बाद फैसला होगा और जरूरत होगी तो विधेयक भी लाया जा सकता है ।

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिये नौकरी में सुरक्षित स्थान रखने का सुझाव

*६––**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़तों के आश्रितों के लिये सरकारी नौकरियों में सीटें सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी––क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में सुरक्षित सीटें दी जायं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये यह कंसेशन तो है कि अगर उन की आयु अधिकतम से ऊपर है तो उन को ४ वर्ष तक की छट मिल सकती है, इस के अलावा कोई और कन्सेशन देने की इच्छा अभी सरकार को नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय––क्या सरकार के पास कोई योजना ऐसी है कि शत प्रतिशत नौकरियां राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिये ही सुरक्षित कर दी जायं ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गनेशचन्द्र काछी––क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सरकारी नौकरियां देते वक्त राजनीतिक पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाया करे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––इस वक्त तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*७–९––**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**––[७ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किय गये ।]

*१०–११––**श्री लक्ष्मणराव कदम**––[३० अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गय ।]

रानीखेत चुनाव के समय मंत्रियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पर आपत्ति

*१२—**श्री मदन पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ फरवरी से १३ मार्च, सन् ६१ तक राज्य के उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजनों में कहां और किन-किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों के कब-कब दौरे हुये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कथित अवधि में किसी भी शासन के सदस्य ने सरकारी कार्यवश उत्तराखंड तथा कुमायूं डिवीजनों का दौरा नहीं किया परन्तु कुछ शासन के सदस्यों ने निजी कार्यवश कुमायूं डिवीजन का दौरा किया जिसका विवरण निम्नलिखित है। इन दौरों के संबंध में मंत्रियों ने सरकार से कोई खर्चा नहीं लिया।

मुख्य मंत्री	रानीखेत	.. ..	१०–२–६१
वित्त मंत्री	नैनीताल	.. ..	११–२–६१
			से १३–२–६१ ।
	अल्मोड़ा	.. ..	२–३–६१
			से १३–३–६१
सहकारिता मंत्री	रानीखेत	.. ..	६–३–६१
			से १२–३–६१
सिंचाई मंत्री	रानीखेत	.. ..	७–३–६१
उप मंत्री, विद्युत	रानीखेत	.. ..	७–३–६१
			से १३–३–६१

श्री मदन पांडेय—इसमें जो तारीखें गिनाई गई हैं उनको जोड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ३१ दिन तक मंत्री लोग निजी कामों से इन क्षेत्रों में गये, तो क्या इन ३१ दिनों की तनख्वाह मंत्रियों ने ली या नहीं, क्या इस पर मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कोई परम्परा नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस पहाड़ी क्षेत्र के चुनाव दौरे के संबंध में जो भी मंत्री गये, उनके साथ चपरासी, स्टेनो और दूसरे सरकारी कर्मचारी भी गये या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हां, कुछ लोगों के साथ गये।

श्री गौरीशंकर राय—मुख्य मंत्री जी कृपया बताएंगे कि वह छोटे कर्मचारी जो साथ गये उन्होंने भत्ता लिया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियम के अन्तर्गत इनको उसकी परमिशन है और उस नियम के अन्तर्गत जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं वह अधिकार उन्होंने बरते।

श्री मदन पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रियों ने सरकार से कोई खर्च नहीं लिया क्योंकि वह निजी कार्यों से गये थे, तो जब निजी-कार्य से गये हुए थे तो उनके साथ पी० ए०, स्टेनो, चपरासी, अर्दली जो गये उन्हें तो भत्ता मिलना चाहिये था, लेकिन जिस प्रकार मंत्रियों ने अपना खर्च नहीं लिया, तो क्या उन लोगों का खर्च भी उन्होंने अपने पास से दिया है अथवा सरकार से दिलाया है, इस बात को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब मंत्री आदि निजी कार्य से भी जाते हैं तब भी रोजमर्रा का जो फाइलों का कार्य होता है, उसको वहां जाकर भी करते है। यद्यपि निजी कार्य के सिलसिले में जाते हैं लेकिन जो सरकारी कार्य है. फाइलों का जितना है, आदेशों का जितना है उसे उन्ह वहां जाकर भी करना पड़ता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि मंत्रियों के जो ये दौरे फरवरी में हुए, वह रानीखेत चुनाव के सिलसिले में हुए थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, रानीखेत चुनाव के सिलसिले में गये थे और फिर चुनाव आएगा तो फिर जाएंगे ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे, जिस तरह से कि उन्होंने अभी कहा कि निजी दौरे किये, कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो कांग्रेस आब्जर्वर की हैसियत से आफिशियल टूर करते हैं वह बन्द करें और निजी टूर करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आब्जर्वर का काम तो बहुत थोड़े समय का काम होता है। कोई मंत्री जाता है तो सरकारी काम भी जिले में करता है। आब्जर्वर के काम में उसका कोई सारा वक्त नहीं लगता है, और अगर लग जाता है, तो रात जो खाली रहती है, उसमें वह फाइलों का और दूसरा सरकारी काम करता है ।

श्री राजनारायण—क्या इस सदन द्वारा पास किये हुए ऐसे कानून की जानकारी सरकार को है जिसमें यह मान लिया गया है कि मंत्री द्वारा जितने भी कार्यकलाप होंगे वह निजी नहीं माने जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष—जब उन्होंने खुद कहा...

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कानून बना है, तो जब इस सदन में कानून बना है तो लड़के की शादी हो....

श्री अध्यक्ष—जो आप सवाल कर रहे हैं वह उठता नहीं है...

श्री राजनारायण—उन्होंने कहा....

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठिए। पहले सुन लीजिये, उन्होंने उत्तर यह दिया कि मंत्री वहां गये थे। चूंकि निजी काम से गये थे, इसलिये भत्ता नहीं लिया। अपना खर्च किया तो निजी काम उन्होंने मान लिया। फिर यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि वर्तमान कानून के मातहत ऐसे कौन से कानून हैं जो निजी माने जायेंगे और जो पब्लिक माने जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न परम्परा बनाने का है । अगर मैं अपने घर जाऊं और यह मान लिया जाय कि किसी भाई भतीजे की शादी हो, उसमें शरीक होने जाऊं और कोई सार्वजनिक कार्य न करूं और न उसके लिये कुछ चार्ज करूं तो यह परम्परा बनाने की बात है। वैसे तो मंत्री २४ घंटे सार्वजनिक कार्य में रहता है, सार्वजनिक कार्य करता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—पूरक प्रश्नों में चुनाव के दिनों में मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में जो बातें व्यक्त की जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या यह सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि चुनाव से ६ महीने पहले मंत्रि परिषद् इस्तीफा दे दे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मंत्रि परिषद् कोई गलत परम्परायें जो जनतांत्रिक देशों में नहीं हैं उन्हें अपनाने की न तो चेष्टा करेगी और न वह यह धृष्टता करेगी कि गलत परम्पराओं को अपने बीच में स्थापित किया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री को याद है कि इसी सदन में गत मंत्रिमंडल के विरुद्ध उन्होंने यह कहा था कि जो उन्होंने चुनाव के सम्बन्ध में दौरे किये वे इम्प्रापर थे और उन्होंने यह भी कहा कि आइंदा हम ऐसे दौरे नहीं करने देंगे, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री उस नीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाये हैं कि जो आब्जर्वर बन कर जाते हैं वे सरकारी कार्य करें और आब्जर्वर का भी कार्य करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो याद नहीं कि किस समय की बात आप कह रहेहैं। लेकिन कांग्रेस के चुनाव में या और कोई चुनाव होता है उसमें हम और आप यदि हिस्सा लेते हैं और उन उम्मीदवारों के लिये काम करते हैं तो मैं इस बात की परम्परा बनाने की आशा रखता हूं कि हम ऐसे दौरों के सिलसिले में कोई भी सरकारी खजाने से भत्ते के रूप में रुपया न लें।

श्री गौरीशंकर राय—मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कांग्रेस आब्जर्वर जाते है तो दफ्तर का कार्य करते हैं। मैंने यह कहा था कि जब कांग्रेस के लोग आब्जर्वर की हैसियत से जाते हैं और साफ कर दूं कि दिन भर सरकारी मोटर और जीप पर घूमते हैं अफसरों के साथ, तो कोई सरकारी फाइल लखनऊ से नहीं जाती है, फार्मली १५ मिनट के लिये कलेक्टर और एस० पी० से मिल लेते हैं और उसे आफिशियल दौरा डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री ऐसी अस्वस्थ परम्परा को रोकने का प्रयास करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह बात तो मानता नहीं कि मंत्री जो इस प्रकार के कार्यों के सिलसिले में जाते हैं तो फाइल इत्यादि या जिलों से सम्बन्धित जो जिम्मेदारियां उन पर होती हैं उनके सम्बन्ध में उस बोझे को जो मंत्री पद का बोझा होता है उसे वे साथ में नहीं ले जाते। लेकिन यह मैं अवश्य सदन से कह सकता हूं कि यदि किसी पार्टी के काम में ही कोई मंत्री बिलकुल जाय तो अवश्य उसे कोई भी पैसा सरकार से नहीं लेना चाहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री को इस बात की भी इत्तला है कि पिछले चुनावों के सम्बन्ध में जो मंत्री के साथ स्टेनो गये थे उन्होंने चुनाव के सिलसिले में प्रधानों के नाम से चिट्ठियां भी लिखी थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो मुझे सूचना भी नहीं है, न इस बात की उन्हें कोई आवश्यकता ही पड़ती है।

लाइम स्टोन क्वैरीज, देहरादून पर वेजेज ऐक्ट लगाने की प्रार्थना

*१३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार लाइम स्टोन क्वैरीज देहरादून को केन्द्रीय सरकार के माइन्स विभाग को हस्तान्तरित करने पर विचार कर रही है ?

श्री मलखानसिंह—जी नहीं।

*१४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त लाइम स्टोन क्वैरीज के कर्मचारियों पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मलखानसिंह—जी नहीं। यह विषय केन्द्रीय सरकार का है।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि जो लाइम स्टोन क्वैरीज हैं इनमें इस समय मजदूरों को तनख्वाह क्या मिल रही है ?

श्री मलखानसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मदन पांडेय—हमारे यहां जो न्यूनतम वेतन इस प्रकार के संस्थानों में दिया जाता है उससे कम है अथवा अधिक है ?

श्री मलखानसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनको मालूम ही नहीं है....

श्री सदन पांडेय—इतना अस्पष्ट उत्तर है, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—हां, यह हो सकता है। आप मुझे लिख कर भेज दें, इसको मैं फिर से कार्यवाही में रखवा दूंगा।

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—[७ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

हाकिम परगना, भोगनीपुर से स्पष्टीकरण की मांग

*१६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ६८ व ६९, दिनांक ३१ मार्च, १९६० के संदर्भ में बतायेंगे कि जज महोदय द्वारा (Fabrication of record) और कर्त्तव्य विमुखता का स्ट्रिक्टचर तत्कालीन हाकिम परगना के विरुद्ध पास करने पर सरकार ने अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जांच करने के उपरान्त सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि मैजिस्ट्रेट ने जो गलतियां की वह अनुभवहीनता के कारण थीं। इसके लिये मैजिस्ट्रेट को चेतावनी दे दी गई है और उनसे भविष्य में सर्तक रहने को कहा गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन मजिस्ट्रेट महोदय की अदालत में एक दरोगा द्वारा एक गवाह के बेंत मारे जाने पर अदालत की मानहानि का मामला न चलाकर फैसले की जो तारीख थी उस तारीख को बदल दिया गया और इसको जज ने फेब्रीकेशन आफ रेकार्ड बताया, तो इसके सम्बन्ध में अनुभवहीनता का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह लेडी मैजिस्ट्रेट थीं, चूंकि औरतें बहुत कम मैजिस्ट्रेट होती हैं और उन्होंने बाद में कहा कि यह अनुभवहीनता के कारण था इसलिये उनको चेतावनी दे दी गई। भविष्य में ऐसा नहीं करेंगी।

स्वरूप रानी अस्पताल, इलाहाबाद में शय्यायें तथा डाक्टर

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वरूप रानी अस्पताल, इलाहाबाद में कितने मरीजों के लिये कितनी शैय्याओं का प्रबन्ध किया गया है और उसमें गत जून माह में कुल कितने मरीज रखे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१७६ मरीजों के लिए शय्याओं का प्रबन्ध किया गया है। जून माह में पूर्ण सुविधाओं के न होने के कारण कोई भी मरीज नहीं रखा गया।

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में कितने डाक्टरों की नियुक्ति स्थायी तथा अस्थायी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो सभी डाक्टरों की नियुक्ति अस्थायी रूप से ही की गयी है।

हाथरस में खुलने वाले औद्योगिक आस्थान की कार्य क्षमता

*१९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में चालू होने वाले औद्योगिक आस्थान में ऐसे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने का वे विचार रखते हैं जिनके पुर्जे तथा पार्ट्स घरेलू उद्योगों के रूप में हाथों से तैयार कराये जायं और उनके असेम्बलेज, फिनिशिंग और टचिंग का कार्य आस्थान के केन्द्रीय कारखानों द्वारा कराया जा सके ?

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*२०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादित वस्तुओं के लिये क्रेडिट एन्ड मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिये सरकार की क्या योजना होगी और इन उद्योगों के लिये आवश्यक विद्युत् सस्ते मूल्य पर कब से काफी मात्रा में मिल सकेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९५ पर)

किसानों का चीनी मिलों पर बकाया

*२१—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का १९६०-६१ सीजन का कितना गन्ने का दाम १ जुलाई, १९६१ तक प्रति मिल पर बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९६-२९७ पर)

*२२—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उनकी वसूली के लिये उन्होंने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अधीन अब तक ५१ चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है ।

देवरिया में औद्योगिक आस्थान न खुल सकना

*२३—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में उद्योग आस्थान (Industrial Estate) की प्रगति क्यों रुकी हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के यहां से आवश्यक नक्शे तथा तखमीने प्राप्त न होने के कारण ।

अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

*२४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मुख्य मंत्री जी के उस वक्तव्य के बारे में जिसमें उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी बताई है, उस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न अब तक किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि उप सचिव, चिकित्सा विभाग के अर्द्ध शा० पत्र दिनांक, ९, ११ व १७ अगस्त, १९६१ में अनुरोध किया जा चुका है, माननीय सदस्य कृपया यह बतायें कि इस प्रश्न में निर्दिष्ट वक्तव्य किस तारीख को और किस स्थान पर दिया गया था ।

*२५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के मैदानी भाग में कितने जिलेवार ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं ? इसकी सूची क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश के मैदानी भाग में पी० एम० एस० द्वितीय के १९९ पुरुष और १०३ जनाने चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९८-३०१ पर)

सोडा ऐश फैक्टरी, वाराणसी के लिये भूमि

*२६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी की सोडा ऐश फैक्टरी ने किन-किन गांवों की जमीन कितने एकड़ एक्वायर करने के लिये सरकार को लिखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना निम्नलिखित है:—

ग्राम			एकड़
(१) चांदीतारा	..	..	१५.४५
(२) भखरा	..	..	२४.१४
(३) व्यासपुर	..	..	७.५१
(४) चौरहट	..	..	२०.९८
(५) रतनपुर	..	..	०.४४
(६) डोमरी	..	..	१.४८
योग	..		७०.००

*२७-२८—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—[७ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

महनौरा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*२९—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम महनौरा, थाना असोहा में ३१ मई, सन् १९६१ को आग लग जाने से कितनी जन-धन आदि की क्षति पहुंची है तथा सरकार द्वारा कितनी सहायता पहुंचायी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अग्नि काण्ड में ८ मनुष्य और १६ पशु मरे और लगभग ४ लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। इसमें ८५,०० रु० की नकद अनुतुक सहायता दी गई तथा ७५ मन खाद्य सामग्री, ५ मन नमक, ७।। मन गुड़, ७२ पौंड पाउडर मिल्क, ५ मन तरकारी, तथा ८६६ गज कपड़ा पीड़ितों को बाँटा गया।

फरेंदा तहसील में सी० एल० आर० डी० योजनान्तर्गत सीरदार

*३०—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला के फरेन्दा तहसील में C. L. R. D. स्कीम के तहत कितनी जमीन पर किसान सीरधर बनाये गये और उससे सरकार का कितना लगान बढ़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सी० एल० आर० डी स्कीम के अन्तर्गत १,२६५ एकड़ भूमि ऐसी पाई गई जिन पर कि उन किसानों को जिनको कि कानून सीरदार मानता है परन्तु जो भूमि-अभिलेखों में उस प्रकार दर्ज नहीं थे, सीरदार दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप इन सीरदारों की निर्धारित देय वार्षिक मालगुजारी व बकाया में क्रमशः १०,१२१ रुपये और ३४,३८८ रुपये की वृद्धि हुई।

*३१---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त तहसील में अमल दरामद के कुल कितने मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं और सब से ज्यादा कितने दिन के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसील फरेंदा में उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत अमल-दरामद का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

*३२-३३---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---[७ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल, लखनऊ में सुनीलकुमार की चिकित्सा संबंधी जांच रिपोर्ट

*२४---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल, लखनऊ के संबंध में गत फरवरी मास में जो जांच समिति सरकार ने नियुक्त की थी उसने क्या रिपोर्ट दी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गांधी स्मारक तथा संबद्ध चिकित्सालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन है, अतः सरकार द्वारा जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। जांच समिति चिकित्सालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट द्वारा बैठाई गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट गोपनीय है।

सरकार ने उपकुलपति से अनुरोध किया है कि जिन डाक्टरों अथवा कर्मचारियों ने सुनील कुमार की चिकित्सा के संबंध में लापरवाही दिखाई है उनके विरुद्ध वे आवश्यक कार्यवाही करें और उस की सूचना शासन को भेजें।

घुघली चीनी मिल के गन्दे पानी की निकासी के विरुद्ध शिकायत

*३५---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष गोरखपुर जिले की घुघली चीनी मिल के विरुद्ध जोगिया, पोहेरिया के किसानों ने संबंधित अधिकारियों से इस बात की लिखित शिकायत की थी कि उसका गन्दा पानी किसानों के खेतों में बहता है जिससे उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन की फसल हर साल बरबाद होती है ? यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

अवध में नवीन अमीन व्यवस्था

*३६---श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२-५३ में कुछ कुर्क अमीनों को (दीवानी अदालत के) ट्रेनिंग हुई थी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आगरे की भांति अवध में भी अमीन व्यवस्था लागू होगी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुक्मसिंह विसेन—जी हां। सन् १९५३ में दीवानी अदालतों के ४२ कर्मचारियों को अमीन के कार्य की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया था, परन्तु आगरे की भांति अवध के जिलों में भी अमीन की व्यवस्था लागू करने के आदेश ३ जून, १९६१ को जारी कर दिये गये हैं।

*३७—कुंवर श्रीपालसिंह—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

विद्युत् विभाग से आयल सर्किट ब्रेकर्स की खरीद

*३८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत् विभाग के विभागाध्यक्ष ने ७ अप्रैल, १९५८ को 49 numbers of 600 amperes oil cercuit Breakers का आर्डर प्लेस किया तथा फिर उसी अप्रैल मास में ही फिर अधिशासी अभियन्ता ने पुनः उपरोक्त सामान का दूसरा आर्डर दे दिया ? इस प्रकार जो सामान दो बार खरीदा गया वह कितने रुपये का था तथा उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना कितने दामों का अभी भी स्टाक में पड़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिशासी अभियंता ने २२ आयल सर्किट ब्रेकर्स का आर्डर दिनांक २४ मार्च, १९५८ को दिया तथा विभागाध्यक्ष ने ४९ आयल सर्किट ब्रेकर्स का आर्डर दिनांक ७ अप्रैल, १९५८ को दिया। इस प्रकार दो बार खरीदे गये आयल सर्किट ब्रेकर्स का मूल्य २,३४,५७६ रु० है जिसमें से २३ अदद इस्तेमाल किये गये हैं। शेष ४८ आयल सर्किट ब्रेकर्स स्टाक में हैं जिनका मूल्य १,६१,६६४ रु० है।

कानपुर की सूती मिलों में रेशनलाइजेशन जारी करने की जानकारी

*३९—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेंट्रल टेक्सटाइल बेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित रेशनलाइजेशन कार्यान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

*४०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के सूती मिलों में काम करने वाले क्लर्कों को सेमी-क्लर्क बनाये जाने से उत्पन्न समस्या पर भी कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो वे निर्णय क्या हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मजदूरों तथा मिल मालिकों के बीच समझौता होने के फलस्वरूप ये प्रश्न डाक्टर सम्पूर्णानन्द के मध्यस्थ निर्णय हेतु भेज दिये गये हैं।

*४१—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के श्रम विभाग के प्रधान कार्यालय और रीजन्स के कार्यालयों में ऐसे कितने नान-गजटेड कर्मचारी हैं जो सन् १९५० से अब तक काम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्रमायुक्त के प्रधान कार्यालय में कोई ऐसा नान-गजटेड कर्मचारी नहीं है जो सन् १९५० से कार्य कर रहा हो और अभी तक स्थायी नहीं किया गया हो।

रीजन्स के कार्यालयों में ३२ ऐसे नान-गजटेड कर्मचारी हैं जो कि १९५० से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं।

गन्ना किसानों को चीनी मिलों से अतिरिक्त मुनाफे का हिस्सा न मिलना

*४२—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की अलग-अलग चीनी मिलों के मुनाफे का कितना अंश गन्ना किसानों को १९५७-५८, १९५८-५९, १९ ९ ६० के सीजन का देना था और उसमें से किन-किन चीनी मिलों ने अब तक कितनी-कितनी रकम गन्ना किसानों में बांटी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की चीनी मिलों के अतिरिक्त मुनाफे में गन्ना किसानों को हिस्सा दिलाने के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जो प्राइस लिंकिंग फारमूला बनाया गया है वह १९५८-५९ सीजन से कानूनन लागू है अतएव उसके पूर्व वर्षों में मिलों को अतिरिक्त मुनाफे में गन्ना किसानों को हिस्सा देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। वास्तव में अभी किसी मिल ने गन्ना किसानों को १९५८-५९ व १९५९-६० सीजन का हिस्सा जो निकलेगा वह नहीं दिया है क्योंकि यह प्रश्न टैरिफ कमीशन के विचाराधीन है।

*४३—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में चीनी मिलों के मालिकों तथा मजदूरों और गन्ना किसानों के दरमियान चीनी मिलों में पेराई से हुये मुनाफे का वितरण किस आधार तथा सिद्धांत से होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसानों के दरमियान मुनाफे का वितरण प्राइस लिंकिंग फारमूले के आधार पर होना निश्चित हुआ है जो अभी टैरिफ कमीशन के विचाराधीन है। चीनी उद्योग में श्रमिकों को बोनस प्रत्येक मिल द्वारा उत्पादित चीनी पर लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बनाये गये फारमूले से निकाला जाता है।

बन्दोबस्त अधिकारियों की सचिवालय में बैठक

*४४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४,१५ और १७ अप्रैल, १९६१ को प्रदेश के सभी परगनाधीशों की बैठक सचिवालय में हुई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में विचारणीय विषय कौन-कौन थे और उसमें किनका-किनका भाषण हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनांक १४ व १५ अप्रैल, १९६१ को प्रदेश के परगनाधीशों की कोई बैठक सचिवालय में नहीं हुई थी। दिनांक १७ व १८ अप्रैल, को चकबन्दी आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त बन्दोबस्त अधिकारियों की, जो चकबन्दी तहसीलों में परगनाधीश भी हैं, एक बैठक सचिवालय में की गई थी। बैठक में विचारणीय विषयों और भाषण कर्त्ताओं से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

उद्योग विभाग, वाराणसी में कर्मचारियों को सेवा मुक्ति का नोटिस

*४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्वाइंट डाइरेक्टर, उद्योग विभाग, वाराणसी ने ३० जून, १९६१ से राजकीय सेवा से मुक्त करने के लिये कितने विभागीय कर्मचारियों को नोटिस दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दो।

आजमगढ़ जिले में स्थायी अमीनों का वेतन

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने कुर्क अमीन स्थायी एवं अस्थायी हैं तथा क्या स्थायी कुर्क अमीनों का वेतन देने की पद्धति में गत वर्ष आडीटर ने आडिट नोट में कोई आपत्ति उठाई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत को दूर करने की कौन-सी योजना बनाई गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ जिले में १०० स्थायी तथा १२३ अस्थायी अमीन हैं। स्थायी अमीनों का वेतन देने की पद्धति में गत वर्ष आडिट नोट में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

तहसीलदारों के पदों पर स्थायी पदोन्नति के लिये चुनाव पर विचार

*४७—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं और कितने स्थायी तहसीलदार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्रमशः २३० और १४३ ।

*४८—आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि कुछ तहसीलों में तहसीलदारों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सही है कि कुछ तहसीलों में स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे हैं परन्तु कोई स्थानापन्न तहसीलदार अनियमित रूप से नियुक्त नहीं है ।

*४९—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो कितनी तहसीलों में स्थायी तहसीलदार नहीं हैं और कब तक उनकी स्थान पूर्ति हो जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९० तहसीलों में स्थायी तहसीलदार कार्य नहीं कर रहे हैं । तहसीलदारों के पदों पर स्थायी पदोन्नति के लिये चुनाव होने जा रहा है और शीघ्र ही स्थायी पदों पर स्थायी तहसीलदारों को नियुक्त करना संभव होगा । अवश्य ही, किसी भी सेवा में सभी स्थायी पदों पर सदा स्थायी पदधारी को नियुक्त करना संभव नहीं है ।

पिंडरा बाजार में विद्युतीकरण के लिये स्वीकृति तथा वाराणसी जिले में अन्य स्थानों को बिजली देने पर विचार

*५०—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिंडरा बाजार तहसील-जिला वाराणसी का जो सर्वे बिजली लगाने के संबंध में हुआ था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और बिजली लगाने का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिंडरा बाजार का सर्वे पूरा हो गया है और राज्य विद्युत् परिषद् ने इस जगह का विद्युतीकरण करना स्वीकार कर लिया है ।

*५१—श्री ऊदल—क्या सरकार अनेई बाजार, धौकलगंज ताड़ी, परगना पंद्रह व बसनी, कुवार, फूलपुर बाजार, परगना कोल असला, वाराणसी में बिजली देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन स्थानों के विद्युतीकरण पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों में विचार होगा ।

*५२–५४—श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)—[७ सितम्बर, १९६१ के के लिये स्थगित किये गये ।]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचालक के दफ्तर में भ्रष्टाचार संबंधी जांच

५५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचालक के दफ्तर में कुछ बेईमानी व भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत एक से १५ अप्रैल, १९६१ के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक अभी जांच कर रहे हैं । जब तक स्वास्थ्य सेवा निदेशक पूरी तरह से जांच नहीं कर लेते तब तक सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हस्तिनापुर पावर हाउस का बन्द होना

*५६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हस्तिनापुर पावर हाउस घाटे पर चल रहा है या नफे पर ? अगर घाटे पर चल रहा है तो क्यों तथा अब तक कितना घाटा हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गंगा खादर क्षेत्र में हाइडल द्वारा विद्युत उपलब्ध हो जाने के कारण हस्तिनापुर पावर हाउस १ जनवरी, १९६० से बन्द हो चुका है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लिये सुरक्षित स्थान

*५७—श्री लायकसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एम० बी०, बी० एस० के लिये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कालेज में परिगणित जातियों के प्रवेश के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कालेजों में परिगणित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिये, जो स्थान सुरक्षित हैं, उनकी संख्या निम्नलिखित है:—

१—के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	.. ..	२
२—गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर	..	२
३—सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	..	४
४—मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	..	२

*५८—श्री लायकसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब इनका कोटा पूरा नहीं हो पाता तो उसकी पूर्ति करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिलते तो यह स्थान साधारण अभ्यर्थियों को दे दिये जाते हैं।

*५९-६०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[छठवें मंगलवार के लिये प्रश्न १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इटावा जिले में नदियों की घाटियों में डिस्पेंसरियां

*६१—श्री भजनलाल—क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत जमुना, चम्बल और क्वारी नदियों की घाटियों में जहां लाखों की तादाद में जनता आबाद है, कहां-कहां डिस्पेंसरियां खोली गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला इटावा के जमुना, चंबल और क्वारी नदियों की घाटियों में निम्नलिखित स्थानों पर डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं:—

१—ऊदी (एल पैथिक)।
२—राजपुर (एलोपैथिक)।
३—सहसों (एलोपैथिक)।
४—जसवंतपुर (अयाना) (एलोपैथिक)।
५—पिपरौली गढ़िया (आयुर्वेदिक)।
६—अजबपुर (आयुर्वेदिक)।
७—सडोंस (आयुर्वेदिक)।
८—करावली (आयुर्वेदिक)।
९—चकरनगर (आयुर्वेदिक)।

अलीगढ़ लाक मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन की मांगों पर विचार

*६२—**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि गत १० जुलाई, सन् १९६१ को अलीगढ़ लाक मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन का कोई प्रतिनिधि मंडल मन्त्री महोदया से मिला था? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और सरकार ने उन पर क्या कदम उठाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

उनकी मांग ताले के उद्योग को बिक्री-कर से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में थी । यह मांग सरकार के विचाराधीन है ।

*६३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[७ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६४—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिया गया ।]

जमींदारी उन्मूलन विभाग में छटनी

*६५—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन विभाग के कार्य करने वालों की छटनी क्रमशः किस प्रकार से की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमींदारी उन्मूलन विभाग में कार्य करने वालों की छटनी करने के समय ज्येष्ठता (seniority) तथा दक्षता (efficiency) का खयाल रक्खा जाता है ।

*६६—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों की खपत सम्बन्धी क्या नीति है ? तथा, क्या सरकार १९६१ के अन्त में कलक्टोरेट तथा अन्य विभागों के पद निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर इनको नियुक्त करने में प्राथमिकता देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाल ही में जारी किये गये सरकारी आदेशानुसार राजस्व विभाग के छटनी किये गये उपर्युक्त कर्मचारियों को, जिनमें जमींदारी उन्मूलन विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, कलेक्टोरेट के स्थायी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त उन पदों के लिये, जो कि १९६१ के अन्त में खाली होने वाले हैं, विशेष कोई खपत के आदेश इन कर्मचारियों के लिये नहीं हैं ।

*६७-६८—**श्री त्रिलोकीसिंह**—[७ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

तल्लीताल, गरमपानी तथा मुक्तेश्वर को बिजली न दे सकना

*६९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल के तल्लीताल, भीमताल, गरम पानी तथा मुक्तेश्वर नामक स्थानों में शारदा हाइडिल के द्वारा ट्रांसफार्मर तथा लाइन लगाये जाने के बाद भी इन गांव सभाओं को बिजली प्रदान नहीं की गई है ? यदि हां, तो सरकार इन गांव सभाओं को शीघ्र बिजली देने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भीमताल का विद्युतीकरण मई, १९५५ में कर दिया गया था । तल्लीताल, गरमपानी और मुक्तेश्वर का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और न वहां आवश्यक सब-स्टेशन तथा लाइनें बनाई गई हैं क्योंकि विद्युत भार का विकास कम होने के कारण जो लागत लाइनों के बढ़ाने के कार्य पर लगती उसका पर्याप्त लाभ मिलने की सम्भावना नहीं थी ।

इलाहाबाद में खुलने वाले इंजीनियरिंग कालेज में स्थान

*७०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जो इंजीनियरिंग कालेज सरकार इस वर्ष खोलने जा रही है उसमें कितने छात्रों ने प्रवेश (admission) के हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं तथा कितने छात्रों के लिये स्थान उस कालेज में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष इस कालेज में १०० छात्रों के प्रवेश के लिये स्थान है और प्रवेश ग्रहण करने के हेतु २,०७२ छात्रों ने प्रार्थना-पत्र भेजा है।

राजभवन के हाउस होल्ड स्टाफ के सदस्यों को स्थायी करने का विचार

*७१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से राज्यपाल सम्मेलन के सुझावानुसार यह सुझाव आया है कि राजभवन के सभी प्रकार एवं श्रेणी के निम्नस्तरीय कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान किया जाय तथा अन्य सुविधायें भी दी जायं ? यदि हां, तो सरकार उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में सुझाव आया है। राज्य सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि यह सुझाव राज्यपाल के सम्मेलनों अथवा अन्य आधार पर भेजा गया है। यह सही नहीं है कि राजभवन के सभी प्रकार एवं श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने का सुझाव है। केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने का सुझाव है जो राजभवन के हाउसहोल्ड स्टाफ के स्थायी सदस्य हैं। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

आर्डर शीट में फोर्जरी के संबंध में हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर

*७२—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) तथा **श्री उग्रसेन**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनका ध्यान Crl. Misc. Contempt case No. 41 of 1960 Kandhaiya Lal *vs.* Naimuddin, Division Farrukhabad में हाईकोर्ट के तारीख ९ दिसम्बर, १९६० ई० के फैसले की ओर गया है जिसमें हाई कोर्ट ने निम्न finding दी है ?

"I am also satisfied from the affidavits that a forgery was committed in the order sheet, dated 26-4-60 of the case and the matter needs inquiry by the Government".

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*७३—**श्री रामशरण यादव** तथा **श्री उग्रसेन**—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने जांच करवाई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिटी मैजिस्ट्रेट की प्रार्थना पर सरकार ने उन्हें यह आज्ञा दी है कि स्ट्रिक्चर रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय को move करें इसलिए इस समय इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा कलेक्टरी में हरिजन कर्मचारी

*७४—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जिलाधीश के कार्यालय "कलेक्ट्रेट" में कितने लिपिक तथा कितने चपरासी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---११० लिपिक तथा १२३ चपरासी हैं।

*७५---श्री गंगाप्रसाद---क्या यह सही है कि कलक्ट्रेट, गोंडा में हरिजन लिपिक व हरिजन चपरासियों की संख्या निर्धारित कोटा १८ प्रतिशत से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। परिगणित जाति के सदस्यों द्वारा भेजे गए आवेदनपत्रों पर विचार करने के पश्चात् ही पेड अप्रेन्टिस तथा चपरासी के पदों पर नियुक्ति की गई है।

*७६---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के हेतु पदोन्नति के समय भी कुछ सुविधा मिलने का सरकारी आदेश है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

जौनपुर जिले में चकबन्दी कन्सालीडेटरों व लेखपालों की सेवा मुक्ति का नोटिस

*७७---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५९; १९६० व १९६१ में ३० जून तक जौनपुर जिले में कितने चकबन्दी के कन्सालीडेटरों, लेखपालों की सेवायें एक महीने की नोटिस देकर समाप्त की गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

*७८---श्री मुक्तिनाथराय---क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में उक्त पद के कितने व्यक्तियों ने उच्च अधिकारियों के यहां अपील या रिप्रेजेन्टेशन किया और कितने पुनः अपने पद पर बहाल हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इन निकाले गये कर्मचारियों में से केवल ९ चकबन्दी कर्त्ताओं तथा २६ चकबन्दी लेखपालों ने उच्चाधिकारियों के यहां रिप्रेजेन्टेशन किया, जिसमें से कोई भी चकबन्दी कर्त्ता या चकबन्दी लेखपाल पुनः अपने पद पर बहाल नहीं हुआ।

*७९---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--- [७ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

गोरखपुर औद्योगिक आस्थान के लिये भूमि

*८०---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि औद्योगिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत गोरखपुर के क्षेत्र की स्थापना कब से प्रारम्भ होगी ? इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त योजना के अन्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र के स्थापना का कार्य वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से प्रारम्भ होगा। उक्त क्षेत्र के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ?

गोरखपुर के समीप उर्वरक कारखाना स्थापित करने का आयोजन

*८१---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के समीप बनने वाली Fertilizer Factory (उर्वरक कारखाना) के लिये कितने एकड़ जमीन की जरूरत है और उस के लिये Township के वास्ते कितनी जमीन की जरूरत होगी और इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--लगभग १,००० एकड़ भूमि की आवश्यकता आंकी गई है। जिसमें से लगभग ५०० एकड़ भूमि टाउनशिप के लिए जरूरी होगी। फैक्ट्री तथा टाउनशिप की स्थापना के विषय में भारत सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति आते ही भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जायगी जिसके लिए प्रारम्भिक कागजात तैयार किये जा रहे हैं।

उद्योग विभाग, आजमगढ़ द्वारा धन का वितरण

*८२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० व १९६०-६१ में कितना-कितना रुपया उद्योग विभाग, आजमगढ़ द्वारा किन-किन उद्योगों के लिये लोगों को दिया गया? उनमें से कितने लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया और कार्य की प्रगति क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--आवश्यक सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

*८३--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--[७ सितम्बर, १९६१ के लिए प्रश्न ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्लीसरीन तथा मैगसल्फ की अनियमित सप्लाई

*८४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश, दिनांक २५ फरवरी, १९६१ में "स्टोर पर्चेज विभाग कोड पत्र" शीर्षक के अन्तर्गत जो नोटिफिकेशन नं० १६०, दिनांक ४ फरवरी, १९६१ को प्रकाशित हुआ है उसमें गजट के पृष्ठ संख्या १७३ के आइटम नं० ५४५ तथा पृष्ठ संख्या १७६ के आइटम नं० ५८३ पर ग्लीसरीन तथा मैगसल्फ को जिन एप्रूव्ड फर्मों ने आई० सी० आई० कम्पनी का निर्मित बता कर टेन्डर की स्वीकृति प्राप्त की है उसके सम्बन्ध में क्या यह सत्य है कि उक्त आई० सी० आई० कम्पनी उपरोक्त दोनों वस्तुओं का निर्माण नहीं करती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*८५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों वस्तुएं उपरोक्त एप्रूव्ड फर्मों ने किस कम्पनी की निर्मित कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई की हैं और इस प्रकार की अनियमित सप्लाई को स्वीकृत किये जाने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है।

ग्राम सभा, जड़ौदाजट के सभापति के विरुद्ध शिकायत

*८६--श्री मदन पांडेय--क्या राजस्व मंत्री को १५ दिसम्बर, १९६० को भेजे गये ग्राम जड़ौदा जट, तहसील व परगना देवबन्द, जिला सहारनपुर के निवासियों की ओर से कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें उक्त ग्राम सभा के सभापति के विरुद्ध उक्त ग्राम समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग किये जाने के आरोप लगाये गये हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन--ऐसा केवल एक शिकायती-पत्र राजस्व मंत्री को नहीं वरन् मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था।

*८७--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि उक्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि ३०५ तथा ७५० रु०, जो ग्राम समाज के कोष में जमा होने चाहिये थे, नहीं जमा किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शिकायती पत्र में यह आरोप लगाये गये थे कि गांव समाज के कुछ पेड़ों के नीलाम से प्राप्त ९०५ तथा ७५० रुपये का हिसाब प्रधान ने नहीं दिखलाया। जांच से यह आरोप गलत पाये गये।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी की मांग

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करना है। मैंने आपको ११ तारीख को अलासूचित तारांकित प्रश्न दिया था जिसको आपने स्वीकार भी किया था। और आज एक नियम ५२ में भी मैंने प्रश्न दिया है। सीतापुर में तीन पुल बने हुए हैं। एक तो सरकार ने गिरा दिया . . .

श्री अध्यक्ष—अभी तो नियम ५२ के प्रश्नों का समय आया नहीं . . . .

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—तो वह श्रीमन्, आज जरूर आ जाय क्योंकि हालत वहां की बहुत नाजुक हो रही है, यह आप अच्छी तरह समझ लें।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के नेता से यह जानना चाहता हूं कि आज २४ तारीख के बाद से सदन के आगे के कार्य-क्रम की जो सूचना सदस्यों के पास भेजी गयी थी वह वही है या उसमें कोई परिवर्तन होने जा रहा है ? यदि हां, तो उस परिवर्तन को मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—२९ तारीख तक की जो सूचना दी गई वह तो वैसी ही रहेगी। ३० को सदन और बैठेगा और फिर यह सदन विसर्जित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप देखें बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो अचानक हमारे सामने आती हैं, जैसे आज के एजेन्डे में आप १४ वां आइटम देखें—"उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार"—यह सदन की मेज पर एक साल पहले रखा गया था पर इस आइटम को पिछले एजेन्डे में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया तथा जो बाद में कार्य-क्रम भेजा गया है इसमें भी कहीं इसको स्थान नहीं दिया गया। आज अचानक हमारे सामने यह आ गया, तो कैसे इस पर विचार कर सकते हैं ? इतने शार्ट नोटिस पर न तो हम संशोधन दे सकते हैं और न अच्छी तरह स्टेप ही कर सकते हैं। अभी आपने रूलिंग दी है कि जो चीजें बिना नोटिस के आयेंगी उनको आप नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष—११ तारीख को सूचना दे दी गई थी। इसके बारे में तो जब ११ तारीख को यह चर्चा हुई कि २४ तारीख के लिये कोई सरकारी काम नहीं है क्योंकि इंटर-मीडियेट बिल आ नहीं रहा है तो यह तय हुआ था कि नियमों के संशोधन जो पड़े हुये हैं और जिन पर अभी तक विचार नहीं हुआ है वे ले लिये जायंगे और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट भी ले ली जायगी और बाढ़ के ऊपर बहस होगी, ये तीनों चीजें मैंने उस रोज आज के लिए एनाउंस कर दी थीं और मैं समझता हूं कि वहां तक अगर पहुंच पायेंगे तो होंगी नहीं तो नहीं होंगी क्योंकि बाढ़ में ही बहुत समय लग जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक जो आने वाला था उसकी क्या हालत हो रही है, वह आयेगा या नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—वह तो नहीं आयेगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि सदन ३० तारीख को स्थगित हो जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आम चुनाव के

पहले पुनः सदन बैठेगा या नहीं, क्योंकि हमको ऐसा पता चला है कि सहकारिता वाले बिल को सरकार का लाने का इरादा नहीं है जो मेरी राय में बहुत ही महत्व का बिल है और इस समय राज्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस बारे में आप उनका स्पष्टीकरण दिलाने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी तब सरकार उस पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझेगी तो अवश्य सदन को बुलायेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह जो सदन को स्थगित करने का विचार हुआ है, यह आज उनकी जो पार्टी मीटिंग हुई उसमें सरकारी पक्ष कमजोर था इसलिये तय कर लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, आप इसका कारण बतलायें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अपने साथियों के समक्ष यह कारण व्यक्त किया था और स्वतः मैंने इस विषय का निर्णय लिया था कि जो समाचार मेरे पास जिले-जिले से बाढ़ के सम्बन्ध में आ रहे हैं वे ऐसे हैं तथा इस बात की आवश्यकता है कि हमारे माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जायं और स्वतः वहां के लोगों की हालत देख कर सरकार को भी बतायें और उन लोगों को जो आज बाढ़ के कारण परेशानी में पड़ गये हैं उन्हें सान्त्वना भी दें और सहायता भी प्रदान करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री जी इस साल भी वैसी ही बाढ़ आने की उम्मीद करते हैं जैसी कि पारसाल आई थी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बाढ़ पर जब आयेंगे तब देखा जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, जैसी कि बाढ़ पारसाल आई थी वैसी ही आने का डर है ....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह परिवर्तन हुआ है कि ३० तारीख को असेम्बली बंद हो, सहकारिता बिल के आने की आशा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर विचार करेंगे और आवश्यकता होगी, तो सदन बुला लेंगे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, हम लोगों के प्रश्न आखिर में लग जाते हैं और उनके लिये समय नहीं मिल पाता है और दूसरे प्रश्नों में अवसर नहीं मिल पाता है। इसके लिये कई बार कहा। लेकिन आपने कहा कि जो दिलचस्पी लेते हैं उनको समय मिलता है। जब हम लोग खड़े होते हैं तो आप की निगाह पहुंचती नहीं है और कुछ लोगों पर बार-बार पहुंचती है। आखिर इसका क्या कारण है ? अगर हम अव्यवस्था करें तो आपकी प्रतिष्ठा भंग होगी और आप खयाल नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं आपको भी कई दफा बुला चुका हूं। ऐसा नहीं है कि आप न बोलते हों।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—[****]

नोट—[****] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ आ रही है ,इसके लिये माननीय सदस्य जायं और जो गड़बड़ी हो उसको बतायें, तो कैसे बतायेंगे क्योंकि सदन नहीं चलेगा, इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि तीन रोज की छुट्टी है और २८-२९ को सप्लीमेंटरी बजट आयेगा और ग्रांट के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, यह उनका मतलब था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता बिल लाने का इससे पहले जो सरकार थी, उसका प्रस्ताव था। इस सरकार ने इसको बिल की शक्ल में पेश किया और जब पार्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक होती है तब तो सदन बुला लिया जाता...

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, अभी पुजारी जी ने कहा उसके बारे में [×××] मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष---आप प्रिविलेज का मोशन लाना चाहते हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं चाहता हूं कि ये शब्द निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---जी हां, निकाल दिये जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारा निवेदन यह है कि इसी सरकार की ओर से माननीय मंगला प्रसाद जी एक प्रस्ताव ले आये कि १८ तारीख को जो संयुक्त प्रवर समिति की रपट सदन में प्रस्तुत होने वाली थी उसकी अवधि ३१ तारीख तक बढ़ा दी जाय और उस दिन भी बाढ़ आई हुई थी, तो अब कोई नई परिस्थिति नहीं हुई और अब सदन नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट नहीं आयेगी और इसके लिये अवधि बढ़ाने का दूसरा प्रस्ताव आयेगा, तो क्या यह मर्यादित चीज़ हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री जी सूचना दे दें कि कब तक प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जायगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी नहीं, बाद को बता देंगे।

श्री अध्यक्ष---शाम को बता दीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, ३० अगस्त तक सदन की बैठक समाप्त हो रही है तो कोई सम्भावना इसके आगे चलने की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि अगर आवश्यकता होगी तो इस बिल के लिये सदन बुला लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचना देता हूं कि "सन् १९६१ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २३ अगस्त, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।"

नोट---[×××] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्रम मंत्री तथा उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक प्रिविलेज का प्रश्न राजनारायण जी ने श्रम-उपमन्त्री के उत्तर के सम्बन्ध में मेरे पास भेजा है। जो उत्तर उन्होंने दिया, उग्रसेन जी के प्रश्न के बारे में, उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न है। वह कहते हैं कि यह गलत दिया। तो मैं उपमंत्री जी से जानना चाहता हूं, उनके पास भी नोटिस पहुंच चुकी है, उसके बारे में उनको कुछ कहना है? कहना हो तो मैं विचार करूंगा।

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—पहले, जो प्रश्न पूछा गया था, उसको पढ़ दीजिये। उसके बाद जो उत्तर दिया गया वह पढ़ दीजिये। फिर आप अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री वसी नकवी—प्रश्न यह था-क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि प्रश्नकर्ता ने गीता प्रेस में मजदूर सभा की ओर से एक मांग-पत्र दिया था कि इसकी जांच की जाय और इसकी जांच लेबर इंस्पेक्टर कर रहे थे कि बीच ही में यह तालाबन्दी कर दी गयी और इन २७५ मजदूरों को अलग कर दिया गया? मेरा जवाब यह था इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है, यह जवाब था।

श्री अध्यक्ष—इत्तला और जानकारी में कोई फर्क नहीं है।

श्री वसी नकवी—इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस विषय में कुछ गलतफहमी है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्री उग्रसेन जी ने वाद-विवाद उठाया था, उसका विषय था गीता प्रेस के मजदूरों की तालाबन्दी। अपने बयान में मैंने यह बता दिया था कि तालाबन्दी गीता प्रेस ने नहीं बल्कि उनके दो ठेकेदारों ने, जिनका बुक बाईंडिंग का ठेका था, उन्होंने की थी। सप्लीमेंटरी में उनका सवाल यह था जो मैं फिर पढ़ रहा हूं—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि प्रश्नकर्ता ने गीता प्रेस मजदूर सभा की ओर से एक मांग-पत्र दिया था कि इसकी जांच की जाय और इसकी जांच लेबर इंस्पेक्टर कर रहे थे कि बीच ही में तालाबन्दी कर दी गयी और इन २७५ मजदूरों को अलग कर दिया गया? श्रीमन्, अगर गौर से देखा जाय तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस बात पर जोर दिया था कि लेबर इंस्पेक्टर की जांच के दौरान ही में तालाबन्दी कर दी गयी और २७५ मजदूरों को अलग कर दिया गया है। चूंकि सरकार को इसकी कोई इत्तला नहीं थी लिहाजा उसका जवाब मैंने यह दिया था कि सरकार को इसकी कोई इत्तला नहीं है। इस सवाल का पहला हिस्सा जिसको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी समझा, उसकी वजह से उसका जवाब नहीं दिया। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, मेरा मतलब दौराने जांच की तालाबन्दी से व २७५ मजदूरों के निकाले जाने से था न कि दरख्वास्त के न मिलने के बारे में। यह सही है कि लगभग साढ़े चार महीने पहले ११ अप्रैल, १९६१ को श्री उग्रसेन जी ने एक मांगपत्र माननीय मंत्री जी को गीता प्रेस के बारे में दिया था जिसमें कई बातें उठायी गयी थीं, जैसे कि मजदूरों की तनख्वाह कम है, उनका डेजिगनेशन ठीक से नहीं दिया गया, मजदूरों को कुली कह कर पुकारा जाता है, उनको प्राविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेच्युटी नहीं मिलती, उनके रहने के लिये मकानों का इंतजाम नहीं ह। अलबत्ता एक मांग कंट्रेक्ट लेबर के बारे में भी थी जिस विषय में मैंने स्टेटमेंट दिया था। उसका ताल्लुक सिर्फ तालाबन्दी से था। मेरा मतलब हरगिज यह नहीं था कि सरकार को मांग-पत्र ही नहीं मिला और मेरा कोई मतलब सदन के सामने गलतबयानी करने का नहीं था। मैं समझता हूं कि इससे स्थिति साफ हो जायगी।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप की आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर दे दूं ।

श्री अध्यक्ष---मैंने भेज ही दिया था उनको, अब पढ़ना चाहें तो पढ़ दें।

श्री राजनारायण---जो मैंने सचिव को पत्र लिखा था वह इस प्रकार है:---

"श्री सचिव, विधान सभा, लखनऊ,

प्रिय महोदय, गत २२ अगस्त, सन् ६१ को गीता प्रेस गोरखपुर, के प्रबन्धकों की ओर से की गयी तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन जी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के प्रश्न पर सदन में श्रममंत्री की ओर से उपमंत्री श्री वसी नकवी जी ने उत्तर दिया था प्रश्नोत्तर के मध्य में श्री उग्रसेन जी के इस प्रश्न पर कि "क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि प्रश्नकर्ता ने गीता प्रेस से मजदूर सभा की ओर से एक मांग-पत्र दिया था कि इसकी जांच की जाय और इसकी जांच लेबर इंस्पेक्टर कर रहे थे, बीच में ही यह तालाबन्दी कर दी गयी और यह २५० मजदूरों को अलग कर दिया।" श्री उपमंत्री जी ने उत्तर दिया कि "इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है।" माननीय मंत्री जी, उपमन्त्री जी सभी सदन में उपस्थित थे। माननीय उग्रसेन जी गीता प्रेस मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, श्री मधुकर दिघे जी, जनरल सेक्रेटरी हैं। यह दोनों सज्जन माननीय मंत्री जी को मांगपत्र दिये थे। उसी मांग-पत्र में जांच की मांग की गयी थी। गीता प्रेस के मालिकान करोड़पति हैं। धर्म के नाम पर कई प्रकार की छूट सरकार से प्राप्त किये हैं। मजदूरों को कानून की दृष्टि से सहूलियत तथा सुविधा नहीं देते, मजदूरों को भांति-भांति से परेशान करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रत्यक्ष ढंग पर कल यह कहा कि उग्रसेन जी ने मांगपत्र दिया था इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं है। यह सरासर असत्य है और जानबूझ कर सदन को धोखे में रखने के लिये मंत्री जी ने सत्य को छिपाया है। मंत्री जी का यह षड्यन्त्र इसलिये है कि मजदूरों के साथ होने वाला अन्याय छिप जाय और गीताप्रेस मालिकान मनमानी करते रहें, यद्यपि यह उत्तर सदन में श्री वसी नकवी साहब ने दिया, सरकार की ओर से, मगर श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी भी बैठी थीं, उन्होंने भी किसी स्तर पर हमारे बार-बार कहने के बावजूद इस रहस्य को नहीं प्रकट होने दिया कि उग्रसेन जी ने मांग-पत्र दिया है। इस प्रकार जानबूझ कर सदन से सत्य का छिपाना सदन का अवमान है और प्रत्येक सदन का अवमान विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है। अतः हम श्रीमती सुचेता कृपालानी जी तथा वसी नकवी साहब के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आज उठाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने पढ़ा, लेकिन आप अब यह बताइये कि उपमंत्री जी के एक्सप्लेनेशन के बाद यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री राजनारायण---माननीय मंत्री जी ने जो सफाई दी है उसे श्रीमन्, आपने और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने सुना है। वह सफ़ाई इतनी लचर है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय मंत्री जी अब भी सदन में वस्तुस्थिति को प्रकाश में नहीं लाना चाहते। माननीय उग्रसेन जी का तो यह प्रश्न था लेकिन इस बन्दे ने, जिसने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, दो बार खड़े हो कर कहा और आपसे निवेदन किया कि श्रीमन्, यह देखा जाय कि माननीय उग्रसेन जी स्वतः जाकर माननीय मंत्री जी को मांगपत्र देकर आये हैं लेकिन इतने कहने के बाद भी वह जवाब ठीक नहीं दे रहे हैं। तो यह कहना कि उन्होंने उसका अर्थ वह लगा लिया जो वह कहते हैं, यह औचित्य से परे है। बारबार हमने अपनी ओर से निवेदन किया, उसके बाद इस बारे में इस प्रकार के उत्तर की कोई गुंजायश नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आप ने कार्यवाही के समय यह कहीं नहीं कहा जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

श्री राजनारायण--मैंने इसमें कहा है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आप ने उस वक्त कोई संकेत नहीं किया था कि आपने कोई प्रश्न इस प्रकार किया और उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ऐसा है जिस पर बहुत टेक्निकल हों, ऐसी बात नहीं है, उसको सर्वांगीण लिया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय उग्रसेन जी ने जो प्रश्न पूछा था अगर उसी को पढ़ा जाय और उसी का भाष्य किया जाय तो किसी स्तर पर यह नहीं आता है कि इंस्पेक्टर की जांच के बीच में केवल तालाबन्दी से ही सम्बन्धित था। माननीय उग्रसेन जी के प्रश्न से यह साफ है कि मैंने माननीय मंत्री जी के पास स्वतः जाकर के वह मांग-पत्र दिया और इस बात से उस समय बार बार आग्रह करने पर भी सदन को अवगत नहीं कराया गया। सदन से इसे छिपाया गया। इसलिए यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अवश्य बनता है। जहां तक संसदीय परम्पराओं की जानकारी हमें है, हमने इसकी पूरी छानबीन करके और बहुत ही एहतियात के साथ आपकी सेवा में इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को प्रस्तुत किया है। प्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई खेद प्रदर्शित करते और यह कहते कि हमने समझा नहीं, तो यह तो उधर से हो नहीं रहा है बल्कि उस दिन की की हुई गलती को आज फिर दूसरे प्रकार से रखने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रश्न निश्चित रूप से बनता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--चूंकि प्रश्न मैंने उठाया था. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाज़त नहीं देता हूं। प्रश्न आपने नहीं, राजनारायण जी ने उठाया है।

श्री उग्रसेन--मैं कुछ निवेदन कर दूं, जिसमें कि आपको सफाई हो जाय. . . . . .

श्री अध्यक्ष--मुझे सफाई काफी हो चुकी। आप कृपा करके बैठें। इस सम्बन्ध में मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने जो सफाई पेश की है वह मैंने उनको सूचना दी उसके बाद भी उन्होंने खद प्रकट नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह उचित था उनके लिए अगर वह उसका अर्थ समझे नहीं थे। उनके इस उत्तर से कि "उनको जानकारी नहीं है" स्पष्ट अर्थ होता है कि उनको पूरी बात की ही जानकारी नहीं है। और मैंने उनसे कहा कि अगर वह उसको समझे नहीं थे तो वह खेद प्रकट कर सकते थे कि जो उत्तर उन्होंने दिया उसमें प्रश्न को वह ठीक से समझे नहीं थे। यह इतनी बात स्वीकार करना चाहिए थी और मैं राजनारायण जी से भी कहूंगा कि उनका इरादा गलत जवाब देने का नहीं था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि दूसरा अर्थ उसका यह भी लिया जा सकता था कि उनको किसी बात की ही जानकारी नहीं थी। तो जब उपमंत्री जी ने दूसरा अर्थ समझा तो वह यह कह सकते थे कि मुझे खेद है गलत-फहमी मेरी ऐसी हो गई। यह कहना उनके लिए आवश्यक था और मैं समझता हूं कि मंत्री जी बैठी हुई हैं यहां पर। यह बात ऐसी छोटी-सी है कि इस विषय में उनको और चीजों को छोड़ कर, अगर उन्हें मालूम नहीं था या याद नहीं था, तो इतना ही कह देतीं कि हमें याद नहीं, दिया या नहीं दिया या सूचना मांग सकती थीं, वही काफी था। लेकिन सरकार को इत्तला नहीं है, ऐसा कहने में गलती अवश्य हो गई . . . . . .

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--आप अगर इजाज़त दें तो मैं कह दूं--मुझे यह कहने में कोई एतराज़ नहीं है। मुझे खेद है, यह चार-पांच महीने की बात हो गई थी, मुझे याद नहीं रह गया था। सदन से जाने के बाद मैंने डिपार्टमेन्ट वालों से पूछा तो मालूम पड़ा कि अप्रैल में चिट्ठी आयी थी। उस वक्त हमारे सामने वह कागज़ था नहीं और जवाब दे रहे थे उपमंत्री जी। उनको चाहिए था यह कहना कि नोटिस चाहिए। यह उनकी तरफ से गलती हुई।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि इसे यहां पर समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, माननीया मंत्री जी ने जो कहा है तो अब वह महिला हैं ही और आपकी आज्ञा है, तो वह शिरोधार्य है और इस बात को हम समझ कर समाप्त करते हैं कि उनको समय नहीं रहा, वह देख नहीं पायीं, समझ नहीं पायीं, आइन्दा वह समय दिया करें, देखा कर, समझा करें और अपने कर्त्तव्यों का पालन किया करें तथा संसदीय परम्पराओं से अपने को अवगत करें।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष——अब जितने प्रश्न हमारे पास आये हैं नियम ५२ के अन्तर्गत, चूंकि ३० तारीख तक उन्होंने कहा है कि सदन बैठेगा तो एक तो यह गौरी शंकर राय जी का है जालौन में सभापति की हत्या के सम्बन्ध में, वह उसकी जानकारी चाहते हैं, उनका कहना है कि वह एक राजनीतिक हत्या है, तो उसको मैं ३० तारीख के लिए रख रहा हूं। वह भी प्रश्न पूछेंगे उसमें, क्योंकि यह कहा जायगा कि कल गृहमंत्री ने अपने वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कुछ बात कह दी थी लिहाजा इसको स्वीकार न किया जाय लेकिन श्री गौरीशंकर जी को उस वक्त कोई प्रश्न पूछने का मौका नहीं हो सकता था, इसलिए नियम ५२ में मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और ३० तारीख को इसे रखा है ।

और अवधेश सिनहा जी का जो है सीतापुर के पुलों के बारे में उसके बारे में ३० को ही इसके बाद सूचना माननीय मंत्री जी देंगे ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)——श्रीमन्, हमारा प्रश्न आप देख लीजिए, ११ तारीख से चल रहा है ....

श्री अध्यक्ष——ठीक है, ३० को वक्तव्य देंगे माननीय मंत्री जी ।

जिला गढ़वाल की लैंसडाउन तहसील में एक आदमखोर शेर ने ५ आदमियों को मार डाला है । उसके संबंध में नारायणदत्त जी तिवारी नियम ५२ के अन्दर वक्तव्य चाहते हैं । यह विषय नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आता है । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——श्रीमन्, यह आदमखोर शेर के प्रबन्ध करने का मामला है जिसने ५ आदमियों को मार डाला है ।

श्री अध्यक्ष——आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर सकते हैं ।

देवरिया जिलान्तर्गत हाटा के निकट पुल के ध्वस्त होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——श्रीमन्, हाटा गन्ना विकास कमेटी, जिला देवरिया ने ४ मेहराबों का पुल मऊ नाला पर सकरौली के निकट बनाने का प्रस्ताव पास किया । पुल की लागत २०,५०० रुपये आंकी गई । जब तखमीने पर हाटा गन्ना विकास कमेटी के अध्यक्ष की स्वीकृति हो गई तो पुल निर्माण का ठेका श्री सीताराम, निवासी देवरिया मीर, तहसील देवरिया, जिला देवरिया को १६-२-६० को दिया गया । ठेकेदार ने २० फरवरी, १९६० को निर्माण-कार्य आरम्भ किया, पर इसके बजाय कि वे सम्पूर्ण कार्य (चारों मेहराबों) को एक साथ बनाते उन्होंने सब से पहले उत्तरी छोर के पहले मेहराब को बनाया फिर सब से दक्षिण की तरफ वाला मेहराब बनाया । उसके बाद दक्षिण का दूसरा मेहराब बनाया । इस मेहराब का ढोला (सांचा) बनाने के संभवतः सातवें दिन २९ जुलाई, १९६१ की शाम को ५ बजे खोला जा रहा था । एक खम्भा मेहराब के भार को न संभाल पाने के कारण टूट

गया जिससे पूरी मेहराब गिर पड़ी जिसके नीचे ४ व्यक्ति दब गये । एक व्यक्ति तो मलवा से बाहर निकालते ही वहीं पर मर गया । शेष तीन व्यक्तियों को देवरिया अस्पताल में ले जाया गया । जहां एक व्यक्ति और मर गया । तीसरा व्यक्ति जिसके कम चोट लगी थी अच्छा हो कर अस्पताल से आ गया पर चौथा व्यक्ति अभी अस्पताल में है । उक्त चारों व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:—

(१) स्वर्गीय श्री किशुन, आत्मज सुक्खू, आयु २५ वर्ष, निवासी ग्राम महादेवा जिन्होंने अपनी विधवा तथा तीन बच्चे जिनकी आयु ६ वर्ष के अन्दर ही है, छोड़े हैं ।

(२) स्वर्गीय श्री लहव्वर, आत्मज बली, आयु १८ वर्ष निवासी ग्राम महादेवा जिन्होंने अपनी विधवा को छोड़ा है जिसके अभी कोई बच्चा नहीं है । इनके मां बाप भी नहीं हैं । केवल दो भाई हैं जिनकी आयु २५ वर्ष तथा १२ वर्ष है ।

(३) श्री रामा, आत्मज सौसार कुम्हार, आयु २० वर्ष, निवासी गांव बारी पगार । ये देवरिया के अस्पताल में अभी हैं ।

(४) श्री रंगई आत्मज मंगरू 'हरिजन' आयु २० वर्ष निवासी पगार के बारीगांव टोला, जो अस्पताल से अच्छे होकर १०, १५ दिन बाद घर आ गये ।

२—इस दुर्घटना की जांच करने पर पता चला कि पुल टूटने का कारण सब मेहराबों को एक साथ न बनाना था । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता का कहना है कि ईंटों की जितनी मेहराबें बनानी होती हैं सब एक साथ बनायी जाती हैं जिससे किसी एक खम्भे पर अधिक भार न पड़े । पर इसमें ऐसा नहीं किया गया था । फलतः दूसरा खम्भा मेहराब के भार को न संभाल सका और टूट गया ।

३—इस दुर्घटना का निबंधन हाटा के थाने में ७ बजे शाम को किया गया पर दुर्घटना मान कर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

४—ठेकेदार ने जुलाई के मध्य तक १२,००० रु० का कार्य किया था जिसमें से उसको ९,६६० रुपये ६८ नये पैसे का भुगतान किया जा चुका है तथा १,०९६ रुपये ३५ नये पैसे जमानत के रूप में कमेटी के पास जमा हैं ।

५—ठेकेदार का जवाब तलब किया गया है जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चार मेहराब का जो यह पुल बन रहा था वह किसके आदेश से ठेकेदार ने बजाय १५ दिन के ७ दिन में ही खोल दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसको खोलने के लिये किसी ने आज्ञा नहीं दी थी । पुल बनाना उसका काम था । उसको समय पर खोलना चाहिये था । उसको यह देख लेना चाहिये था कि वह इतना मजबूत हो गया है जिससे उसके गिरने की संभावना नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि दो मजदूर मर गये और एक की हालत अस्पताल में चिन्ताजनक है कोई कानूनी कार्यवाही विभाग की ओर से करने के आदेश देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलाधीश ने जवाब मांगा है ठेकेदार से और वह जो कुछ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है उस पर विचार करग ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पूरे मामले में दुर्घटना की जिम्मेदारी किसी ओवरसियर पर भी सरकार ने आरोपित की है अथवा केवल ठेकेदार पर डाली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई विशेष ओवरसियर किसी विशेष काम के लिये नहीं हुआ करते । यह पी० डब्लू० डी० का पुल नहीं है । कई सोसाइटियां मिल कर एक ओवरसियर रखती हैं । लिहाजा जो उसको इन्तजाम करना चाहिये था वह नहीं किया गया और जो रिपोर्ट है उससे जाहिर है कि जिम्मेदारी ठेकेदार की थी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---किसकी निगरानी में इस पुल का निर्माण हो रहा था ?

श्री रामस्वरूप यादव---हाटा गन्ना विकास कमेटी ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाटा विकास समिति के पास कोई ओवरसियर है या इसी तरह का कोई टेक्निकल आदमी उनके पास है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह मैंने निवेदन किया है कि ५ सोसाइटियों के बीच एक ओवरसियर रहता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस पूरे मामले को एक दुर्घटना बतलाया गया है, तो क्या सब मेहराब अगर एक साथ बने होते तो शायद यह दुर्घटना न होती और क्या एक-एक मेहराब बनना ही दुर्घटना का कारण समझते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह भी एक कारण है और यह भी हो सकता है कि ठेकेदार ने ढांचा जल्दी खोल दिया हो, यह भी हो सकता है कि सीमेंट कम लगायी हो । लेकिन मुख्य कारण यह मालूम होता है कि एक एक मेहराब बनायी गयी । अगर एक साथ बनायी जातीं तो शायद दुर्घटना न होने पाती ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---जो मजदूर इस दुर्घटना में मरे हैं और जो घायल हुये हैं उनको किसी तरह का मुआवजा देने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार तो श्रीमन्, बीच में आती नहीं, वह तो ठेकेदार और ठेका देने वाले से संबंधित मामला है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि यह ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी काम करता था और वर्तमान नियमों के अनुसार जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को ठेकेदार से मुआवजा दिलाने की बात सरकार स्वीकार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं यह नहीं बतला सकता कि यह ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी ठेका लिया करता था, लेकिन हर ठेके की शर्तें अलग-अलग होती हैं, इस ठेके की शर्तें भी अलग होंगी ।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार को मालूम है कि इस पुल का ठेका गत दो वर्षों से दिया गया था और उसमें ५,००० रुपया खर्च किया गया था जब कि कुल पुल के लिये २१,००० रुपये का ठेका था । इसलिये कमजोर पुल बना और एक ही लकड़ी के सांचे से दूसरा हिस्सा बनाने के लिये उसे जल्दी खोल लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ठेका तो १६ फरवरी, १९६० को दिया गया था और यह भी सूचना है कि ठेकेदार किसी अच्छी कोटि का नहीं था । उसके पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी । लेकिन मैंने निवेदन किया कि १२,००० रुपये का वह काम कर चुका था मध्य जुलाई तक ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उस ठेकेदार और केन कौंसिल के चेयरमन का नाम क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ठेकेदार का नाम है सीताराम और चेयरमैन के नाम के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन ओवरसियर हैं केन डेवलपमेंट कौंसिल के जिनकी देखरेख में यह पुल बनाया जा रहा था और जिन्होंने १२,००० रुपये के बिल पेमेंट के लिये पास कर दिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो मौतें हुई हैं उनसे अगर सरकार का संबंध नहीं है तो किनसे उनका संबंध है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो इससे उठता नहीं ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---इन दिनों जितने निर्माण-कार्य चल रहे हैं उन सब में त्रुटियां पायी जाती हैं जैसे राप्ती का पुल अभी हाल ही में टूट गया, तो इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी जो निर्माण-कार्य चल रहे हैं उनका कोई सर्वे कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सर्वे कराने की कोई जरूरत नहीं है और न यह इतना महत्वपूर्ण विषय ही है । हजारों पुल विभिन्न विभागों द्वारा बना करते हैं, कहीं कोई डिफेक्ट हो जाने से वह टूट भी जाते हैं और जहां गिर जाते हैं वहां पर संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं ।

श्री मदन पाण्डेय---श्रीमन्, हम लोगों को इधर पुलों के गिरने की सूचना मिली थी । राज्य के कई स्थानों पर पुल गिरे हैं, आज कल यहां सदन में भी उसकी बात मालूम हुई थी । तो मैं यह स्पष्ट जानना चाहता था कि ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी, जो इस समय निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में जनरल सर्वे कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो त्रुटियां उनमें रह जाती हैं, जिनके कारण पुल गिर जाते हैं, वे भविष्य में दूर हो सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो उत्तर दे दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का कोई आदेश करेंगे कि केन यूनियन वाले जो सड़क आदि बनाते हैं वे अपने विभाग में सर्वेक्षण के लिये तथा जांच आदि के लिये एक इंजीनियर रखें ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं इतना तो कह सकता हूं कि वहां पर जो एक ओवरसियर ५-५ सोसाइटियों के कामों को देखने के लिये रहता है वह अपने काम को ठीक तरह से नहीं देख सकता और यह संभव भी नहीं है । लेकिन सरकार की ओर से कोई इंजीनियर नहीं दिये जा सकते, वैसे इसके कुछ नियम बने हुये ह और उसके अनुसार वे हमारे इंजीनियरों से काम करा सकते हैं किन्तु उसके लिये उनको कुछ पैसा देना पड़ता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन चेयरमैन साहब ने ठेका दिया है वह सरकार द्वारा नामिनेटेड हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---सरकार ने उत्तर दिया कि इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है और सरकार को जानकारी भी बहुत कम है । जब से यह नया मंत्रिपरिषद् बना है तबसे

[श्री गौरीशंकर राय]

करीब १०० से अधिक व्यक्तियों की मृत्युएं भी हो चुकी हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अगले ६ महीनों में अभी कितने और व्यक्तियों के मारे जाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, इधर कई जगह के पुल टूटने की बात हमारे सामने आई, दोहरीघाट नहर के पुल के टूटने की भी बात आई, राप्ती नदी के पुल के टूटने की भी बात हमारे सामने आई, और उसका कारण यह भी रहा है कि आजकल बालू और सीमेंट के अनुपात में काफी गड़बड़ी रहती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी रोकथाम के लिये भी कुछ कर रहे हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सही है कि बालू और सीमेंट के अनुपात में गड़बड़ी हो सकती है और ठेकेदार लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन उसके लिये २४ घंटे के लिये तो चौकीदार को बिठाला नहीं जा सकता है। जो कार्य होता है वह संबंधित विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में होता है और वह इतना ज्यादा होता है कि हर वक्त के लिये चौकीदार नहीं रखा जा सकता। बीच-बीच में चेकिंग होती रहती है और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट भी रहते हैं जो देख कर इस बात को बता सकते हैं कि अमुक स्थान पर किस-किस अनुपात में बालू और सीमेंट लगाया गया है। और इसकी चेकिंग होती रहती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं, लेकिन मुझे प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया गया जबकि मैंने भी इस प्रश्न को दिया था। इस तरह तो हमारा यहां बैठना ही बेकार है।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपका नाम नहीं देखा था, उग्रसेन जी का ही देखा था, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—यह शिकायत तो मुझे करनी थी क्योंकि मैं बार-बार खड़ा होता हूं और मुझे समय नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—दो आदमी मर गये और दो घायल हुए तो सरकार के पास ऐसा कानून है, ऐसी विधि है जिससे इनके परिवारों को कुछ मुआविजा मिले और ठेकेदार या ओवरसियर ने जो गलती की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार बीच में नहीं आती, लेकिन ऐसे आदमियों के हर परिवार को अधिकार है कि अगर किसी कारणवश कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर है जिसकी वजह से कोई परिवार का आदमी मर गया है तो वह उसके खिलाफ कंपेन्सेशन का दावा कर सकता है। वह परिवार वालों को करना चाहिये। और जिलाधीश देख रहे हैं कि उचित कानूनी कार्यवाही की जाय। दीवानी में दावा करके वह ठेकेदार से पैसा हासिल कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरे यहां कमरे का प्लास्टर उखड़ा हुआ है अगर वह गिर पड़े और मुझे कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी या ठेकेदार, यह मुझे बताया जाय ? (हंसी)

प्रदेश की विभिन्न नदियों में बाढ़ के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, जो बयान छपाकर बांटा गया है उसमें बलिया जिले का कोई जिक्र नहीं है जिसमें अक्सर बाढ़ आया करती है और बाढ़ से सबसे ज्यादा त्रस्त है ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---वह विवरण में आ जायगा ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, १९ अगस्त तक जैसे आंकड़े हासिल हो सकते थे वह बांट दिये गये हैं । उसके बाद भी जानकारी हुई है, अब भी बांटने के पहले हुई है, वह दोनों बयान कर देंगे ।

जो पहला स्टेटमेंट* हैं उसमें यह स्थिति लिख दी गयी है कि पहला पखवारा जो अगस्त का था, १९६१ का उसके आंकड़े दिये गये हैं । दूसरा स्टेटमेंट** जो बांटा गया है वह बाढ़ में अतिवृष्टि से जो हानि जिलेवार हुई है, नदियां जिनमें बाढ़ आयी है, रकबा जिस पर असर पड़ा है, गांव जिनमें असर पड़ा है, जन तथा पशुहानि, फसल हानि इत्यादि उसमें दी हुई है । तीसरे स्टेटमेंट† में तकावी और सहायक अनुदान और बचाने के जो उपाय इन फ्लड्स के सिलसिले में हुए हैं उनका विवरण दिया हुआ है।

श्रीमन्, वर्षा अभी जारी है । स्टेटमेंट भेजते वक्त भी बारिश हो रही थी । आज ही बारिश नहीं हो रही है, कल तक थी ।

१९ अगस्त तक की जो स्थिति थी वह श्रीमन्, इस प्रकार है । १४,५३,८८८ एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें नदियों का विवरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप जारी रखें ।

श्री रामस्वरूप यादव---७६८८ गांव प्रभावित हुये, १०७९१ मकान गिर गये, ११३ व्यक्तियों की मौतें हुईं, ३९६ पशु खत्म हो गये ।

इन ३–४ दिन के अन्दर जो स्थिति हुई है उसके हिसाब से स्थिति इस प्रकार है---

इस बाढ़ में १७,८८,६६२ एकड़ भूमि प्रभावित हुई है, ८,७७१ गांव प्रभावित हुये हैं, १३,३३१ मकान गिरे हैं । ३–४ दिन के बाद जिन व्यक्तियों की मौतें हुई हैं वे १२९ हैं और मरने वाले पशुओं की संख्या ४१८ है ।

१२५ हजार रुपये का अनुदान दिया जा चुका है । ५ लाख ९ हजार रुपया इससे पहले अनुदान के रूप में दिया जा चुका था ।

जो जिले प्रभावित हुए वे इस प्रकार हैं---

अलीगढ़, बुलन्दशहर, बलिया, बदायूं, बहराइच, रामपुर, फर्रुखाबाद और गोरखपुर ।

---

* देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०४–३०५ पर ।

** देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३०६–३१२ पर ।

† देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३१३–३१८ पर ।

[श्री रामस्वरूप यादव]

२८ जुलाई से पानी अधिक होना शुरू हुआ । कुछ जिलो में नार्मल से ज्यादा वर्षा हुई है । करीब-करीब सब जगह ज्यादा वर्षा हुई है लेकिन जिनमें अधिक हुई है वे इस प्रकार हैं—

मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, मथुरा, झांसी, जालौन, हरदोई, शाहजहांपुर और खीरी ।

(इस समय १२ बज कर ४७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

इनमें वर्षा सामान्य से अधिक हुई है । कहीं दुगनी भी हो सकती है लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है ।

इंचों में वर्षा इस प्रकार से हुई है—

बुलन्दशहर ९.२५, शाहजहांपुर ८.४२, बिजनौर ६.७२, प्रतापगढ़ ४.९०, सीतापुर ३.५५, गोरखपुर ८.९१, रामपुर ८.२६, बरेली ६.४५ और फतेहपुर में ४.२० ।

वर्षा के कारण स्वाभाविक है कि नदियों में बाढ़ आ गयी है । कई नदियां काफी बढ़ गई हैं । गंगा, सहारनपुर और बुलन्दशहर में १०–११ अगस्त को ही, खतरे के बिन्दु को पार कर गयी थी, गाजीपुर में ९ अगस्त को खतरे के बिन्दु को पार कर गयी थी । तीसरे सप्ताह में सहारनपुर में पानी कम होना शुरू हो गया था ।

नरौरा में १९ अगस्त को नार्मल फ्लड मार्क को पार कर गयी थी और वाराणसी में मिनिमम फ्लड मार्क को पार कर गयी थी ।

जमुना जुलाई के दूसरे सप्ताह में बढ़ना प्रारम्भ हुई और ओखला में इस माह के पहले सप्ताह में खतरे के बिन्दु से कुछ ही नीचे थी । इटावा में खतरे के बिन्दु से आधा फुट नीचे रह गयी थी ।

देवरिया जिले में गंडक बाढ़ बिन्दु तक पहुंच चुकी है ।

बलिया में घाघरा बाढ़ बिन्दु तक पहुंच चुकी है १२ अगस्त को ।

बस्ती में राप्ती १८ अगस्त को बढ़ती जा रही है और लो फ्लड लेविल तक पहुंच गयी थी और पांसी स्थान पर फ्लड मार्क तक पहुंच गयी थी ।

गोरखपुर जिले में राप्ती मिडियम फ्लड लेविल को २१ तारीख को पार कर चुकी है और बानगंगा बस्ती जिले में २० अगस्त से बढ़ती चली जा रही है। शारदा में बाढ़ नहीं आयी। शाहजहांपुर में रामगंगा ने २० अगस्त, को हाई फ्लड लेविल को पार कर लिया । बुन्देलखंड की धनांव, कायन, बेतवा नदियों में अधिक पानी बरसने की वजह से बाढ़ आयी । बांदा में कायन नदी ने ७ अगस्त को फ्लड लेविल पार कर लिया । झांसी में बेतवा नदी ७ अगस्त को फ्लड लेविल पार कर गयी और हमीरपुर में ९ अगस्त को । और नदियों में तो पानी घटना शुरू हो गया है लेकिन बेतवा में अभी काफी बाढ़ है ।

१२९ आदमियों की जो मृत्युएं हुई हैं उनमें से १०२ मृत्युएं तो चमोली आदि जिले में पहाड़ों के गिरने से हुई हैं तथा गाजीपुर व मथुरा में नावों के डूबने से हुई हैं । जहां तक ४१८ पशुओं की हानि हुई है, उनमें से २७४ पशु तो पहाड़ों के गिरने से ही मरे हैं । गाजीपुर में नाव दुर्घटना से ६० व्यक्तियों की मृत्यु हुई । मथुरा में एक नाव से कुछ लोग आ रहे थे, जो एक दूसरी नाव से टकरा गयी । उस दुर्घटना में ४८ व्यक्ति में से ३४ व्यक्तियों को वहां उपस्थित लोगों ने बचा लिया ।

अब जिलेवार स्थिति यह है कि उन्नाव में गंगा बढ़ रही है और बचत के स्थानों पर वहां के व्यक्तियों को पहुंचा दिया गया है। वहां पर ३० नावें भेजी गयी हैं। आगरा की स्थिति यह है कि वाटर लागिंग की वजह से वहां के २७ गांवों पर असर पड़ा है और यह भी आशा की जाती है कि उनमें से कुछ गांव मेरूंड हो गये हैं। उनको निकालने के लिये प्रबन्ध किया गया है। बाराबंकी में घाघरा ने ८ गांवों का कटाव किया है। अलीगढ़ की खैर तहसील में यमुना की वजह से काफी परेशानी है और वहां अतरौली के पास एक पुलिया टूट गयी है। बहराइच में घाघरा बढ़ रही है, वहां की सड़कें कट गयी हैं। और उसका असर १४१ गांवों पर पड़ा है। सरजू, राप्ती में बाढ़ नहीं है। बस्ती जिले में घाघरा व राप्ती की बाढ़ की वजह से २३ गांवों पर असर पड़ा है। आजमगढ़ की स्थिति यह है कि घाघरा बढ़ रही है। वाटर लागिंग तथा छोटी सरजू की वजह से गांवों पर काफी असर पड़ा है।

फतेहगढ़ में गंगा तथा रामगंगा नदियाँ किनारे के गांवों का बड़ा नुकसान कर रही हैं। हरदोई की स्थिति यह है कि वहां सब नदियां बढ़ रही हैं। देवरिया में बड़ी गंडक व घाघरा बढ़ रही हैं। वहां के १०८ गांवों पर बाढ़ का असर पड़ा है और वहां ५७ नावें भेजी जा चुकी हैं। वहां के जिला अधिकारी इस कोशिश में हैं कि अगर किनारे के गांवों में पानी आता है तो उनको निकालने की उचित व्यवस्था करें।

लखनऊ में ३ अगस्त से १७ अगस्त तक की स्थिति यह है कि हायर वाटर लेविल ३५७.५ फीट था और आज ३५५.२ फीट है। हरदोई, शाहजहांपुर व खीरी में ज्यादा वर्षा होने की वजह से सीतापुर जिले में भी गोमती में पानी बढ़ा है और आशंका है कि गोमती में और भी पानी बढ़े। अधिकारी आवश्यक सहायता भेजने के लिये सतर्क हैं। गोंडा में घाघरा व सरजू बढ़ रही हैं, राप्ती में भी बाढ़ है। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है और उन्होंने अखबारों में पढ़ा होगा कि बुलन्दशहर में २१ तारीख को १५० फीट चौड़ाई में बांध एक जगह कट गया, उसकी वजह से कई गांव पानी से भर गये। १३ गांवों पर असर पड़ा, वहां से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मिलिटरी ने दिल्ली की तरफ से जहां नहर में कटाव था उसे ठीक किया और मेरठ से भी फौज के अधिकारी गये थे, यू० पी० के इंजीनियर्स भी पहुंच गये हैं, आज मंत्री जी भी पहुंच गये होंगे और विभाग के सचिव भी पहुंच गये हैं और जो आवश्यक कार्यवाही है वह की जा रही है। अब मालूम हुआ है कि कटाव तो रुक गया है और वह ब्रीच ठीक कर दिया गया है लेकिन कुछ गांवों में पानी भर गया है।

गोरखपुर में २२ अगस्त को छोटी गंडक और नारायणी नहर का लेविल क्रान्सिग जो बसौरी पर है उसमें ब्रीच हो गया और उस के कारण महाराजगंज में बाढ़ की स्थिति ज्यादा भयंकर हो गई और उसका १२९ गांवों पर असर पड़ा। सिसवा बाजार में भी पानी आ गया है। अब छोटी गंडक घट रही है और रोहिनी बढ़ रही है।

बलिया की स्थिति यह है कि घाघरा और गंडक बढ़ रही हैं। खीरी में ९ तालाब और १ झील ओयल के पास भर गये हैं और वर्षा से २९ अगस्त को ऐरा शुगर फैक्टरी में पानी भर गया था, वह निकाल दिया गया है।

सीतापुर जिले में गोमती ३ फुट २१ अगस्त को बढ़ चुकी थी और सरायन भी बढ़ रही है, आसपास के रहने वालों को सचेत कर दिया गया है कि वह बाढ़ से होशियार रहें।

पिथौरागढ़ में अधिक वर्षा और पहाड़ों के गिरने से ५७ गांवों पर असर पड़ा है, ७९२५ मनुष्य प्रभावित हैं। १७ मनुष्य तथा २०० पशु मरे हैं। चोट लगने वालों की संख्या १२ है। २५३ एकड़ जमीन प्रभावित है जिसकी क्षति हुई है और सम्भावित क्षति ५० हजार रुपये की है, दूसरी सम्पत्ति की क्षति ३२ हजार की है, ५१ मकानों का नुकसान हुआ है, जो लाशें मिली हैं वे १० हैं। सड़कें जिनमें कुछ कटाव हुए हैं वे है पिथौरागढ़-असकोट, पिथौरागढ़-धरचूला, टनकपुर-पिथौरागढ़, और अल्मोड़ा-ज्योलीकोट, कुल २,५४,६०० रुपए की सड़कों की हानि हुई है। जिन गांवों में असर पड़ा है वह तहसील से ४० मील पदल के रास्ते से हैं। मैं समझता

[श्री रामस्वरूप यादव]

हूं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिले के अधिकारी जो कुछ भी सम्भव हो सकता है वह सब कर रहे हैं। इतने फासलों में जहां तक वे पहुंच सकते हैं, पहुंच गये हैं, क्योंकि तहसील से वह बहुत दूर हैं, जहां मेडिकल सहायता पहुंच सकती थी वहां पहुचा दी गई है। जहां अनुदान की जरूरत थी वहां जो सम्भव हो सकता था दिया गया है और वहां पर जो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पास भोजन आदि का प्रबन्ध नहीं था उनके लिये भी कुछ रुपया दिया गया है और सरकार का यह आदेश है कि जिलाधीश, टेलीफोन से यदि आवश्यकता हो तो, सरकार से कन्टेक्ट करके जहां कष्ट हो वहां के लिये अधिक सहायता ले सकते हैं।

आज की रिपोर्ट जो सरकार को गोरखपुर और बुलन्दशहर के बारे में अभी हासिल हुई है.....

एक सदस्य---इसमें बदायूं का जिक्र नहीं आया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे खयाल से बयान में बदायूं का जिक्र है। मैंने तो यह ब्रीफ में बता दिया है।

गोरखपुर की स्थिति के बारे में आज सुबह जो सूचना मिली है वह यह है कि छोटी गंडक का जो लेविल है वह गिर रहा है, २ फीट गिर चुका है। एक जगह स्थिति ऐसी हुई कि छोटी गंडक हैड वर्क्स का ३१८ फीट पर लेविल था जहां तक गुंजायश थी कि पानी चल सके, लेकिन पानी ३२२ फीट आया, उसके ऊपर से चला जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ नुकसान हो गया है लेविल क्रासिंग पर, उन फाटकों पर जो बसौली लेविल क्रासिंग पर हैं। एक तीन दर का पुल है---चार फर्लांग बसौली से, वह बह गया। छोटी गंडक का पानी नाले में चला गया और उससे रोहिन नदी में चला गया। रोहिन में ५ फीट पानी बढ़ गया है जिसकी वजह से तहसील फरेंदा और सदर में पानी बढ़ गया है। रोहिन ने राप्ती के ऊपर भी असर डाला है और उसमें भी पानी २ फीट बढ़ गया है और हायेस्ट लेविल जो पिछले वर्ष के फ्लड का है उस पर पहुंच गया है। दो लड़के, गांव मजूरी मिलावली, तहसील महाराजगंज के बह गये। झारवाला एरिया जो महाराजगंज में है उसमें १५ पशुओं के शव मिले हैं। २०० पशु चारों तरफ से पानी की वजह से फंस गये हैं, उनको निकालने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बुलन्दशहर में, मैंने अभी निवेदन किया, हिण्डन के पास ब्रीच हो गई थी वह तो ठीक कर ली गई है लेकिन पानी कहीं-कहीं ५५ फीट भी है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाय और जब तक उनका हिस्सा साफ न हो जाय---क्योंकि स्वयं गांव के रहने वालों को भी आपत्ति होती है, वह चाहते हैं कि अपने गांव में ही चले जायं, तो उनको संकोच होता है, जैसा कि हुआ करता है अगर दूसरी जगह बसाने का प्रयत्न किया जाय---तो इस वक्त उनको सुविधा और सुरक्षा देने के लिये जिलाधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं।

बरेली और बदायूं---इन दोनों जिलों में भी नुकसान हुआ है।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अधिष्ठाता---मैं समझती हूं कि इस पर अब प्रश्नों की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आइटम ११ जो है उसमें बाढ़ पर विवाद होना है। मैं समझती हूं कि बाढ़ के विषय में सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिये इसमें कुछ समय निश्चित हो जाना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---१०-१० मिनट में दिया जाय।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---डिबेट इनीशियेट करने वाले को १० मिनट और बाकी को ८ या ५ मिनट दे दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ५ मिनट रखा जाय ताकि सब लोग बोल सकें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इससे पहले कि हम लोग बोलें १० मिनट का समय सवालों के लिये मिल जाय तो अच्छा होगा । बहुत से लोगों को तो सवालों से ही संतोष हो जायगा । सबसे मुख्य चीज तो सवाल ही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—सवालों की तो आवश्यकता इस वक्त नहीं मालूम पड़ती । बोलते समय सब लोग अपने-अपने जिले की बात कह सकते हैं ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव यह रखना चाहता हूं कि चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिये ज्यादा से ज्यादा समय देने की कृपा करें । अलावा इसके जो भी सदस्य अपने विचार प्रकट करें उन्हें आप कम से कम १५ मिनट का समय अवश्य दें, इसमें जो प्रश्नों का समय है, चूंकि कुछ जिले बहुत बुरी तरह से फंसे हैं और उन जिलों के संबंध में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान खींचना जरूरी है। इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि १५ मिनट का समय आप दें और भाषणों के ऊपर ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—मेरा इस सम्बन्ध म निवेदन है कि अधिकांश सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि ४७ जिलों में बाढ़ आई हुई है । इसलिये अधिकतम समय १० मिनट का दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्यों की राय जाहिर हो गयी है । मालूम ऐसा होता है कि हर एक सदस्य को १० मिनट का समय दिया जाय ।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैंने भी दफा ५२ के अन्तर्गत कल नोटिस दिया था । एजेंडे पर मरा नाम भी लिखा हुआ है । वह कवल बाढ़ क बारे में नहीं था । मैंने यह दिया था कि बाढ़ से घाघरा नदी का कटाव बड़े जोरों पर है ।

श्री अधिष्ठाता—बोलने का समय आपको मिलेगा ।

श्री मुक्तिनाथराय—मैं यह चाहता हूं कि सरकार, जो हजारों आदमी गृह विहीन हो गये हैं, उनकी व्यवस्था करे ।

श्री अधिष्ठाता—आप यह सब अपने भाषण में कह दीजियेगा ।

श्री मदन पाण्डेय—अधिष्ठात्री महोदया, आज जो तस्वीर उपमंत्री जी ने बाढ़ के संबंध में ठाकुर साहब की तरफ से खींची वह ऐसी हृदय विदारक है जिससे मालूम पड़ता है कि अब प्रलय का दृश्य बहुत करीब आ गया है और जितना उन्होंने बतलाया है उससे कई गुनी अधिक वास्तविक स्थिति, अगर उन जगहों पर जाकर देखा जाय, तो होगी । यह आज कोई अचानक नई परिस्थिति पैदा हो गयी हो, ऐसी बात नहीं है । पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में जब से देश के निर्माण-कार्य आरम्भ हुए हैं तब से हम देखते हैं कि दिन पर दिन बाढ़ बढ़ती जाती है । सन् ५१ से ५६ तक जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उस पंचवर्षीय योजना में कुछ निर्माण कार्य आरम्भ किये गये और ज्योंही वे कार्य पूरे होने को आये, इस प्रकार अनप्लान्ड तरीके से बने थे कि बाढ़ की समस्या तीव्रतर हो गयी । यह दशा इसलिये हुई कि हमारे इस सूबे का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है जो बाद में दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ता है । जितने निर्माण कार्य हुए हैं उनमें से अधिकांश वे पूर्व से पश्चिम की तरफ बने हुए हैं । पहले और आज के निर्माण कार्यों को देखा जाय तो एक फर्क मालूम पड़ेगा । हम अक्सर चौका घाट तथा राप्ती

[श्री मदन पांडेय]

का पुल पार करते हैं। आज भी घाघरा और राप्ती भयंकर बाढ़ पर हैं। जो पुल बना हुआ है, इतना काफी चौड़ा है कि उस पुल की वजह से बाढ़ आने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब जो पुल और नहरें बनाई जा रही हैं तथा उनमें पानी के लिए जो पैसेज दिये जा रहे हैं वे पानी के निकास के लिये इतने अपर्याप्त हैं कि पानी का बहाव रुक जाता है और उत्तर से जो पानी आता है वह इस प्रकार सारा का सारा उपजाऊ क्षेत्रों में भर जाता है।

गोरखपुर जिले के बारे में बतलाया गया कि वहां बाढ़ की बड़ी भयंकर तस्वीर है और करीब २०० स्क्वायर माइल का एक रकबा इसलिये डूब रहा है कि उसके चारों तरफ से नारायणी नहर ने जो ५४ में बनी थी, उसको घेर रखा है। बसौली लेविल क्रासिंग का जो जिक्र किया गया उस लेविल क्रासिंग का किस्सा यह है कि चार साल से हम लिख कर दे रहे हैं कि नारायणी नहर के कारण बड़ी गंडक के रास्ता बदल देने का खतरा पैदा हो गया है और जो पानी आता है वह आगे नहीं निकल पाता है। इसी कारण पिछले ५ वर्ष से वह इलाका बाढ़ से सराबोर हो रहा है और चूंकि पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी इसलिये पिछले साल से दूनी बाढ़ इस साल हो गयी है। बाढ़ व नहर की यह समस्या केवल गोरखपुर की ही नहीं, सारे सूबे की है।

चमोली जिले को देख लीजिये। एक टेलीग्राम आया हुआ है सूबा पार्टी के दफ्तर में। रास्ता ब्लाक हो जाने से खाद्य सामग्री इतनी मंहगी हो गई है कि गरीब आदमी खाना नहीं पा रहा है। अगर एयर ड्रापिंग का बन्दोबस्त नहीं हुआ तो उस जगह के लोग भूखे मरेंगे।

इसी तरह से बुन्देलखंड को देखा जाय, बरेली को देखा जाय, सभी जगह यही हालत है। आज तक जितनी बाढ़ें आती थीं उनमें हमने यह कमी नहीं सुनाथा कि शहरों की नालियों में डूब कर आदमी मरे हों। लेकिन आज शहरों में नालियों तक की प्लानिंग इतनी गलत है कि उनमें आदमी डूब कर मरते हैं। इस तरह से सारे सूबे में गलत प्लानिंग चलायी जा रही है। आज की बाढ़ को हम दैवी बाढ़ कहने को तैयार नहीं हैं। यह मैन मेड फ्लड है और इसको दूर करने के लिये मैं उप-मंत्री जी द्वारा मंत्री जी से, जो चले गये हैं, सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उन्हें याद नहीं है, वह इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, कि १९३८ में एस० पी० वातल, इंजीनियर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गई थी जिसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने राप्ती और घाघरा का सर्वे करके दी है कि किस प्रकार से इन नदियों की बाढ़ से जनता की रक्षा की जा सकती है। यह पूरी योजना है लेकिन १९३८ से आज तक यह रिपोर्ट क्यों खटाई में डाल दी गई, मंत्री जी बतायें। अगर यह भी उन्हें याद नहीं है तो १९५४ में माननीय हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में एक flood कमेटी बनायी गयी थी। उसने भी कुछ रिकमेन्डेशन्स की हैं। क्या उनमें से कोई रिकमेन्डेशन लागू की गई है? उसमें कहा गया है कि किस प्रकार बाढ़ से बचने के लिये लोगों को चेतावनी दी जाय। एक जमाना था जब बाढ़ की सूचना बाढ़ आने के बाद में मिलती थी। लेकिन आज हमारे पास काफी साधन हैं जैसे वायरलैस, पानी को नापने के एपरेटस जिनसे हफ्तों पहले जानकारी तथा लोगों को चेतावनी हो सकती है। तो इनका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है?

अभी १८ तारीख को, जब मैं गोरखपुर गया था और बसौली लेविल क्रौसिंग को देख कर मैंने जिलाधीश, गोरखपुर को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि उस लेविल क्रासिंग के द्वारा जो पानी ब्लाक्ड है उससे करीब १६० वर्गमील का इलाका गर्क हो रहा है। अगर उसके फाटकों को खोला नहीं गया तो सारा इलाका डूब जायगा। लेकिन उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? मैं कह देता हूं कि अगर ध्यान दिया गया होता तो आज जिस तरह से जनता की बर बादी हो रही वह न होती। दो, दो हफ्तों से लोग पेड़ों पर गुजारा कर रहे हैं, सांप काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं, आदमियों और बैलों के लिये भोजन व चारा नहीं है, इन सबकी नौबत ही नहीं आती। आखिर कब तक हम इस मैन मेड फ्लड का दोष दैव के मत्थे मढ़ते जायंगे? कौन सा जमाना आयेगा जब हम कहेंगे कि मनुष्य ऐसी विपत्तियों को दूर कर सकता है?

चीन की हुकूमत ने, जो इस सरकार के बाद में सन् १९४९ में स्थापित हुई, वहां भी भयंकर नदियों के लिये बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनायें बना कर उनको कंट्रोल कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं क्या १००,१५० करोड़ रुपये की लागत से घाघरा नदी घाटी योजना नहीं बनायी जा सकती ? क्या यह सही नहीं है कि अगर यह योजना बन जाती तो उससे प्रदेश के १४, १५ जिले जिन की आबादी २ करोड़ के लगभग है, उनका जीवन स्वर्गमय अगर नहीं होता तो कम से कम जान तो बच जाती ? अगर यह सरकार अब भी ऐसा नहीं करती है तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह वहां की जनता डुबा कर मारी जायगी तो उसे मजबूर होकर विद्रोह करना पड़ेगा ।

योजना और तखमीनों को देखा जाय कि उन्ह सरकारी अधिकारी किस प्रकार बनाते हैं ? अभी जो स्टेटमेंट बाढ़ के नुक्सान का हमें मिला है उसमें लिखा हुआ है कि १० हजार ७ सौ कुछ मकान गिरे हैं और नुकसान का जो हिसाब लगाया गया है,वह है करीब १ लाख ५८ हजार रुपयों में। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी घुड़साल को भी छवानेका जो खर्च है वह क्या १५ रुपये में पूरा हो जाता है ? मकान गिरेंगे १० हजार ७ सौ कुछ तथा नुकसान कूता गया है १ लाख ५८ हजार, अर्थात् १५ रुपये फी मकान से भी कम। क्या यह विश्वसनीय है ? इस प्रकार के तख-मीने के बल पर जो सहायता कार्य होगा वह कहां तक पर्याप्त होगा इसको आप स्वयं आंक सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह दो तरह की कार्यवाहियों को अमल में लावे। पहली चीज तो यह है कि अब तात्कालिक सहायता लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में होगी तब जाकर जनता को कुछ राहत मिल सकेगी। उधर से कोई साहब उठ कर कह देंगे कि गैर सरकारी संस्थायें क्यों नहीं कुछ करना चाहतीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जहां पर २५-३० लाख की सारी आबादी तबाह हो गयी है वहां कौन किस की मदद कर सकता है ? आज युद्ध स्तर पर आप उन बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कीजिये तभी उनको कुछ सहायता हो सकेगी। रुपये को रुपया न समझिये और उनको बचाने की व्यवस्था कीजिये।

दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि अगर अगले साल भर के अन्दर गोरखपुर जिले के उत्तर में बड़ी गंडक में आने वाले पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं की गयी तो अगले साल सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश डूबेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिये चाहे केंद्र से लड़ना पड़े, चाहे सत्याग्रह करना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन बड़ी गंडक तथा इन नदियों को नियंत्रित करने के लिये अगले साल भर में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। बड़ी गंडक (नारायणी) जैसी भयंकर नदी अपना रास्ता बदलने जा रही है। सिसवा कस्बे में जहां आज तक कुछ नहीं हुआ था वहां आज ४ फीट पानी भरा हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विवाद को इनिशियेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मेरे हृदय की व्यथा को समझते हुए इन सभी बातों का समावेश करते हुए जवाब देंगे।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रामचन्द्र विकल ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। एजेंडा में आइटम नम्बर ८ पर जो नियम ५२ का प्रश्न दिया गया है वह २५ व्यक्तियों के नाम दिया गया है और चार घंटे का समय है। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिन २५ आदमियों ने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिया है उनको बोलने का मौका अवश्य मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख से देख कर यहां प्रश्न दिया है। जिनके नाम नहीं हैं और केवल बोलने के लिये ही खड़े हो जाते हैं अगर उनको ही मौका दिया गया तो बड़ी अव्यवस्था होगी।

श्री अधिष्ठाता—उन्हीं में से बुलाया जा रहा है ।

श्री मदन पांडेय—कुछ समय भी अगर कम कर दें तो अच्छा हो क्योंकि बहुत से आदमी बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—७ मिनट कर देंगे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अगर उन्हीं लोगों को ही बुलाना है तो चार घंटे में कैसे होगा ? क्या और समय बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—मेरे गोंडा जिले में, तरबगंज में घाघरा नदी करीब ७० मील क्रास करती है लेकिन मेरा इसमें नाम ही नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—यदि आपको हमदर्दी होती तो आप पहले ही यहां प्रश्न दिये होते ।

श्री अधिष्ठाता—आप बगैर नाम लिये हुए बोल रहे हैं यह उचित नहीं है ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि इस प्रदेश में बाढ़ और वर्षा से जो भयंकर स्थिति आज उत्पन्न है उस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया है । यह बात सभी को मालूम है कि पश्चिमी जिलों में करीब एक माह से वर्षा हो रही है । जहां नदियों में बाढ़ नहीं है वहां भी गावों में, मैं स्वयं अपना देखा हुआ चित्र आपको बता रहा हूं जो आदमी पशुओं के लिये काम करते हैं उनके पैर गले हुये हैं और पशुओं के भी पैर गल चुके हैं लेकिन सरकार की तरफ से दवाई का या पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ है । सैकड़ों गांवों में मकान गिर चुके हैं, फसल सब बरबाद हो चुकी है लेकिन जिस तत्परता के साथ सरकार को काम करना चाहिये पानी की निकासी योजना का वह नहीं हो सका ।

जहां तक बाढ़ का सवाल है, यमुना नदी की बाढ़ की वजह से बुलन्दशहर जिले में हिंडन और यमना दोआबा के ८० गांव जलमग्न हो चुके हैं । मैं स्वयं २० तारीख को ओखला पर था और जमुना के उस किनारे पर जहां हमारे यहां के लोग निकला करते हैं, वहां मैं तो जा नहीं सका, लेकिन मुझे वहां से यह सूचना मिली कि एक हफ्ते से उधर से कोई नाव नहीं लग रही है । इसका अन्दाज, मैं वहां का निवासी हूं, लगा सकता हूं । जब जमुना नदी के अन्दर एक हफ्ते तक नाव नहीं लगी तो उनकी क्या भयंकर स्थिति होगी ? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । यह बांध ओखला पर टूटा है । १९२४ में देहली के पास जो जमुना का पुल है वहां टूटा था और उसकी चौड़ाई १५० से कम थी । उसमें मेरठ जिले की गाजियाबाद तहसील के गांव भी आ गये थे । उन गांवों में क्या दशा हुई थी वह मेरे कानों द्वारा सुनी हुई कहानी है । आज ओखला के पास बांध टूटा है । मेरा कहना यह है कि सरकार इसका अंदाजा इसलिये नहीं लगा सकती है कि सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंच सकते हैं । मैं वहां की हालत से वाकिफ हूं ।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमारे इस इलाके पर बाढ़ की आफत आती है तो देहली के कर्मचारी वहां सहायता करते हैं । उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का ध्यान और सरकार का ध्यान कई कारणों से वहां नहीं जाता है । देहली से मिलिटरी की मदद मिलती है और लोग दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को यहां के अधिकारियों के मुकाबले में जल्दी कांटेक्ट करते हैं । दिल्ली के पुल से ओखला तक ७ मील की लम्बाई है और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि दिल्ली से ९ मील उधर एक बांध और जमुना पर लगा दिया गया । इस तरह से १६ मील जमुना का पानी बन्द होकर आता है । कई दफा सरकार से और इंजीनियरों से मेरी बातचीत भी हुई और मेरा सुझाव है कि दरिया का अधिक रोकना ठीक नहीं है । दरिया का पानी स्वाभाविक रूप से चले तो ठीक है । हमारा इलाका खतरे म होता है और जो आशंका बहुत पहले से थी वह २०–२१ तारीख की रात को पूर्ण हुई । जिस समय यह बांध लगाया गया था तो मैंने कहा था कि ठीक है कि इस समय तो यह लगाया जा रहा है, लेकिन जब यह टूटेगा तो उस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की भयंकर स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आखिर यह टूट गया। मैं नहीं कह सकता कि वहां क्या हालत होगी? न जाने कितनी जानें गई होंगी? न जाने कितने मवेशी मरे होंगे और फसल का तो कहना ही क्या है?

श्रीमन्, जब यह बांध टूट गया तो पता नहीं क्यों हमारी सरकार का ध्यान अभी तक उधर नहीं गया है। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर हवाई जहाज से गांवों का दौरा कर रहे थे और दिल्ली के गांवों के बचाने की तरफ उन का खयाल ज्यादा रहा और बहुत तत्परता से उधर सहायता पहुंचाई जब कि वहां खतरा कम रहा क्योंकि ओखला में बांध टूटा है और बुलन्दशहर वहां से शुरू होता है तो बुलन्दशहर के गांवों को अभी तक सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी। मेरा निवेदन यह है कि इस बांध का सरकार को कोई मुस्तकिल इंतजाम करना चाहिये। वहां की स्थिति की थोड़े में मैंने चर्चा की है।

मैं माननीय मंत्री से इस बात को जानने का इच्छुक था कि जो गांव खतरे में हैं, जहां नाव न लग सकी वहां, बांध टूटने के बाद क्या स्थिति है, लोगों को क्या सहायता पहुंचाई गई है। उनके वक्तव्य से जानकारी नहीं हो सकी हैं कि उनको क्या आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है, कितने गांवों के लोगों को निकाला गया है, लोगों को कहां पहुंचाया गया है और क्या दवा पहुंचाई गई? मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ और वर्षा से पश्चिमी प्रदेश में भयंकर स्थिति पैदा हो गई है और वहां सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर बाढ़ और वर्षा का दैवी प्रकोप है वहां सरकारी अमीन तकावी, लगान और आबपाशी की वसूली का बेरहमी से तकाजा कर रहे हैं। जहां लोग मदद के लिये कह रहे थे वहां सरकारी लगान वसूल हो रहा था। इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इधर ध्यान दे कि वहां पर लगान और आबपाशी इत्यादि की वसूली को कुछ दिन के लिये रोक दे और सहायता पहुंचाये। मैं नहीं जान सका कि तार और टेलीफोन से क्या सहायता मांगी गयी है। इस भयंकर स्थिति में क्या सहायता की व्यवस्था है, मैं यह जानना चाहता हूं।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं जिला बदायूं के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। यह जिला बदायूं रुहेलखंड में वाकं है। इसका रकबा १३ लाख एकड़ है। इसका एक तिहाई हिस्सा खादर है। यह एक तिहाई हिस्सा जिसकी ४ लाख की आबादी है उसमें पांच नदियां बहती हैं गंगा, भैंसोर, सोत, अरल, रामगंगा। उन नदियों में गंगा सबसे बड़ी है। कछला के पास महावा नदी का बांध टूटा और महावा ने इतना पानी दिया कि रेलवे लाइन कटने को आ गयी। सरकार ने उसकी रोक-थाम की और उसको रोका। लेकिन कसरत बारिश की वजह से भैंसोर और गंगा का पानी बढ़ कर कछला और बदायूं सड़क तक पहुंच गया और रास्ता बिलकुल बन्द हो गया। पुलियां टूट गयीं। गांव के गांव पानी से घिर गये। मदद पहुंचाना नामुमकिन हो गया। महावा का बांध टूट जाने से परगना उझानी का दक्षिणी हिस्सा पानी से भर गया। इसके बाद दरिया राम गंगा में पानी आया जिससे बेलाडांडी, कलाकन्द, खुंदरपुर गांव कटे। यहां तक बरसात हुई कि श्री ओंकार सिंह, एम०ए ल० सी० के घर की दीवार गिर पड़ी। उस में उनका लड़का दब गया और उसकी टांग टूट गयी। बेचारे अस्पताल में पड़े हैं। यह दशा तो बड़े-बड़े आदमियों की है जिनके घर गिरे हैं, छोटे-मोटों की दशा तो बहुत बुरी है। सरकार ने मदद पहुंचायी, चने, गुड़, तेल, दियासलाई, नमक बंटवाया। लेकिन उनका बंटवारा ठीक नहीं हुआ। मैं पहुंचा तो मुझ को मालम हुआ कि पांच पीपे तेल, दो बोरी चना, गुड़, दियासलाई का एक बक्स गया और आदमियों में बांटा गया। दो चने दे दिये, कंकड़ी भर गुड़ दे दी। सौ डेढ़ सौ गांवों में दो-चार आदमियों को मिला। कहीं किसी को मिट्टी का तेल एक बोतल मिला, और किसी को कुल्हिया भर भी नहीं मिला। बड़े-बड़े आदमियों के हिस्से में ज्यादा आया और छोटों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

कम मिला । अगर हमारे मंत्री जी चनों को डिब्बों द्वारा बंटवायें, तो अच्छा रहेगा । मिट्टी-तेल की बंटाई में एक पैमाना हो, चाहे पव्वा हो या अद्धा बना लें । उस हिसाब से बंटवायें तो तेल सब को ठीक से मिलेगा । अभी बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है । कोई तो भेली की भेली उठा ले गये और किसी को गुड़ की एक कंकड़ी भी नहीं मिली । तो बंटवाने के तरीके म आप जरा सुधार करें ।

जिले की फ्लड रिलीफ कमेटी में मैं भी शामिल था । मैंने कलेक्टर साहब को सुझाव दिया था कि नावों को चलाने के लिये मल्लाह तैयार रहने चाहिये । अफसर खड़ा है और नाव डालने वाला ही नहीं है । नाव वैसी ही पड़ी रह जाती है । हमारे जिले में उझानी परगने का दक्षिणी हिस्सा, दातागंज का परगना सलेमपुर, उसैत का खैरे कटरा का हिस्सा, बदायूं का उत्तरी भाग, सहसवान का दक्षिणी भाग, गुन्नौर तहसील कुल सैलाब से बरबाद हुई है । ऊसर की जमीन में बाजरा की फसल बोई नहीं गयी, सिर्फ ईख के पौधे रह गये हैं, कुछ कपास पड़ी है । नतीजा यह है कि वह जिला जहां गल्ले की इफरात थी इस साल अनाज न होने से तबाह है । मकान गिर रहे हैं ।

मैंने तालिका देखी है । १५ हजार रुपये अहेतुक सहायता में गये हैं, ३० हजार रुपये तकावी आदि की सहायता में दिये गये हैं, मालूम नहीं वह कहां गये हैं । १५ हजार में से ५ हजार रुपया बंटा है, १० हजार रुपया तहसील में रखा है । जब उनके पास रुपये नहीं पहुंचेंगे तो बंटेगा कैसे ? बाद को रुपया पहुंचा भी, समय पर नहीं पहुंचा तो फायदा क्या होगा । आज बरसात के जमाने में आसमान के नीचे रह गये हैं । जरूरत इस वक्त है । वक्त पर मदद पहुंचाई जाय जिससे उनको कुछ लाभ हो ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मेरे जिले की सगड़ी और घोसी तहसीलों में घाघरा नदी में बाढ़ करीब एक महीने से आयी हुई है और पानी रुका हुआ है । देवारे के क्षेत्र में मैं गया और वहां देखा कि सारी की सारी फसल, सावां, कोदों, मक्का और अरहर यह तो सोलहों आने समाप्त हो गयी है, धान कहीं १ आना, कहीं २ आना बाकी हो तो हो । ईख की फसल भी बरबाद है । बाढ़ अभी वहां घट रही है या नहीं इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने यह तबाही ला दी है ।

बाढ़ के साथ-साथ एक अभिशाप और है । नदी का कटाव बड़े जोरों पर है । ग्राम दियारा खास राजा और हाजीपुर गांव में धुनियान पुरा है वह कट कर नदी के गर्भ में विलीन हो गया है । उस वक्त जो लोग वहां पर थे वह दूसरों के घरों पर थे जो लोग हाजीपुर बाढ़ सेंटर पर थे वह बिलकुल निराश्रित हैं । मैं माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह बाढ़पीड़ित गांव जो बिलकुल कटकर नदी के गर्भ में चले गये हैं वहां की विशेष परिस्थिति है और वहां पर सिर्फ नमक और दियासलाई के वितरण से काम नहीं चलेगा, वहां पर उनके रहने के लिये, खाने-पीने के लिये उचित व्यवस्था की जाय, नहीं तो उनमें से लोग मर सकते हैं और वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है । जब मैं अपने क्षेत्र घूमने गया था तो मैंने देखा था कि हर जगह लोग यही शिकायत करते थे कि सरकारी सहायता बहुत कम है और बहुत से गांव ऐसे थे जहां सरकारी सहायता नाममात्र को भी नहीं दी गयी थी । तो मैं इस दियारा खास राजा और हाजीपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके लिये सर्वांगीण व्यवस्था की जाय क्योंकि मैंने हाजीपुर सेंटर पर देखा है कि वहां २–२ और ३–३ वर्ष के बच्चे थे उनकी मातायें उनको शरबत गरम करके पिला रही थीं । मैंने जिलाधीश महोदय से कहा कि यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है । तो उन्होंने कहा कि हम सहायता करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कि वहां सहायता अभी तक दी गयी है या नहीं दी गयी है । मैं माल मंत्री जी से कहूंगा कि वे गांव जो कट गये हैं वहां के लोगों के लिये अगर रहने की जगह नहीं

है तो रहने की जगह दें, छोटे-छोटे बच्चों, ,असहायों और बेवाओं के लिये उचित व्यवस्था करें, नहीं तो वहां भुखमरी की अवस्था आ सकती है।

दूसरे, घाघरा नदी हमारे जिले के उत्तरी छोर पर बहती है। पार साल भी और इस साल भी इसके किनारे जो रामपुर धनौली मौजा है वह नदी के कटाव से मुश्किल से ६० या ७० फीट की दूरी पर रह गया है। मेन सड़क जो दोहरीघाट आजमगढ़ की है उस सड़क के किनारे तक कटाव हो गया है। अगर वह सड़क कट गयी तो घाघरा जो गोरखपुर और आजमगढ़ की बाउन्ड्री बनाती है अगर उससे सड़क कट गयी तो उस बाउन्डरी का कोई पता नहीं रहेगा और आजमगढ़ का नक्शा बदल जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस तरफ विशेष ध्यान दें। एक महुला गढ़वल बांध है वह घाघरा के कटाव से कट रहा है उसकी तरफ विशेष ध्यान दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---कोई सुझाव दीजिये कि क्या किया जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय---उस पर ठोकरें बनायी जायं, लेकिन वह स्थायी ठोकर तो बाद में बनेगी उसके लिये स्कीम बनेगी, लेकिन तत्काल तो बड़े-बड़े लट्ठे लगा कर पानी के बहाव को रोका जाय ताकि कटाव इस तरह से न हो और सरकार इस तरफ अविलम्ब ध्यान दे, नहीं तो आजमगढ़ का नक्शा बदल जायगा और लाखों लोगों के जन-धन की हानि होगी।

हमारे जिले आजमगढ़ के लिये दो अभिशाप प्रायः हर वर्ष आये हैं, बाढ़ और सूखा। एक तरफ तो हमारे यहां एक भाग में बाढ़ आयी थी और दूसरी तरफ उस जिले के लगभग २/३ भाग में सूखा पड़ा था। तो बड़ी हालत खराब है। सूखे से अलग परेशानी हुई और बाढ़ से अलग हुई। सारी फसल चौपट है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब इस नुकसान की जांच होने लगे तो वास्तव में जो हानि हुई है उसका सही-सही अन्दाजा लगना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम हमेशा सही-सही अन्दाजा लगाते हैं।

श्री मुक्तिनाथराय---मैं तो आशा यही करता हूं और जब से माननीय मंत्री जी इसके मंत्री हुये हैं वह बराबर इस बात का आदेश देते हैं कि सही-सही अन्दाजा लगाया जाय। लेकिन अधिकारी लोग कोशिश यह करते हैं कि नुकसान को कम दिखाया जाय। मैं अभी चारों तरफ घूमकर आया हूं। बाढ़ और सूखे से बड़ी क्षति वहां हुई है। मैं सरकार से यहां निवेदन करूंगा कि उसके सही आंकड़े वह मंगावे और सही छूट उनको दे।

दूसरी बात यह कि आप सस्ते गल्ले की दूकानें उन क्षेत्रों में अवश्य खुलवा दें। असहायों को मुफ्त सहायता देने का प्रबन्ध करें नहीं तो वह मर सकते हैं। उस क्षेत्र के विद्यार्थी प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, अगर उनकी पढ़ाई सरकार जारी रखना चाहती है तो उनकी फीस वह माफ कराये। सारी वसूलयाबी जो वहां हो रही है तुरन्त रोक दी जावे। तकावी में छूट दी जावे। इसकी तरफ सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। टेस्ट वर्क वहां चालू किये जायं। यह इतने काम मैं चाहता हूं कि सरकार करे और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से दोबारा निवेदन करूंगा कि जो घाघरा नदी का कटाव है उसको रोकने का प्रबन्ध करे। यह तो मैंने केवल दो गांवों के नाम बताये, लेकिन इनके अलावा बहुत से ऐसे गांव हैं कि जहां हरी-भरी फसल नदी के गर्भ में विलीन होती जा रही है। इसलिये घाघरा नदी के कटाव की तरफ विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ध्यान दें। उसमें अस्थायी ठोकर लगवाये जायं और दुबारी से लेकर जोड़वावर तक जहां-जहां घाघरा नदी जाती हो, जिस जिस गांव में जाती हो, कम से कम उन गांवों को बचाने की व्यवस्था तो अवश्य की जानी चाहिये।

दूसरी बात जो यह कही जाती है कि घाघरा की बाढ़ तो हर साल आती है जो कि हमारे और साथियों ने कहा है यह सरकार केंद्रीय सरकार से लिखापढ़ी करके एक नदी घाटी योजना बनावे, घाघरा घाटी योजना जिससे कि इस नदी की बाढ़ जो प्रतिवर्ष आया करती है उसमें

[श्री मुक्तिनाथराय]

रुकावट हो सके, हमारे जिले के अन्य भागों की सिंचाई हो सके और हमारे जिले के वह भाग जो बाढ़ से पीड़ित रहा करते हैं, उनकी रक्षा हो सके। उसके लिये हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करके एक योजना तैयार करे, तभी घाघरा की इस भीषण बाढ़ से रक्षा हो सकती है, वरना नहीं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, प्रति वर्ष इस समय में जब सदन बैठता है तो बाढ़ पर बहस किया करता है और सरकार एक ऐसी रिपोर्ट मंगा कर के यहां दे दिया करती है कि कितनी दियासलाई बांटी गई, कितना केरोसीन आयल बांटा गया और फिर कितने लोग मोटर बोट से इलाके में घूम आये। यह रिपोर्ट सरकार देकर समझ लेती है कि उसका काम हो गया जब कि आवश्यकता इस बात की थी कि संजीदगी के साथ बैठकर इस पर सोचा जाता कि हमारे बाढ़ के सवाल क्या हैं? माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जिस जिले से मैं आता हूं सब से ज्यादा बाढ़ इस प्रदेश के उस जिले में आती है। गंगा और घाघरा दो दो नदियों के चपेट में वह जिला आ जाता है। लखनऊ के लोग तो बहुत नाजुक होते हैं। गोमती जैसी नदी जिसको कि गर्मी के दिनों में जब कि पानी कम होता है कोई कूद कर भी पार कर दे, उसकी बाढ़ से ही लोग घबड़ा जाते हैं। वैसी नदियां राप्ती, गंडक और ऐसी और नदियां हैं जिनकी बाढ़ का सवाल आता है। लेकिन गंगा नदी की बाढ़ जिसने एक बार भी देखी है वही कल्पना कर सकता है कि बाढ़ कैसी होती है।

मंत्री जी ने बयान दे दिया कि बलिया में पानी बढ़ रहा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक बार बाढ़ आयी थी। ६५ मील गंगा और ४० मील घाघरा का किनारा उसजिले में पड़ता है। उस ६५ मील जमीन में बलिया-बैरिया बांध से बची हुई थोड़ी सी जमीन को छोड़ कर बाकी सारा हिस्सा पानी में सराबोर था। मान्यवर, जहां जहां मैं गया, मैंने देखा कि बड़े-बड़े मवेशी तो इलाके के बाहर चले गए थे, बकरी जैसे छोटे-छोटे मवेशी छप्परों पर पकड़े हुए थे। इस तरह तबाही में वह अपनी जिन्दगी के दिन काटते हैं। एक गांव में जाने के लिए मुझे तीन घंटे लगे थे---एक घंटा आने में, एक घंटा जाने में और थोड़ी देर मैं वहां रुका था। इतनी तेज धार वहां थी। वह गांव कट गया था। गांव के लोग कहीं और बसने के लिए अपने छप्परों को नाव पर लिए घूमते रहे, कहीं उन्हें बसने को स्थान नहीं दिया जाता। आज से पांच साल पहले एक जिलाधीश ने अवश्य एक गांव को बसा दिया। लेकिन उसके बाद हर साल हजारों परिवार इस बाढ़ से कट जाते हैं और वह अपना सामान लिए इधर से उधर घूमा करते हैं, कहीं कहीं उन्हें अपना छप्पर रखने का इंतजाम सरकार नहीं करा पाती। मंत्री जी आज दियासलाई और केरोसीन तेल बंटवाते हैं उसके बजाय अगर वह यह कर पाते कि जितने लोग बाढ़ से कट गए हैं उनको कम से कम रहने भर की जमीन मिल जाती जहां कि वह अपना छप्पर बना कर रह सकते तो मैं समझता हूं कि बाढ़ की योजना का एक बड़ा काम हो जाय। अगर सरकार यह समझती है कि उन लोगों की कुछ मदद करना है तो जो गांव नदी की बाढ़ से हर साल घिर जाते हैं और कुछ जगहों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वे गांव पानी से घिर जाते हैं वहां पर ऐसे गांव सभा के पास पैसा हो या नहीं। यदि सरकार हर हालत में एक नाव की किसी प्रकार से व्यवस्था कर दे तो उस नाव से वह अपने खाने-पीने का सामान नजदीक के बाजार से ले आवें। उनका जीवन खतरे से बच जाता है। यदि इस प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण योजना सरकार के पास हो तो मैं समझता हूं कि बाढ़ का कुछ इलाज हो सकता है। इस कारण मेरा यह विचार है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

माननीय मन्त्री जी को मालूम नहीं है कि बलिया की बाढ़ से कितनी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। इस तरफ तो गांवों के अन्दर इतना पानी लगा है कि आना जाना कठिन है और दूसरी तरफ वसूलयाबी के अमीन बराबर घूमते हैं। मने एक अमीन को उन्हीं गांवों के नजदीक घूमते हुए देखा तो मैंने उनसे कहा कि कैसे घूम रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं उस गांव में नहीं जा रहा हूं। फलां गांव में जा रहा हूं। एक तरफ तो नाव को लिये हुये मिट्टी

का तेल और दियासलाई लेकर लेखपाल चले जाते हैं और दूसरी तरफ ये अमीन भी उन गांव में वसूलयाबी के लिये घूमा करते हैं। अब माननीय मंत्री जी बतलायें कि बाढ़ से जो इन गांवों की फसल नष्ट हो गई है उसकी वसूलयाबी बन्द की गई या नहीं। तहसीलदार को हमने कहा कि वसूलयाबी बन्द की जाय तो वह कहते हैं कि जब हुक्म आयेगा तभी बन्द कर सकते हैं। एक तरफ तो लोगों के घर में खाने तक के लिए नहीं है और दूसरी तरफ आपके अमीन वसूल करने के लिये जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि बन्द करो तो वह सरकार के हुक्म का इंतजार करते हैं। यह बाढ़ तो हर साल आया करती हैं। उसके लिये इस बात की आव यकता है कि उन लोगों को दूसरी जगह बसाया जाय लेकिन साधारण तौर से जितनी बाढ़ आती है उसके उतर जाने पर लोग उन्हीं स्थानों पर बस जाते हैं जो नीचे पर होते हैं। उसके लिये उनको बराबर तैयार रहना चाहिये और उन लोगों को उस कटे हुये स्थानों पर न बसाया जाय। उन लोगों को ऊंचे स्थान पर बसने की जगह नहीं दी जाती है। और हर साल उनको इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि पिछले २, ३ साल से बलिया जिले में गंगा के कटे हुये गांवों के लोगों में से एक आदमी को भी बसने की जगह नहीं मिल सकी है। होता यह है कि वे लोग उसी स्थान पर आकर बस जाते हैं जो कटी हुई जमीन होती है। उसका परिणाम फिर यह होता है कि पहला पानी आया तो उनके घर उसी में डूब जाते हैं। अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिये की जाय तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों के बसने का इंतजाम करें। उनके लिये सरकार की तरफ से कुछ मदद का इंतजाम हो। दो-तिहाई सरकार की तरफ से रुपया मिले और कुछ अपने पास से रुपया मिलाकर गांव सभा नाव खरीदे। बहुत-सी गांव सभायें यदि नहीं दे पायें तो सरकार को उनके लिये प्रबन्ध करना चाहिये। मगर गांव सभा यह कहती हैं कि नाव के लिये सरकार जितनी कीमत देती है उससे कम कीमत में हम बाहर से खरीद लेंगे और उनको कम कीमत में मिल जायगी। तो आज सरकार कम से कम यह कर सकती है कि उनको इतना पैसा दे दे जिससे वे अपने यहां के लिये नाव खरीद सकें। जब उनके पास नाव होगी तो वह समय पड़ने पर इधर-उधर निकल सकेंगे।

आज कटान की जितनी परेशानी बलिया जिले में है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि और कहीं नहीं है। इस समय जो कटाव हुआ है उसमें बहुत से लोगों का सवाल है। उसके सम्बन्ध में सरकार का कोई एक नियम नहीं है। कोई निश्चित रूल नहीं है। टेस्ट वर्क से वहां पर एक बांध बनाया गया। टेस्ट वर्क से जितना बन सका उतना ही बना है और बाकी को छोड़ दिया गया है। उसको अब न तो टेस्ट वर्क से पूरा किया जा रहा है और न इर्रीगेशन से या पी० डब्ल्यू० डी० से पूरा किया जा रहा है। जो बांध इतना पैसा खर्च कर के बना है और जिसकी आवश्यकता थी यदि वह पूरा न हुआ तो वह बांध धीरे-धीरे खत्म हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार के पास एक नियोजित ढंग से कोई योजना नहीं है। इस प्रकार से जो योजना चलाई जाती है वह कोई तरीका नहीं है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ के इलाके में जो मदद दी जाती है, उस बाढ़ की मदद को एक मजाक बनाया जाता है। कुछ बातें तो तुरन्त करना चाहिये। जितनी जगहें डूब गई हैं और जिनके घर डूब गये हैं उनके लिये बाढ़ का जो नकशा बना है वह विचित्र ढंग से बना है। उनको रेवेन्यू मैनुअल के तरीके से कोई मदद नहीं मिल पाती है। रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक जिस प्रकार से उनको छूट मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाती है। जो नक्शे बने हुये हैं उनको रेवेन्यू मैनुअल के तरीके से ठीक नहीं किया गया।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-सी चीजें मेरे मित्र कह चुके हैं। मैं उनको दोबारा कहने की धृष्टता नहीं करूंगा। फलड कंट्रोल का जो बोर्ड है वह उस फ्लड कंट्रोल के काम को देखे जिससे जहां तक सम्भव हो उसका नियन्त्रण हो सके। मैं अपने जिले की बाबत कुछ बातें आप के जरिये सरकार के सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो बदायूं एक ठुकराया हुआ जिला है, उसका जिक्र शायद ही कभी हुआ करता है, लेकिन ठाकुर साहब को याद दिलाने

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

से कभी उसकी याद आ जाती है और उनकी कृपा उस पर हो जाती है। बहुत से जिलों में एक एक नदियां हैं, लेकिन इस बदकिस्मत जिले में एक कमबख्त दरिया रामगंगा है, गंगा के अलावा, जो इस जिले में भी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—राम और गंगा को कमबख्त नहीं कहना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—उसे तो डायन गंगा कहना चाहिये। उसकी हालत यह है कि आज इस जगह पर है और अगली बरसात में उससे तीन-चार मील हट कर बहने लगती है। उसने आज तक अपना कोई कोर्स नहीं बनाया और इस कारण किनारे के गांव ऐसे बह जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वहां कोई गांव था। हर साल ५-७ गांव इस नदी से नेस्तनाबूद हो जाते हैं और प्रजा को बड़ी तकलीफ होती है जिसका अन्दाजा देखने से ही हो सकता है। राम-गंगा के साथ गंगा, अरिल, महेवा, भैंसोर, आदि न जाने कितनी छोटी-छोटी नदियां जिले के बीच से बहती हैं। मैंने दो-एक बार कोशिश की कि मंत्रियों को वहां की हालत दिखाऊं और जो लोग वहां जा कर वहां की हालत देखे हैं वे उससे बड़े द्रवित हुए। म ठाकुर साहब को एक बार वहां ले जाना चाहता हूं और वे जाने पर जरूर यह कहेंगे कि यहां लोग बसते ही क्यों हैं। लेकिन मजबूरी है। मैंने उनसे वहां जाने के लिये प्रार्थना की है और शायद वे उसे मंजूर करेंगे।

जो परिपत्र सरकार की तरफ से यहां पेश किया गया है उसमें सब से बड़ी क्षति ग्रस्त क्षेत्र बदायूं जिले का ही है, १,२७,८८४ एकड़ का, और यह मैं समझता हूं कि बड़ा माडरेट इस्टीमेट है, क्योंकि पटवारी बाढ़ वाले इलाकों में तो पहुंच ही नहीं पाये हैं जहां असली बाढ़ आती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह रफ है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—जी हां। असली नक्शा इसका तिगुना नहीं तो दुगना जरूर बैठेगा। ४६० गांवों को नुकसान पहुंचने की बात लिखी है जो मैं समझता हूं कहीं १३८० न हों। १६२८ मकान गिरने की बात है। मैंने खुद कोशिश की कि दौरा कर के पता कर सकूं कि कितने मकान गिरे हैं, लेकिन बाढ़ के जमाने में मैं पहुंच नहीं सका और वहां पटवारी अथवा अन्य कर्मचारियों का पहुंचना भी असंभव है। जब मैं एम० एल० ए० नहीं हुआ था उसके १६ साल पहले तक उस क्षेत्र में कोई कलेक्टर नहीं गया था और तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तो एक गांव में बैठ कर सारे इलाके का हाल लिख लेते हैं। इसके बाद नुकसान का तखमीना सब जिलों का दे दिया गया है, लेकिन बदायूं का कोई तखमीना नहीं दिया गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—दे देते तो गलत होता।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—जी हां, आप ने बिलकुल सही कहा। आप स्वयं जा कर जो तखमीना करें वह सही होगा और तभी हम खुश होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप वहां अवश्य चलें। एक चीज इसमें खास है। हमारा सब से ज्यादा इलाका बाढ़ ग्रस्त है, मकान भी सेकेण्ड नम्बर पर गिरे हैं, गांवों की बरबादी भी दूसरे नम्बर पर है, लेकिन नुकसान का तखमीना किया गया है १२ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक। ५० प्रतिशत के माने मैं खूब समझता हूं और राजस्व मंत्री ठाकुर साहब भी खूब समझते होंगे। इसके माने हैं कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो पटवारी को छूट का नकशा बनाना पड़ेगा। तहसीलदार के इंस्ट्रक्शन्स इसलिये हो जाया करते हैं कि ५० फीसदी से ज्यादा का नुकसान न दिखाना, नहीं तो सैकड़ों नक्शे बनाने पड़ेंगे। मुझे इस सिलसिले में एक किस्सा याद आता है। किसी एक गरीब आदमी की एक लड़की थी। वह कहा करती थी कि भगवान मेरे पिता को रिज्क न दीजिये नहीं तो वह मुझे लकड़ी लेने को भेज देगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह लोग नुकसान का सही तखमीना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर तकावी बांटनी होगी, फिर उसको वसूल करना होगा। काम बढ़ जायेगा।

अब आप देखें कि तकावी के लिये ३० हजार रुपये की जिलाधीश ने मांग की और उसमें १५ हजार भेजा गया जो ४६० गांवों को तकसीम होना था। अगर आप इसको उनमें तकसीम करें तो कुछ भी तो एक गांव के लिए नहीं आयेगा। अब ५० फीसदी सरकार ने अपना तखमीना लगाया है.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो यह रफ तखमीना है....

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—वह तखमीना सही लगाना चाहिये और उसके अनुसार तकावी आदि दी जानी चाहिये।

हमारे यहां का वह इलाका सब से बड़ा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और वहां पर एक भी मोटर बोट नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां के लिए मोटर बोट का इन्तजाम कर दिया जाय, क्योंकि वहां ६०, ७० गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं और उनका सड़क से भी कोई एप्रोच नहीं है।

एक चीज मैं और चाहता हूं। वहां पर खरीफ की फसल नहीं बोयी गयी है। जहां धान होता था, वहां थोड़ा बहुत धान लगा दिया गया है, वह भी सब जगह नहीं। इसलिये वहां के लिये अभी से बीज की व्यवस्था कर दी जाय और उसके साथ-साथ जिन गांवों में बाढ़आ गयी है उनका लगान माफ कर दिया जाय। जो विवरण यहां दिया गया है उसमें बहुत सी चीजें गलत हैं। मेरे इल्म में ६–७ गांव ऐसे हैं जो कट गये हैं और बरबाद हो गये हैं और कहीं-कहीं तो एक बिसवा जमीन भी नहीं रह गई है। इसलिये वहां के नुकसान के सही-सही आंकड़े मंगाये जायं और जो भी लोग वहां जायें वे इस इलाके के एम० एल० ए० वगैरह से मिल कर वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, अभी यह व्यवस्था दी गयी थी कि जिन लोगों के नाम इस सूची में हैं उनको बोलने के लिये पहले अवसर दिया जायेगा, तो अभी माननीय हरिश्चन्द्र जी को क्यों बोलने का अवसर दिया गया, इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—सब को अवसर मिलेगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, आज देश और प्रदेश में ज्यों ज्यों विकास-कार्य बढ़ रहे हैं, सड़कें, नहरें, बांध रेलवे लाइन, नालियां (ट्यूबवेल्स) आदि जो बन रहे हैं, ज्यों-ज्यों इनका विकास हो रहा है, त्यों-त्यों मेरा खयाल है कि बाढ़ का प्रकोप और उसकी भीषणता और उसका ठहराव भी बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह ह कि आज देश और प्रदेश की सरकारी योजनाओं के अन्दर, केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच में कोई इंटरप्लानिंग नहीं है और जब तक इस इंटर प्लानिंग का अभाव रहेगा यह अवस्था और भी बदतर होती जायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, केरल से लेकर काश्मीर तक बाढ़ आई हुई है और पंजाब से लेकर आसाम तक देश में सभी सूबों में चारों ओर, प्रदेश में भी यह अवस्था हो गयी है। पूरब जो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता था अब वह रोग पश्चिम में भी चला गया। पश्चिम के लोगों को पता नहीं था कि बाढ़ कैसे आती है, गांव और मकान किस प्रकार पत्ते की तरह से बहते हैं, अब वह भी उसका नग्न रूप देख रहे हैं। दक्षिण बांदा आदि जिलों में भी बाढ़ है, तो मेरा निश्चित मत यह है कि यदि इंटर प्लानिंग के अभाव को सरकार हाई लेविल पर दूर नहीं करेगी तो हर साल यह समस्या बनी रहेगी। समस्या गम्भीर है। बाढ़ का प्रश्न एक राष्ट्रीय संकट अथवा राष्ट्रीय समस्याओं में यह प्रमुख समस्या का रूप धारण कर चुकी है। अगर हम इसकी ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाते तो हर साल ऐसे ही बयान होते रहेंगे और चना, दियासलाई, मिट्टी का तेल बंटता रहेगा, बस।

छोटी-छोटी नदियों के पेटे ऊंचे होते जा रहे हैं, उनको गहरा करने की ओर ध्यान देना चाहिये। मैं उदाहरण दूं कि आजमगढ़ जिले में जो छोटी सरजू नदी है, लाट घाट के पास

[श्री झारखंडेराय]

उस नदी का अस्तित्व ही लुप्त हो गया है। उसको गहरा करने की आवश्यकता है। ऐसी नदियां जो छोटी हैं लेकिन बाढ़ के समय बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि उनमें पानी कम समा पाता है, उनको गहरा करने की जरूरत है। जहां पहले पानी नहीं आया करता था, वहां पानी आ रहा है। आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट, जो पंप कैनाल की वजह से मशहूर है, वहां से आजमगढ़ शहर को जो सड़क जाती है उस पर कांखभार सड़क पर बूढ़े से बूढ़े लोग कहते हैं कि कभी पानी नहीं आया था, लेकिन एक मील तक उस पर पानी घुटनों से भी ऊपर जंघा तक भरा हुआ है और दोहरीघाट–आजमगढ़ वाली सड़क भी दो हफ्ते से बन्द है। ऐसे अवसर पर रोडवेज बसें न बन्द हों, जरूरी है कि अमिला–जीयापुर सड़क भी पी० डब्ल्यू० डी० ले और बढ़िया बनवाये।

मान्यवर, पुलों की संख्या बहुत कम है। बांध और सड़कों की संख्या में वृद्धि हो, उससे ज्यादा संख्या में पुलों की संख्या अवश्य बढ़नी चाहिये, चाहे वे रेलवे के हों या सड़कों के। पुल चौड़े भी होने चाहिये।

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में तमसा नहीं है। वह छोटी और पतली है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो वज्रपात करती है। इस साल अभी तक तो उसकी कृपा है। तमसा नदी आजमगढ़ शहर को तीन तरफ से घेरे हुये है। कृपानारायण श्रीवास्तव, जिलाधीश, जो बड़े यंग, स्पिरिटेड और ज्ञानवान व्यक्ति थे उनका विचार था कि आजमगढ़ शहर जो तीन ओर से तमसा नदी से घिरा हुआ है, अगर नदी को पश्चिम की तरफ से आगे बढ़ा दिया जाय और नदी के रुख को डाइवर्ट कर दिया जाय तो आजमगढ़ शहर जो हमेशा बाढ़ की चपेट में आता रहता है वह बच जायगा और अनावश्यक पुलों के बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह जो शहर के चारों ओर रिंग बांध के ऊपर रिंग बांध को लेअर आपटर लेअर बनाकर शहर को एक कटोरे की भांति बना दिया गया है उससे भी जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है, वह बच जायगा। अतः उस नदी के कोर्स को डाइवर्ट कर दिया जाय।

मैंने दो एक बातें अपने क्षेत्र मे खुद जाकर देखी हैं, उनको बताऊंगा। मैं दोहराऊंगा और ठाकुर साहब से कहूंगा कि वह ध्यान दें। रामपुर धनौली गांव के पास दोहरीघाट–आजमगढ़ सड़क खतरे में पड़ गई है। बलिया–गड़उल बांध तक घाघरा का पानी आ गया है। कटाव तेजी से जारी है। यदि बांध और सड़क कट गये तो घाघरा का कोर्स बदल जायेगा, नई धार बहने लगेगी। तब दर्जनों गांव, दोहरीघाट पम्प नहर अनेक संस्थान सफेहस्ती से मिट जायेंगे और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी।

आजमगढ़ में दोहरीघाट के पास सरैयां गांव है, घाघरा दरिया के किनारे, जहां पर नदी इसको काट रही है। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि वहां एक स्थल पर केवल ३–४ घर रह गये हैं। अगर किनारे पर नदी ने उनको काट दिया तो दोहरीघाट पंप नहर का शीर्षस्थल खतरे में पड़ जायगा। नई धार बनने की संभावना है। उस दशा में दर्जनों गांवों का नामोनिशां मिट जायेगा। गोरखपुर–आजमगढ़ की सीमा बदल जायेगी। अतः इस कटाव को रामपुर–धनौली और सरैया गांव स्थानों पर रोकने की पूरी चेष्टा होनी चाहिये नहीं तो करोड़ों रुपये की जो सरकारी संपत्ति है वह नष्ट हो जायगी।

कुछ वर्ष पहले कमलापति जी ने, जब वह मिनिस्टर थे एक स्कीम चलायी थी गांवों को ऊंचा करने की। वह एक प्रशंसनीय कार्य हुआ। शायद सरकार ने अब उस स्कीम को छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि उसको फिर से रिवाइव किया जाय और अगर छोड़ी नहीं है तो उसको तेजी से किया जाय। घाघरा के द्वारा मैंने देखा है कि जो गांव ऊंचे हो गये हैं, उनका सामान और वे सुरक्षित हैं चाहे गांव पानी से घिर गया हो वरना ऐसे गांव मैंने देखे कि चारपायी के नीचे पानी है और ऊपर उस पर बच्चा लेटा हुआ है। अगर कहीं वह गिर गया तो बहने लगा। इसलिये गांवों को ऊंचा करने की स्कीम को फिर से

तेजी के साथ चालू किया जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का १२०० एकड़ का डुहिया ग्राम का दो तिहाई से ज्यादा भाग नदी के पेट में समा चुका है। उसके बहुत से पुरा-पुश्ता और टेहरे अभी तक ऊंचे नहीं किये गये।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घाघरा-राप्ती नदी घाटी योजना साहस के साथ लागू की जाय। बगैर इसके पूर्वी अंचल का अभिशाप मिट नहीं सकता।

अभी मैंने जिस दोहरीघाट–आजमगढ़ सड़क का जिक्र किया, जिस पर बाढ़ का पानी आ गया है उसका कारण यह है कि बदरवा एक नाला है उस पर जो रेग्युलेटर लगा हुआ है वह बन्द हो गया है। उसकी वजह से वहां पर पानी रुकता है और रुककर पीछे के २५ गांवों को डुबाता है। मेरा सुझाव है कि बलिया और गढ़वल बांधों के बीच में से एक छोटा सा दो फर्लांग का बांध कहरा गांव के पास प्राईवेट बंधे में मिला दिया जाय। इससे जो पानी उलट कर आता है वह रुक जायेगा और उससे ये २५ गांव बच जायेंगे।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह बाढ़ का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बाढ़ के बारे में जो योजनायें हैं उनका संबंध माननीय सिंचाई मंत्री जी से है, वे यहां नहीं है। यहां माननीय राजस्व मंत्री बैठे हैं जिनका संबंध केवल दियासलाई बांटने से है। अगर वह न भी मिली थोड़े दिन तो कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन सिंचाई मंत्री का होना बहुत आवश्यक था क्योंकि उनका ही संबंध बाढ़ योजनाओं से है। इसलिये उनको बुला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री को इसके बारे में क्या कहना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अगर मंत्री जी न हों तो उपमंत्री वगैरा किसी को बुलवा लिया जाय।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। वस्तुतः इस साल जितना पानी बरसा और जितनी बाढ़ें आयीं उतनी पहले बहुत कम आयी थीं। हिन्दोस्तान के कोने-कोने से बाढ़ की खबरें मिल रही हैं। इस वक्त हमारे जिले की नदियों ने अपनी सामर्थ्य से अधिक पानी फेंका है और पड़ोस के क्षेत्र को बरबाद किया है। हम समझते थ कि कदाचित् इस साल हम बच जायेंगे, लेकिन हमारी आशा निराशा में परिणत हो गयी। बहुत ज्यादा तादाद में पानी पड़ा और जिन स्थानों में हम सोचते थे कि सूखा रहेगा और उससे हमें थोड़ी सी ही हानि होगी लेकिन उसके विपरीत हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। वहां की नदियों ने इतना पानी फेंका जिसने न केवल आसपास के गांवों को काट दिया बल्कि मकान, जानवर और चारे को भी नष्ट कर दिया।

मदन पांडेय जी ने जो कहानी सुनायी, दुर्भाग्यवश में उस समय सिसवा के इलाके में नहीं था और मुझे उसको देखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुये हैं, सांप उनको काट रहे हैं। लेकिन बाढ़ में जो हालत वहां के लोगों की होती है, जैसा कि उन्होंने बतलाया बिलकुल सत्य है और उनका मैं समर्थन करता हूं।

अब यह सवाल सामने है कि क्या उपाय किया जाय। हम हर वर्ष कुछ न कुछ दिन बाढ़ पर बहस के लिये रखते हैं और अपना तमाम दुखड़ा सुनाते हैं कि हम बाढ़ की वजह से इस तरह से तबाह हो रहे हैं। इसके लिये हम सरकार को कोसते नहीं हैं क्योंकि उस समय सरकार के पास जितने भी साधन लोगों को राहत पहुंचाने के होते हैं, चाहे वे दियासलाई के रूप में हों, नमक, चावल या चने के रूप में हों, जो कुछ हो सकता है, इसमें सरकार पूरी पूरी

[श्री केशव पांडेय]

मदद करती है और उन चीजों को लोगों तक पहुंचाती है। हम सरकार पर इस बात के लिये दबाव नहीं डाल सकते और न दबाव डालना ही चाहते हैं कि बाढ़ की वजह से जितने भी नुकसान होत ह उनको सरकार पूरा कर दे। हां, हम यह सरकार से जरूर कह सकते हैं कि जो मानवीय साधन या दूसरे साधन हो सकते हैं जो किसी प्रकार से भी उपलब्ध हो सकते हैं, किये जायं। इसके अतिरिक्त बाढ़ को मुस्तकिल तौर पर समाप्त करने के प्रश्न पर हमें सोचना चाहिये।

माननीय झारखंडेराय जी ने कहा कि किनारे के गांवों को ऊंचा पाटने से बाढ़ पीड़ितों को बहुत राहत मिलती ह, यह बात बिलकुल ठीक है। मैं मनिराम क्षेत्र में गया था तो वहां मैंने देखा कि जनता को गांव से बाहर जाने के लिये एक रास्ता बना दिया गया है जहां से होकर वे अपने जानवरों को बाहर ले जा सकते हैं तथा अपने बाल-बच्चों को लेकर बाहर निकल सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अब इस समय वह और गांवों को ऊंचा पाटने का काम बन्द ह। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। जैसा कि अभी माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि वह काम बन्द नहीं है बल्कि चालू है, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम हमारे जिले में तो यह काम पूर्णतया बन्द है और दो तीन वर्ष के भीतर कोई काम नहीं हुआ है। दरख्वास्तें दी गयीं, रिक्वेस्ट भी किया गया कि एक गांव को दूसरे गांव से मिलाने के लिये कम से कम रास्ते तो दुरुस्त कर दिये जायं तथा जो गांव गढ्ढे में हैं उनको ऊंचा पटवा दिया जाय लेकिन इसके लिये अभी तक सरकार का कोई आदेश नहीं गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसकी तरफ से इसके लिये जल्दी आदेश जाने चाहिये।

गोरखपुर में बड़हलगंज के पूरब घाघरा के किनारे टेढ़िया नामक एक महत्व का बंध है जिसके बन्द हो जाने से वहां कई हजार एकड़ जमीन में अच्छी फसल होती है और वहां के लोग खुशहाली की हालत में रहते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वह बांध टूट गया है। वहां बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की कितनी तबाही होगी उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। बनरहा बांध जो ७ मील का है उसे रोहिन नदी के किनारे के लोगों ने एक छोटे से ताल को घेर कर बांध बना लिया था और उसमें सरकार की तरफ से भी मदद मिली थी। वहां एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है और साढ़े ६ हजार एकड़ जमीन उसकी वजह से बचती है। वहां बहुत ही बढ़िया फसल होती है। वहां के लोग अपने लिये काफी गल्ला और चारा पैदा करते हैं। लेकिन इस साल पानी की वजह से वहां भी खतरा आ गया है, इसलिये सरकार उसकी तरफ भी विशेष खयाल रखे। अलग से लकड़ी बल्ली या दूसरी चीजें सरकार वहां भेजे जिससे बांध पानी के थपेड़े से बच सके तो लाखों की सम्पत्ति बच जायगी और इसको बचाने में सरकार का केवल हजार दो हजार रुपया ही खर्च होगा। मनिराम से फरेंदा को जो रोड जाती है उसे तथा रेलवे लाइन को भी काफी खतरा है क्योंकि वहां काफी पानी आ गया है।

दो तीन वर्ष पहले, नारायणी नहर बनने से पहले यह प्रश्न किया गया था कि क्या यह सही है कि इंजीनियरों ने इस तरह की राय दी है कि इस नहर के बन जाने से बाढ़ का पानी रोहिन में डाइवर्ट नहीं होगा, पानी बड़ी गंडक में नहीं आयेगा ? तो इसका उत्तर दिया गया था कि रोहिन में गंडक का पानी नहीं आ सकता है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नारायणी कैनाल की वजह से पानी का अवरोध न हो और उसके लिये ऊपर एक मजबूत बंध बना दिया जाय।

मैं भी जैसा कि पहले कहा जा चुका है सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोगों के आवागमन के लिये, विद्यार्थियों की फीस की माफी के लिये और जो आवश्यक सहायता है उसका प्रबन्ध किया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। वह यह है कि सिंचाई मंत्री जी आज बुलन्दशहर गये हुये हैं, वहां जो बांध कटा है उसी की देखभाल के लिये वह गये हैं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का कि यहां के पश्चिमी जिलों के निवासी, जिन को बाढ़ का कोई अनुभव नहीं था और जो नहीं जानते थे कि बाढ़ किसको कहते हैं वहां भी आज करीब ३ साल से गांव के गांव और जिले के जिले बाढ़ से तबाह हो रहे हैं। हमारा इटावा जिला जिस के बारे में पारसाल भी मंत्री जी काफी समझ चुके हैं कि वह कैसी भयंकर आपत्ति में फंसा हुआ था। हमारे जिले में जहां २ बड़ी नदियां जमुना और चम्बल बहती हैं वहां जो छोटी-छोटी ४-५ नदियां हैं वे भी भयंकर रूप धारण कर रही हैं और उन से वहां के आदमी और पशु तबाह हो रहे हैं। वहां यह ४-५ नदियां तो तबाही ला ही रही हैं लेकिन वहां एक और भयानक चीज यह है कि वहां पर वाटरलागिंग होती है जो कि पहले नहीं होती थी। इस का कारण यह है कि पहले जो वर्षा होती थी उसका पानी निकल जाता था। उस तरफ अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। वहां जो नालों का लेविल है और जो पुलिया पानी के निकलने की बनी है वह इतनी छोटी है कि जितनी नालों की कैपेसिटी है उसके हिसाब से पानी उस से नहीं निकल पाता और पानी रुक जाता है।

दूसरा कारण यह है कि जब कभी यह नाला बनाया गया होगा उसके बाद इटावा में नहर और बम्ब बनाये गये उसके कारण पानी का जो धरातल था वह जमीन के बहुत समीप आ गया है। और इस कारण से बरसात में पानी बहुत करीब आ जाता है। पानी जो पहले ६० हाथ पर था वह अब ७-८ हाथ पर आ गया है। इस का असर यह हुआ है कि पानी निकट होने के कारण जमीन की पानी को सोखने की शक्ति कम हो गई और जो नाले पानी को नदियों में ले जाते थे उनकी ठीक से कभी सफाई नहीं होती। अब पहले से ३० गुना और ५० गुना पानी अधिक वहां चलता है।

हमारे यहां एक टकपुरा नाला है जो बहुत पुराना है और जो ३ मील चलकर सेंगर नदी में गिरता है। जरा भी बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है। इस विषय में विभाग का ध्यान भी दिलाया गया और पत्र भी लिखा, लेकिन विभाग की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। यह जो टकपुरा का नाला है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से और विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उस का पानी रुक जाता है और ३ मील के फासले पर उसे सेंगर नदी में डाला जाता है, उस पानी को अगर जमुना जो बड़ी नदी है और अधिक गहरी है उस में गिराया जाय तो यह भयानक स्थिति पैदा न हो। जब हम ने सुझाव रखा और प्रश्न उठाया तो कहा गया कि उस का पुनरुद्धार किया जायेगा और उस नाले को ही और खोद दिया जायगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को और विभाग से कह देना चाहता हूं कि यदि इस नाले को जमुना नदी में डाइवर्ट नहीं किया गया तो गांवों और हजारों एकड़ भूमि और जान माल की क्षति होगी। उस को गहरा करने से कोई लाभ न होगा। जब ३ मील पर सेंगर से इस नाले का पानी जाता है तो वह बड़ा भयानक रूप धारण करता है, पेटे में मिट्टी भर गई है और पानी अधिक तेजी से आगे नहीं जा सकता, लेकिन इस नाले को जमुना में न डालकर दूर ३ मील पर सेंगर में डाला गया है। जब नाले को गहरा करके सेंगर नदी में फिर लाया जायेगा तो नदी का पानी अगर बढ़ा तो वह नाले में टक्कर मारगा और मुझे डर है, यद्यपि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, नदी का पानी बढ़ेगा तो उल्टा नाल म जायगा। तो उस नाले की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाय। अगर इंजीनियर समझते हों कि सेंगर नदी में ही ले जाना ठीक होगा तो वहीं ले जायं वरना जैसा हमने और उस क्षेत्र के निवासियों ने लिखा है, उसे नगला नगौली से ले जाकर या परसिया, विजयपुर से ले जाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

यमुना में डाल दें। मैं जब आया तो नाला बढ़ा हुआ था। मैंने डी०एम० से कहा। उन्होंने एस०डी० ओ०, इटावा को भेजा। सड़क के किनारे असरा एक गांव है, हमने खुद देखा कि वह चारों तरफ स पानी से भरा गया था। एक बच्चा डूब गया था, बाल उसके दिखाई दे रहे थे, लोगों ने उसको पकड़ कर निकाला। इस प्रकार की हालत है। लोगों के दरवाजों की देहरी तक बन्द थी। जब एस०डी०ओ०, इटावा गये तो वह कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसक कि १०-२० रुपये की सरकारी मदद दे दें, इतनी जल्दी खुदाई तो हो नहीं सकती। तो उस नाले को चौड़ा करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमने सिंचाई विभाग के इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सफाई कर दी, वह हमारा काम है, लेकिन खुदाई के लिये तो दूसरा विभाग है, वहीं से उसकी व्यवस्था होगी।

इसी तरह से रामनगर का एक दूसरा नाला है, वहां भी यही हाल है। हमारे यहां इटावा से मैनपुरी जो सड़क जाती है उसको तोड़ दिया गया था, वह सड़क आज तक नहीं बनी, साल भर हो गया, पानी निकलता है। जेल की पुलिया को भी लोग तोड़ना चाहते हैं ताकि पानी जल्दी से निकल सके। इटावा में उतनी तबाही बाढ़ से नहीं है जितनी वाटरलागिंग के कारण है। माननीय मंत्री जी वैसे बड़ी उदारता बरतते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि इन नालों का परमानेंट अरेंजमेंट नहीं कर दिया जाता। हमारे इटावा के लिये एक आदेश भेजा जाय कि जहां जहां वाटरलागिंग होता है उसको देखकर ठीक प्रकार से नालों की व्यवस्था कर दी जाय। यह व्यवस्था हो जायेगी तो इटावा की कोई भारी शिकायत नहीं रहेगी। जो पानी नदियों में बढ़ता है उसके लिये तो जब सबका विचार होगा तो उनका भी होगा।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विवाद में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैंने सन् १९३८ की बाढ़ देखी, सन् ४८ की देखी, फिर ५१ की देखी और ५८ की भी देखी, लेकिन मैं सरकार को आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इस समय क्या हालत है। बस्ती जिले के अन्तर्गत हरैया तहसील है जहां पर घाघरा और मनवर दो नदियां ह, वे दोनों एक में मिल गई हैं और ३१ तारीख को १२ बजे रात से, बिक्रमजोत स्थान से एक मील तक घाघरा नदी का जो पाट पड़ता है वहां तीन, सवा तीन सौ गांव, आज तक पानी से भरे हुये हैं, आदमी मचान पर हैं और ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जैसी प्रलयकारी बाढ़ हमने आज तक न देखी और न सुनी है।

दूसरी बात जो मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं वह यह है कि जिन ३०० गांवों का मैंने जिक्र किया उनका ११ दिन लगातार रहकर मैंने खुद दौरा किया है। वहां केवल ४ नावें हैं और कल मुझे सूचना मिली है कि दो तीन नावें काफी प्रयास करने के बावजूद दूसरी जगहों से पहुंची हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ३०० गांव पानी से प्रभावित हैं और ४,६ नावें हैं तो किस प्रकार काम चल सकता है ?

दूसरी तरफ मैं यह बताना चाहता हूं कि ७ गांव ऐसे हैं जो एकदम पानी में बह गये। ५०० फैमिलीज को हमने बाहर निकाला है। चार मौतें हो गयीं। सरकारी आंकड़ों में किसी मौत का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि माल मंत्री के पास कोई सूचना न हो। जहां तक सहायता कार्य की बात है मेरे पास खुद इसके आंकड़े हैं। पूरे जिले में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ३७३ व्यक्ति निकाले गये। लेकिन मैं बतलाता हूं कि ५०० फैमिलीज केवल हरैया तहसील से निकाल कर बाहर की गयीं। ९६ मन चना बांटा गया जबकि पूरे जिले में ७००-८०० गांव हैं और १७ मन नमक बांटा गया है। इन आंकड़ों को देखने से आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस प्रकार वहां की जनता का काम चल रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूं और इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूर कह देना चाहता हूं कि मैंने अपनी परेशानी वहां से माल मंत्री के नाम से और मुख्य मंत्री के नाम से टेलीग्राम द्वारा व्यक्त की और करीब १७,१८ रुपये तार में खर्च किये ताकि उनकी निगाह कुछ उधर घूमे लेकिन किसी का उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं समझ नहीं पाया कि इतनी बड़ी प्रलयकारी बाढ़ आई हुई हो, जहां की इतनी बड़ी जनता परेशान हो और उस तरफ कोई ध्यान न दिया जाय। जिन लाशों को मैंने देखा उनका कोई पता नहीं चला कि किस गांव से वे आई। बड़ी मुश्किल से दो आदमियों का पता चला और दो का पता अब तक नहीं चल सका।

मैं यहां आया और मैंने लगातार प्रयास किया। माल मंत्री जी की तबियत कल तक खराब थी। फिर भी मैंने उनसे कहा कि अगर वे नहीं जा सकते हैं तो अपने उप मंत्री को यहां से भेज सकते हैं। निःसंदेह वहां की दशा ऐसी है, जिसका वर्णन हम खुद यहां नहीं कर सकते हैं।

दूसरी समस्या जिसका जिक्र गौरीशंकर राय जी ने किया वह है वसूली की। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो सहायता का काम है, जो सामग्री दी गयी वह कुछ भी नहीं है। वह एक गांव के लिये भी पर्याप्त नहीं है। मैं नायब तहसीलदार, एस०डी०ओ० से भला सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में जहां की जनता भूखों मर रही हो, जानवर मर रहे हों, दवा का कोई इन्तजाम न हो, १५,१५ मील तक कोई अस्पताल न हो, ऐसे समय वहाँ मालगुजारी वसूल करना कहां तक उचित होगा? प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की विपदा सरकार के सामने आती है लेकिन सबसे पहला काम यह होता है कि मालगुजारी की वसूली का काम बंद होता है। लेकिन इस साल अब तक कोई इस तरह का आदेश नहीं गया है जिससे वसूली न हो।

दूसरे विद्यार्थियों की समस्या है। ऐसे विद्यार्थी मुझसे मिले जिनके मकान गिर गये, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं है। उनकी फीस अगर माफ नहीं की गयी तो उनकी पढ़ाई आगे चलना मुश्किल हो जायगा। सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं।

एक बात और कहना चाहता हूं। बिक्रम जोत से लेकर के १ मील के एरिया में जहां पर पहले प्राचीन काल में लोगों ने मिल कर एक बांध बनाया था वह टूट गया है और उसी के टूटने से यह विपत्ति आयी है। सरकार उसका निरीक्षण करके बांध बनाये जिससे उस क्षेत्र की रक्षा हो सके।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, जब से मैं इस सदन का सदस्य चुना गया हूं प्रायः हर साल बाढ़ें आती हैं और उस पर विवाद भी हो जाता है। श्रीमन्, मंत्री जी अक्सर यह कहा करते हैं कि कुछ बादलों की बदतमीजी के कारण, प्रकृति के कोप के कारण यह सब बातें होती हैं और जनता को बाढ़ और वर्षा से कष्ट होता है। मैं अपने साढ़े चार वर्ष के इस सदन के जीवन के बाद यह सब कह रहा हूं। मैं बाढ़ पीड़ित इलाके का आदमी हूं। अभी माननीय केशव पांडेय जी ने बताया कि टेढ़िया बांध टूट गया। जिस समय हम आपके सामने यह बात कह रहे हैं, कह नहीं सकते कि इस समय वहां क्या हाल होगा। कम से कम सौ ५० गांवों के छप्परों के ऊपर से पानी गया होगा।

बाढ़ का कारण क्या? सबसे बड़ा कारण सरकार की अनियंत्रित योजनायें हैं। अगर प्रदेश में पहली, दूसरी और तीसरी योजनायें लागू न हुई होतीं तो मैं दावे से कह सकता हूं, बाढ़ पीड़ित होने के नाते, नदी के किनारे बसने के नाते, कि इतनी ज्यादा बाढ़ कतई न आती। इसीलिये मैंने इशारा किया, सिंचाई मंत्री जी आज नहीं हैं, पूर्वी जिलों में कितनी स्कीमें बनीं बाढ़ रोकने के लिये? १८ करोड़ रुपये की जलकुन्डी योजना का सवक्षण हुआ बहराइच के ऊपर, राप्ती कमजोर कर दी जायगी, जलकुंडी का सागर बनेगा लेकिन वह किसी भी योजना में नहीं बनाया गया। १८ लाख रुपये से नैपाल में बांध बनने वाला था, रुपया रखा हुआ है, सिंचाई मंत्री जी यहां मौजूदा नहीं हैं, लेकिन वह बांध नहीं बना। घाघरा का घनघोर कटाव रोकने के लिये ११२ करोड़ रु० का प्रस्ताव डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार ने रखा

[श्री उग्रसेन]

था लेकिन इस सरकार ने उसको स्थगित कर दिया। १ करोड़ ५२ लाख रुपये से गंगा की वाराणसी में धारा बदलने की योजना थी, ३ करोड़ रु० की योजना गांवों को ऊंचा करने की थी जिसको सेन्ट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने मंजूर किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय चद्रभानु गुप्त जी की सरकार में, जिसमें चन्द्र और भानु दोनों गुप्त हैं, माननीय सिचाई मंत्री हमको डुबा रहे हैं। वह हमको डूबने पर दियासलाई और नमक दे रहे हैं। न दें, हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है।

३ करोड़ रुपया गांवों को ऊंचा करने के लिये रखा गया था, वह नहीं किया गया। और दूसरी तरफ २ करोड़ की माताटीला की योजना ११ करोड़ की हो गई, रिहन्द की २५ करोड़ की योजना ४५–४६ करोड़ की हो गई, परन्तु पूर्वी जिलों की जितनी योजनायें थीं सब काट डाली गयीं। हम समझते हैं यह कमजोरी हमारी ही है, पूर्वी प्रदेश में रहने वाली जनता की कमजोरी है। माननीय गौरीशंकर राय, माननीय रणबहादुर सिंह तथा माननीय रामजी सहाय मौजूद हैं इनसे पूछिये जहां हम बसते हैं, ५० हजार आदमी वहां ऐसे हैं जिनको रहने को घर नहीं है। घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक और बड़ी गंडक बराबर काट रही है। नारायणी कैनाल हमारे लिये अभिशाप बन कर रह गई, उसका सारा पानी घाघरा, राप्ती के संगम पर जा रहा है। बड़ी गंडक की धारा बदल गई उसका पानी नारायणी कैनाल से आ रहा है।

आज सिसवा में बाढ़ आयी हुई है, जहां बाढ़ कभी जिन्दगी में नहीं आयी। आजमगढ़ की तरफ बलिया में आपने बांध बना दिया और सारा पानी गोरखपुर, देवरिया को भेज दिया। बड़हलगंज में, माननीय रामजी सहाय के क्षेत्र में, १७० गांव टापू बन चुके हैं। मालूम हुआ कि कुछ नावें भेज दी गयी हैं। नावों से कुछ होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो योजनायें आज हमें डुबा रही हैं, बाढ़ पीड़ितों की आह है कि वह योजनायें और उन योजनाओं को चलाने वाली सरकार डूब जाय। हमारी लाशें बह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी बड़ी आफत आयी मगर देवरिया के कलेक्टर ने सूचना तक नहीं दी। ६ बार मैं कलेक्टर के पास गया, कानूनगो के पास गया। लेखपाल खसरा खतौनी के कागज बना रहे थे। माननीय मंत्री जी चना दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि ले जाइये यह चना बहराइच में। जहां पिछली बार माननीय मंत्री जी अच्छे रहते थे तो हमारी तरफ पधारते थे, इस बार बेचारे बीमार हो गये, जा भी न सके।

हम चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जलकुंडी नैपाल बांध, घाघरा कटाव योजना पूरी की जाय। हम चाहते हैं कि जो योजनायें फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने मंजूर की हैं, माननीय मंत्री जी केन्द्र से रुपया मांगें, सिचाई मंत्री को समझायें कि अगर हमें जिलाना चाहते हैं तो उन योजनाओं को कार्यान्वित करें। लखनऊ में बाढ़ आयी, माननीय मंत्री जी के बंगले में पानी घुस गया। बटलर बांध जल्दी जल्दी बनने लगा। उधर हमारे घर के घर और गांव के गांव डूब गये हैं और क्या होता है कि दो, चार सेर चना दे दिया जाता है।

मंत्री जी ने मिस्र में 'अस्वान बांध' का नाम सुना होगा। चीन में व्हांगहो नदी, जिसे शोक की नदी कहा जाता था, उस पर ३० लाख चीनियों ने ६ महीने लगातार काम करके शोक की नदी की बाढ़ की जो परम्परा थी उसे खत्म कर दिया। इन बाढ़ों को रोकने का एक ही तरीका है कि मंत्री जी तमाम योजनाओं को देखें और उसके बाद उनको कार्यान्वित करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम साधिकार कहते हैं कि डेढ़ करोड़ आदमी डूब जायेंगे। सेर, दो सेर चने से आप कतई नहीं बच सकते। सन् ४८ की फ्लड कमेटी के चेयरमैन माननीय मंत्री जी रहे, माननीय चरणसिंह रहे। उस कमेटी की जो भी सिफारिशें आयीं एक भी कार्यान्वित नहीं हुई। मैं पूर्वी जिलों के विधायकों से कहना चाहता हूं कि अभी समय है, अगर तीसरी योजना निकल गयी तो ६५–६७ में आधा पूर्वी प्रदेश डूब जायगा और आप रोक नहीं सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं से हमें बचाइये, उनसे डुबाइये मत।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं और जिसका जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं वह मुरादाबाद में हसनपुर तहसील है। उसके ४२ मील के क्षेत्र में गंगा बहती हैं और परिस्थिति यह है—मैं तो बहुत समय से देख रहा हूं १०,१५, २० वर्षों से—कि कोई साल ऐसा नहीं जाता जिसमें वहां बाढ़ न आती हो। मैंने उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से देखा है। साधारणतया यह होता है कि जहां दरिया होती है उसके आसपास के ५–७ मील का पानी बह कर आता है और दरिया में गिरता है। इसका मतलब है कि दरिया का लेविल नीचा होता है। लेकिन उस तहसील की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। वहां की हालत यह है कि जब पानी दरिया के किनारे से एक इंच भी निकल गया तो पानी इस तेजी से दूसरी ओर नीचे को बहने लगता है कि उसकी ढाल जैसे दूसरी तरफ हो। मैंने उस जमाने में देखा कि ५–६ मील तक पानी था और एक तरफ ४० मील तक था। वहां की परिस्थिति ऐसी है कि गंगा का पानी ५ मील तक दूसरी तरफ बहता है। वहां पर दो नदियां हैं। पहले एक नदी की तरफ बहता है और बाद को दूसरी की तरफ बहता है।

माननीय माल मंत्री जी देखेंगे कि यह जो नक्शा तक्सीम किया गया है उस इलाके में गंगा के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद और बदायूं ये तीन जिले हैं। बिजनौर में बहुत कम नुकसान है, उससे ज्यादा मुरादाबाद में है और सब से ज्यादा बदायूं में है। इसका यह अर्थ है कि बिजनौर जिले का क्षेत्र ऊंचा है। मुरादाबाद उससे नीचा और बदायूं सबसे नीचा। गंगा के किनारे से इलाका नीचा है। उसका एक ही उपाय है कि वहां पर बंधा बनवा दिया जाय। उसका सर्वे भी हो चुका है क्योंकि जब अन्दर का लेविल नीचा है तो और तरीकों से पानी रुक नहीं सकता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर एकबारगी कट जाय तो क्या होगा ?

श्री जगदीशप्रसाद—अगर एक जगह से कट जायगा तो कम नुकसान होगा। इसका तखमीना २४,२०,३१७ रुपये का है। गवर्नमेन्ट समझती है कि यह रकम बहुत ज्यादा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि इस तहसील में एक साल में १ लाख २९ हजार की छूट और १ लाख ९० हजार की तकावी देनी पड़ी है यानी गवर्नमेन्ट तीन साढ़े, तीन लाख रुपया हर साल खर्च करती है लेकिन २४ लाख रुपया इस स्कीम पर खर्च नहीं कर सकती है जब कि इंजीनियरों का कहना है कि बंधा बनाने से यह रुक जायगा।

श्रीमन्, मैं बड़ी विकट परिस्थिति में पड़ गया हूं। अगर मैं कहता हूं कि इस सैलाब के इलाके को तकावी न दो तो बड़ा पाप है और अगर कहता हूं तकावी दो तो भी ठीक नहीं है। यह तहसील तकावी से इतनी लद गई है कि वह वसूल नहीं की जा सकती है। जिस तहसील में हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण उसको हर साल छूट और तकावी देनी पड़ती है उसको कैसे वसूल करेंगे ? आप कितने ही कोआर्सिव मेजर्स काम में लायें लेकिन वह वसूल नहीं की जा सकती है। आप अगर वहां पर बंधा बनवा दें तो यह मुसीबत दूर हो सकती है।

एक तजवीज मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को दी थी। यह स्कीम २४ लाख की है। वहां पर मैंने मालूम किया कि २०२ गांव हैं जहां हर साल नुकसान होता है। उनमें ८ हजार हल हैं। उनमें प्रत्येक हल पर १०० रुपये तकावी दी जाय और वह किसानों को न दी जाय बल्कि इसके लिये वहां पर एक कमेटी बना दी जाय, उसको दी जाय। इस तरह से यह ८ लाख रुपया हो जायगा और यह बंधा बनने के तीन साल बाद वसूल किया जाय। मैं वहां से प्रस्ताव करा सकता हूं कि सब किसान तैयार हैं। इस तरह से १६ लाख की बात रह जाती है। मैं आपको एक ऐसी तरकीब बता रहा हूं कि आपको ८ लाख की तकावी देनी पड़ेगी और उसको आप एक कमेटी को दे दीजिये। ४–५ लाख रुपया अर्थ वर्क का, श्रमदान द्वारा हो सकता है, इसमें यह काम अर्थ वर्क का ही है। हमारे यहां, हरि बाबा, एक बाबा जी थे जिन्होंने अर्थ वर्क से ही एक बंधा बनवा दिया।

[श्री जगदीशप्रसाद]

इस इलाके में बाढ़ आती है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है। इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जब से नरौरा डैम बना है तब से यह बात हो गई है। इसकी दीवार ऊंची है। उसकी वजह से दरिया का बेड ऊंचा हो गया है। मंत्रीजी देखेंगे कि दरिया के बराबर बांध बनेगा तो पानी को बाहर नहीं जाने देगा। जब से नरौरा डैम की दीवार बन गई है तब से रिवर का बेड ऊंचा हो जाने से पानी निकल जाता है और पानी थोड़ा सा आ जाने से तहसील को डुबा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसा मैंने कहा ८ लाख रुपये आपको जनता से मिल जायेंगे। यह एक बहुत अच्छी योजना होगी। अगर यह सफल हुई तो इसका असर प्रांत के दूसरे इलाकों पर भी पड़ेगा।

श्री रूपसिंह (जिला शाहजहांपुर)---व्यवस्था का प्रश्न है। अभी अधिष्ठाती महोदया ने यह आज्ञा दी थी कि जिन लोगों ने बाढ़ के सिलसिले में अपने सवाल दिये थे उनको पहले बोलने का मौका मिलेगा, वह व्यवस्था चलायी जा रही है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---पहले बोलने का मौका मिलेगा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि उनको भी मौका मिलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज जो बाढ़ के सिलसिले में वाद विवाद शुरू करते वक्त माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया वह भाषण ही इस बात को विदित करता है कि अब की साल की बाढ़ बहुत ही भयंकर है और भयावह है।

इस तरह की चर्चा, प्रायः हर साल एक रोज इस सदन में होती है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि कोई विशेष असर इस विवाद का या इन सुझावों का इस सरकार पर नहीं पड़ता है। मान्यवर, इस तरह की क्षति प्रांत के देहातों में हो, गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हो जायं, उनके बच्चे पानी के अन्दर बह जायं, मवेशी पानी में घिर कर बिना चारा के मर जायं, उसके बाद हमारी सरकार कुछ दियासलाई, कुछ मिट्टी का तेल, कुछ बोरी चना बांट कर संतोष कर ले, यह कुछ उचित प्रतीत नहीं होता।

अभी हम से पहले सत्ताधारी दल की ओर से जो माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रसाद बोल रहे थे उन्होंने कुछ सुझाव दिये। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। प्रायः ऐसे ही सुझाव हमेशा आया करते हैं। लेकिन हम को ताज्जुब तो यह है कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव आने पर भी सरकार उन पर गौर नहीं करती है। मैं अपनी चार, साढ़े चार साल की जिन्दगी में बीसों बार कह चुका हूं कि जितना यह सरकार बाढ़ के जमाने में बांटती है, या कुछ सामान बांटने में या नावों या अफसरों के तैनात करने पर जितना खर्च करती है, अगर उन सब को जोड़ा जाय तो इतने से उस क्षेत्र की बाढ़ बचाई जा सकती है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं कि थोड़े रुपये खर्च करके उस क्षेत्र की बाढ़ बिलकुल रोकी जा सकती है कुछ नाले खोद कर, कुछ बांध बांध कर। गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील है जिसमें पता नहीं पिछले सुझावों की तहत या कैसे, हमारे पुराने सिंचाई मंत्री माननीय कमलापति जी ने महाव नदी की खुदाई का प्रबन्ध किया था। डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया। लेकिन यह नहीं देखा गया कि वह खर्चा जायज व ठीक तरीके से हुआ या नाजायज तरीके से। मैं दो बार कह चुका हूं उसकी जांच करवाई जाय कि वह रुपया किस बुरी तरीके से खर्च किया गया है। उस नदी से सगरहवा, गणेशपुर और मनकापुर जो डूबा करते थे, आज ज्यादा डूब रहे हैं, महज इसलिये कि रुपया ठेकेदारों और ठेका देने वालों के पेट में गया, मौके पर काम बिलकुल उल्टा हुआ। इधर की तरफ जहां काम शुरू हुआ वहां नदी की चौड़ाई ज्यादा थी। जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे ठेका देने वालों के दबाव ऐसे बढ़ते गये, और वह ज्यादा से ज्यादा

पैसा खुद खाते गये, पैसा नदी के पेट में नहीं जा सका । नतीजा यह हुआ कि नदी की धारा उल्टी बन गई, आगे चल कर पतली हो गई जिससे सारा पानी गवों में फैल जाता है । और उस क्षेत्र की सारी फसल बरबाद हो जाती है दूसरा नतीजा यह हुआ कि जो बालू निकाली गई थी वह फिर भर गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बाढ़ की जो विभीषिका बढ़ती जा रही है वह परमात्मा की देन नहीं है, इस कांग्रेसी सरकार की देन है । वर्ना इतना रुपया खर्च करने के बाद उस क्षेत्र की बाढ़ बिलकुल खत्म की जा सकती थी जो सारा रुपया ठेकेदारों और कांग्रेसी अधिकारियों के पेट में जाने से सारी योजना फेल हो गई । यह कांग्रेसी सरकार आज पूरे प्रान्त में इस आने वाले बाढ़ की जिम्मेदार है ।

आज इनकी सारी योजनायें अनियोजित ढंग पर चल रही हैं । हमारा यह कांग्रेसी राज्य जो काम शुरू करता है उस काम का अंजाम क्या होगा यह नहीं देखता । हम जो पुल बना रहे हैं उससे बाढ़ का पानी निकल भी पायेगा या नहीं यह नहीं देखा जाता बल्कि यह सोचते हैं कि उससे उनके जो नजदीकी लोग हैं वह कैसे फायदा उठायेंगे, ठेकेदारों को और इंजीनियरों तथा ओवरसियरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा रुपया बच पायेगा । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अगर मंत्री जी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि उनके १० साल के राज्य में जिनके पास कुछ नहीं था उनकी लाखों रुपये की बिल्डिंग बन गई हैं, ओवरसियरों और इंजीनियरों की बिल्डिंग बन गई हैं, मामूली इंस्पेक्टरों की जिनकी तनख्वाहें सिर्फ सौ, सवा सौ रुपये महीने की हैं उनकी पचासों हजार की बिल्डिंग बन गई हैं । यह कहां से आ रहा है ? यह उन किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो कांग्रेस सरकार चुनते हैं । यह अनुचित तरीके से योजनायें चलाकर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को रुपया दिला रही है ।

मेरे यहां रोहिन, बघेला, महाव, बसमनियां, प्यास और झरही आदि नदियों से जो नुकसान व खतरा पैदा हो रहा है वह बहुत कम पैसे से बचाया जा सकता है । इसके लिये मैं ने कई बार सुझाव दिया कि बांध बंधवाकर यह बाढ़ खतम की जाये, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, मगर इस सरकार ने नहीं किया । सन् १९५८ में यह आश्वासन दिया गया था कि नदवा के किनारे हर साल डूबने वाले किसानों को बचाने के लिये उनको बाढ़ की जगह से हटाया जायगा और ऐसी जगह उनको बसा दिया जायगा जहां उनके बसने और खेती का इंतजाम हो जाय । सन् ५८ के बाद तीन साल हो गये लेकिन आज भी ५४ घरों के किसानों के पास एक इंच जमीन नहीं है, वह पेड़ों के नीचे छप्पर मड़ई डाल कर अपनी जिन्दगी काट रहे हैं । तहसीलदार और डिप्टी कांग्रेस सरकार को लिखकर भेज देते हैं कि गांव वाले जाने को तैयार नहीं हैं । गांववालों से जब मिला जाता है तो वह कहते हैं कि पेड़ के नीचे छोड़कर आसमान के नीचे कहीं पर हमें मड़ई बनाकर रहने का मौका दिया जाय, हम जाने को तैयार हैं । आज भी मेरे पास रजिस्टर्ड लेटर आया है वह मैं मंत्री जी को इसके बाद दूंगा और आशा करूंगा कि वह इनको कहीं बसावें और इन के बाल बच्चों को रोटी दें । इन किसानों की जो हालत है उससे हमारा जिला जर्जरित हो रहा है और कोई सुनियोजित प्रबन्ध इनके बसाने के लिये नहीं हो रहा है । मामूली पैसे से इन किसानों को बसाया जा सकता है और इनकी दुर्दशा रोकी जा सकती है । अगर यह किसान सम्हलेंगे तो हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ेगी और जो हमारी विकास की योजनायें हैं वह भी विकसित हो सकेंगी । मझार के हजारों किसान बसमनियां के एक किनारे बांध बांध कर बचाये जा सकते हैं, दूसरे किनारे के लोग अपना घर छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार हैं, जमीन परती के रूप में काफी पड़ी है, इन्हें बसाया जा सकता है मगर यह सरकार करना चाहे तब ?

श्री रामजीसहाय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रतिवर्ष इस विषय पर विवाद होता रहा है। मुझे खेद है कि वह गंगा की और जलकुंडी योजनायें कहां गईं ? हमें आज एक युग हो रहा है आजाद हुये लेकिन हम अभी तक कुछ प्राप्त नहीं कर सके । हम यदि ब्लाक डेवलपमेंट की जो जीपें बेकार दौड़ती हैं और उन पर पेट्रोल खर्च होता है उसको बन्द कर दें तो हमको इतना पैसा मिल जाय कि उससे बहुत से रचनात्मक काम हमारे हो जायं ।

[श्री रामजी सहाय]

जो यह विवरण हमको आज दिया गया है उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह १९ अगस्त के हैं लेकिन २४ तारीख की हमारे यहां की स्थिति यह है देवरिया जिले की कि १ लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि पानी के अन्दर है और जो छोटी-मोटी योजनायें है गंडक, राप्ती, घाघरा से चारों तरफ से जिले के घिरे होने के कारण रुकी पड़ी है । ये बड़ी नदियां तो हैं ही, सौ से भी ज्यादा छोटी नदियां हैं । इनसे हमारा जिला प्रत्येक वर्ष इस तरह से जर्जरित होता रहता है और हाल ही में रबी की फसल बरबाद हुई है, कारण उस समय हेलस्ट्रार्म भी हुआ है । छितौनी रेलवे स्टेशन का आज तक पता नहीं है कि कहां पर है ? गंडक ने ही हमको नहीं बरबाद किया है बल्कि गंडक की जो नहरें हैं और रोहिन में दूसरी धारायें जो निकली हैं उनसे स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई है ।

कहा गया है कि केवल ९४ गांव में लोग त्रसित हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि केवल हमारे क्षेत्र में १५० से अधिक गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं । जब हम छोटी-मोटी योजनायें बताते हैं कि उनको पूरा कर दें और जब आप उनको भी पूरा नहीं करते और इस बाढ़ के अवसर पर वह भी चीजें पूरी नहीं होतीं तो बाढ़ पीड़ित लोग कैसे सुविधा प्राप्त कर सकेंगे ? आज तो चारे का अभावभी पैदा हो गया है । पीने के पानी के नल बहुतेरे गांवों में नहीं हैं जिससे लोग बीमार होंगे, उसी से मरेंगे । इसी तरह से गांव पटाई की योजना थी वह भी बीच में ही छोड़ दी गईं । पिछले साल खादी के ऊपर और कताई के ऊपर कोई राज्य सहायता नहीं दी गई थी और आज भी कई जगहों में लगान वसूली हो रही है । मैं इसकी एक कमेटी में उपस्थित था, जहां मैंने इस बात को देखा कि आज भी उनसे लगान वसूल किया जा रहा है । तो इन सब कारणों से जनता को काफी कष्ट है और मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को जरा मुस्तैदी से काम करना चाहिये ।

सप्लाई विभाग में जो हमारे जिले में मनमानी तरीके से काम होता है उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । एक छोटा-सा बन्ध हमारे यहां बन रहा था । उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से कहा कि आप गांव सभाओं के सभापतियों को अलग अलग काम दें । उन्होंने मुझसे इस बात को स्वीकार किया लेकिन इसके बाद भी क्योंकि उनको तो उसमें रकम लेनी थी, इसलिये उन्होंने उसका ठेका एक आदमी को दे दिया । मेरे बार बार कहने पर भी उन्होंने अपनी वाली की । वह लोग यह थोड़े ही देखते हैं कि जनता का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वह तो अपने पाकेट का डेवलपमेंट देखते हैं कि वह किस प्रकार से होगा । आज हम इस प्रकार की स्थिति में चल रहे हैं ।

आपने एक सड़क बनवाई नगवा रोड । कितने दिनों से यहां मैं प्रार्थना करता रहा कि साहब आपने पूरे जिले के बाढ़ क्षेत्र में अब तक एक ही सड़क बनवाई है, उसकी हालत तो कम से कम ठीक बनी रहे। आज उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है । वह कई जगह ध्वस्त हो गयी है । आपने कहा कि एक जगह एक बन्धा टूटा है । लेकिन पूरे जिले भर में उस पर न जाने कितने बांध टूटे हैं । आपको क्या पता नहीं कि चाइना ने सारी आफ चाइना को और अमेरिका ने अपने यहां की बाढ़ की मुसीबतों को किस-किस तरह से कब्जे में किया ? हमें भी कोई रचनात्मक कार्य उसके लिये करना चाहिये था जिससे कि हमारे ग्रामीण लोगों की यह मुसीबतें दूर होतीं । सरकार से मैं यह कहूंगा कि गांवों में आप कुछ न करें लेकिन नाव बनाने के लिये उन्हें अंशदान तो करें । आपने ८ नावें वहां भेजी हैं । १९ अगस्त तक आपने पत्र में लिखा है लेकिन वहां ८ नावें ही पहुंची है । आप सोचिये कि जहां दो, तीन, चार सौ गांव बाढ़ से त्रस्त हों वहां आठ नाव या २०–२५ नावों से भी क्या हो सकता है ? आपको चाहिये था कि आप कुछ रुपया गांव वालों को देकर उन्हें स्वयं अपनी नावें बनाने के लिये प्रोत्साहित करते ताकि गांव वाले इस मुसीबत के समय में अपनी रक्षा करने के लिये नावें बना लेते लेकिन यह सभी चीजें बीच में ही छोड़ दी जाती हैं । हम कोई भी चीज नहीं पाते हैं और आज वहां का किसान बड़ा दुखी होता जाता है ।

मझोलिया बांध आपने एक बांधा था गोरखपुर में लेकिन उसी के साथ साथ राप्ती नदी पर देवरिया में इसका खयाल नहीं किया गया । अब सारा पानी इस जिले में आ रहा है । सरकार के सामने आखिर कोई योजना होनी चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि चार गांवों को तो आपने बचाया और ७० गांवों को डुबा दिया । राय साहब ने बिलकुल ठीक कहा था कि छोटे मोटे नाले जो उथले हो गये हैं उनको अगर आप बुलडोजर से गहरा करा दें तो पानी जा सकता है । मझौलिया बांध तो आपने बनाया लेकिन नगवा का एक मील लम्बा गांव इस तरह से कट रहा है और उसको बचाने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। मैंने बार बार प्रार्थना की कि इस कस्बे को बचाइये लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । यह विषय ऐसा है कि आज यह बाढ़ की समस्या हर जिले में है और हर माननीय सदस्य अपने अपने जिले की बात यहां रखना चाहेंगे । तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से समय आप दें कि हर जिले के लोग बोल सकें । अभी एक जिले के चार चार सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब जिले के हिसाब से तो बड़ी कठिनाई होगी । मैं तो पार्टियों की तरफ देख रहा हूं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—मेरा निवेदन यह है कि जिस जिले का एक व्यक्ति बोल चुका है तो दूसरे व्यक्ति को, उसी जिले के रहनेवाले को मौका न दिया जाय चाहे वह किसी भी पार्टी का हो । एक जिले के एक व्यक्ति को ही बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस एजेन्डे के आइटम नम्बर ८ को अगर आप देखें तो २५ माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के अन्तर्गत इस प्रश्न को दिया है । उन २५ व्यक्तियों में से शायद २, ४ व्यक्ति ही बोल पाये हैं । यह विवाद जो आया है उसके आधार पर ही सदन में आया है। जब उस प्रश्न को स्वीकर कर लिया गया तभी वह प्रश्न यहां पर आया है । जिनका नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न है उनको पहले समय देना चाहिये । अधिष्ठात्री महोदया ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। फिर न मालूम वह व्यवस्था कहां चली गई और दूसरी व्यवस्था चालू हो गई । आजमगढ़ के दो सदस्य बोल चुके हैं और गोरखपुर के चार सदस्य बोल चुके हैं । बाकी और भी जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आई है । वहां भी लोगों को परेशानी है । वह अपनी बात नहीं कह पायेंगे जिनकी वजह से यहां पर यह विवाद आया था ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पार्टियों के नेताओं से यह निवेदन करूंगा कि वह जिन लोगों को बोलवाना चाहें उनके नाम जिलेवार मेरे पास भेज दें ।

***श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बाढ़ के विषय पर बोलने का मौका दिया । एक बात यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के चार जिलों में से अभी तक बाढ़ के विषय पर कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है । बुन्देलखंड की तरफ से सबसे पहले इस बाढ़ के विषय पर मैं ही अपनी बात कह रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश में इस समय विशेष रूप से दो बाढ़ें आई हैं । एक बाढ़ आई मिनिस्ट्री की और दूसरी आई पानी की । जहां तक हमारे जिले जालौन का सवाल है जिला जालौन दोनों बाढ़ों से ही बहुत पीड़ित है । जहां तक पहली बाढ़ का सवाल है उसका बांध तो हम सन् ६२ में बांध लेंगे लेकिन जहां तक दूसरी बाढ़ का सवाल है उसके विषय में आपके द्वारा सरकार से मेरा यह निवेदन है कि बाढ़ का इन्तजाम केवल इतना ही काफी नहीं है कि कहीं कम्बल, दियासलाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

या नमक बांट दिया । जो इसका विशेष तात्पर्य है वह यह कि इस हाउस के माननीय सदस्यों को और मंत्रिमंडल को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में आने वाली प्रत्येक वर्ष की बाढ़ को रोकने के लिये कोई स्थाई हल निकाला जाय । मेरा निवेदन है कि बजाय इसके कि यह बात सोचें कोई स्थाई तरीके की बात सोचना चाहिये ।

जहां तक हमारे जिले की उरई की बाढ़ का सवाल है हमको इस बात का दुख है कि सरकार की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट में जिला जालौन की जानकारी बिलकुल ही अपर्याप्त है । मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिला जालौन के बाढ़ पीड़ित ऐसे गांव हैं कि जिन गांवों में कोई सरकारी अधिकारी आज तक नहीं गया । सिमिरिया और गुढ़ा के ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जिला जालौन के कलेक्टर ने आज तक नहीं देखा है । न मौजूदा कलेक्टर और न पिछले कलेक्टर वहां पहुंच सके हैं । वहां के हाकिम परगना भी वहां नहीं पहुंच पाये हैं । वहां कोई हाकिम नहीं जाता है । जब उन गांवों में को जायगा नहीं तो वहां का कैसे पता चलेगा कि वहां की बाढ़ का क्या हाल है ?

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला जालौन का जो सब से बड़ी प्राबलम है वह है उधा का वाटर लागिंग का है । वहां पर २५० गांव बिलकुल जलमग्न हैं । वहां की यह परिस्थिति है कि अगर कोई आदमी अपने मकान में बैठता है तो जमीन के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है । कोई आदमी मकान में बैठकर खाना नहीं बना सकता है । वहां पर चूल्हा नहीं जलता है । वहां पर वाटर लागिंग ने ऐसी बातें पैदा कर दी हैं कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं । जानवरों के गर्भ गिर जाते हैं । नतीजा यह हो रहा है कि वहां कोई नसल पैदा नहीं होती । ये हमेशा बीमार रहते हैं । अन्तरिम जिला परिषद् ने इस बात की कोशिश की और पिछली दफा इस बात का जिक्र किया गया कि जिला जालौन के वे २५० गांव माधोगढ़ इलाके के, जो वाटर लागिंग से पीड़ित हैं, उनके लिये स्थाई तरीका निकालना चाहिये । जिले के इंजीनियर और जिले के कलेक्टर वहां एक गांव में गये लेकिन दूसरी जगह नहीं जा सके । वहां आदमी कढ़ाव में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं । तो सरकार ने उन ढाई सौ गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । उन लोगों की मुसीबत की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह आवश्यक नहीं है कि आप उन लोगों को चना या दियासलाई बटवा दें, बल्कि उन के लिये कोई एक स्थाई हल होना चाहिये उस एरिया का एक्सपर्ट्स के द्वारा सर्वे कराना चाहिये । पिछले साल जब उरई में बाढ़ आई थी तो सारे जिले के अधिकारी एक तरफ थे और सारा शहर दूसरी ओर था और उस बाढ़ का नतीजा यह हुआ कि तमाम मकानों का नुकसान हुआ, कितने ही रुपयों का नुकसान हुआ और कितनी ही जानें गईं । पिछली बार यह कहा गया था कि उसका प्रबन्ध किया जायगा । अभी अगस्त का महीना है, और बरसात आने को है । उसमें उरई का क्या हाल होगा ? जो कचहरी और शहर के बीच का पुल है वह टूटा पड़ा है । जो सड़क बह गई थी वह भी टूटी पड़ी है और उरई का नगर जिसमें ३५, ४० हजार आदमी रहते हैं, वह बराबर बाढ़ से पीड़ित रहा है मगर सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । जहां तक वहां की नगरपालिका का सवाल है वह तो इस ओर ध्यान देने के लिये तैयार ही नहीं है ।

इसी तरह एक गांव है कोटरा मेरे क्षेत्र में । उसमें ५,००० आदमी रहते हैं । वह गांव बराबर कट रहा है और इस के लिये स्थानीय अधिकारियों से कई बार कहा गया । मुजफ्फर हसन साहब जब मिनिस्टर नहीं थे उस समय उस गांव में गये थे । मीटिंग हुई थी और उसमें गांव वालों ने कहा था कि यह गांव कट रहा है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । मैं सरकार का इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसको कटने से बचाने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त मोहना, मठेरछा, सैदनगर, सिमिरिया, गुड़हा, बन्धौला, ददरी आदि गांव में स्वायल इरोजन हो रहा है और कितने ही एकड़ जमीन बह गई है, मकान गिर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जिला जालौन का

जहां तक सवाल है वह यमुना, बेतवा और पहुज नदियों से घिरा हुआ है । ये नदियां अपने किनारे के गांव बरबाद करती रहती हैं और वे कट रहे हैं ।

अभी एक भाई से सुनने को मिला कि पूर्व में बाढ़ से बचाने के लिये गांव ऊंचे किये जा रहे हैं, लेकिन जहां तक बुन्देलखंड और जालौन का संबंध है सरकार की ओर से वहां इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । पिछले साल कुछ मकान गिर गये थे और उन के लिये सरकार की ओर से तकावी दी गई थी । इस साल मकान तो गिर रहे हैं लेकिन पिछले साल दी गई तकावी को वसूल किया जा रहा है । क्या मकान बनाने के लिये दी गई तकावी ८ महीने बाद ही वसूल कर ली जानी चाहिये ? जो बाढ़ से ढहे मकानों को बनाने के लिये तकावी दी गई थी, मैं समझता हूं कि उसे इस साल कतई वसूल नहीं किया जाना चाहिये और न वहां की ऐसी परिस्थिति है कि वह इस साल वसूल की जाय ।

हमारे क्षेत्र में आवागमन के साधन बहुत कम हैं, नहीं हैं और इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो जिले में इंफार्मेशन आफिसर होते हैं, समाज कल्याण अफसर होते हैं और हरिजन अफसर होते हैं, ये बिलकुल रिडेंडेंट हैं । उसको किसी विभाग में एमलगमेट कर दिया जाय और एक फ्लड अफसर मुकर्रर कर दिया जाय । ऐसा न हो कि वह काम किसी तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर को दे दिया जाय । वह फ्लड अफसर उस क्षेत्र की सर्वे कराये, नई स्कीम बाढ़ से बचने के लिये बनाये और फ्लड एडवायजरी कमेटी बाकायदा उस पर निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित कराये तभी यह बाढ़ की विभीषिका शान्त हो सकती है अन्यथा यह सारे प्रदेश को इसी प्रकार परेशान करती रहेगी ।

*श्री छत्रपति अश्वेश (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड और वाटर लागिंग की समस्या आज देश और प्रान्त की समस्या बन गई है और जैसा कि अभी माल मंत्री जी ने बताया था, यू०पी० के ४८ जिलों में यह समस्यायें बड़ी भयंकर रूप धारण करती जा रही हैं । जो बातें अन्य माननीय सदस्यों ने अपने जिले के बारे में कही हैं, वही मैं भी अपने जिले आगरे के बारे में कहना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं वह १५ अगस्त तक के हैं । उसके बाद जो बारिश और हुई है अगर उसको भी देखें तो वह बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर यही हाल रहा तो अगर मैं यह कहूं कि यह पिछले वर्षों से भी दुगुनी हो जायगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी ।

प्रश्न, श्रीमन्, यह है कि पिछले ४ वर्षों में आगरे के अन्दर वाटर लागिंग और फ्लड की समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया है और उसके कारण धरती में जो जगह जगह स्रोत हो गये हैं उसके कारण स्थिति बड़ी खराब हो गई है और अगर यही स्थिति रही तो उससे हजारों एकड़ जमीन खतम हो जायगी । पिछले कई सालों से वर्षा और वाटर लागिंग के कारण अब अगर लगातार ४ वर्षों तक सूखा नहीं पड़ता तो यह परिस्थिति सम्हल नहीं सकेगी ।

श्रीमन्, आगरा (वेस्ट) और किरावली तहसीलों में यह दोनों समस्यायें हमेशा रहती हैं । भरतपुर में जो बांध है उसका पानी हर साल वहां सारे इलाके में फैल जाता है क्योंकि बाढ़ आने पर उसको खोल दिया जाता है । दूसरे जो आगरा तहसील में नहर है उसमें साइफन जो हैं बिलकुल नाकाफी हैं । बावजूद इसके कि वहां के कलेक्टर ने बराबर दो-तीन साल तक यह प्रयत्न किया कि वहां साइफन बढ़ाये जायं और उसके लिये नहर विभाग के इंजीनियरों से भी कहा, किन्तु कोई उस ओर कार्यवाही नहीं की गई और उक्त नहर को जब दुतर्फा ८ जगह से काटा गया, अर्थात् जब १६ जगह से काटा गया, तो वहां के गांव बच सके, वरना एक भी गांव न बच पाता । नहर विभाग के इंजीनियर हर साल यह तमाशा देखते हैं और हर साल चुप हो जाते हैं । हमारी आज पहली समस्या यह नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि जो पैसा है उसका सदुपयोग कैसे किया जाय ? अगर आज वहां पर ७/८ साइफन बना दिये जायं और वह साइज में भी बड़े हों, तो जो वाटर लागिंग की समस्या है वह हल हो जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

इसके अतिरिक्त जैसा कि और कतिपय माननीय सदस्यों ने बतलाया, एक बात और है। हम जो पुलिया आदि बनाते हैं सड़कों के किनारे या नहर के पास वह इतनी छोटी होती हैं कि समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या सोच कर बनाया जाता है। जो गत वर्ष हमारे यहां पुलिया बनी हैं या साइफन बने हैं अगर उनके साइज को देखा जाय तो देख कर हंसी ही आयेगी। अगर एक दो इंच पानी ही बरस जाय, तो वह भी उनमें निकलना असम्भव हो जाता है, फिर अगर ज्यादा पानी बरस जाय तो उसका तो कहना ही क्या।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समस्या इस तरह से हल होने वाली नहीं है कि आपने बाढ़पीड़ितों को कुछ खाने के लिये दे दिया या और तरीके से सहायता दे दी। इस समस्या का हल तब होगा जब कि हम उन साधनों को मोहइया करें जिससे कि बाढ़ को रोका जा सकता है।

इसके अलावा मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह कि पिछले वर्ष जो इंजीनियर नियुक्त किये गये थे हमारे यहां, उनका दो माह पूर्व ट्रान्सफर कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि कुछ समय रह कर जो वहां के बारे में उन्होंने स्थिति को समझा था वह सब बेकार रही और नये इंजीनियर जो आये वे उसको न समझ सके, जिसके कारण भी एक दिक्कत हो गयी। अभी ७ दिन पूर्व आगरा और किरावली तहसीलों को देखने का मौका मिला। पिछली बार पुलिया और साइफन को ठीक करने के अतिरिक्त यह भी सुझाव वहां के लोगों की ओर से दिया गया था कि क्यों नहीं वहां पर फसलों का प्लानिंग किया जाय। जब वहां पानी इतना अधिक भरा रहता है तो वहां पर गन्ना और पेंडी की फसल अच्छी हो सकती है क्योंकि और जो फसलें वहां बोयी जाती हैं, हो नहीं पातीं। असली बुआई के बारे में भी वहां पर विचार किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि जहां तक आगरे की बात है वहां पर बहुत ज्यादा आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि जो पैसा आप देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिये। आगरा की जनता तो स्वयं पैसे से मदद करने के लिये तैयार है। जब हम इसके लिये चन्दा इकट्ठा करने को खड़े हुये तो २–४ हजार रुपया चन्दा तो आसानी से हो गया। लेकिन इससे हमारी जो परेशानी है वह समाप्त होने वाली नहीं है। हमारे यहां जो हर साल बीमारी होती है उसको आपको समाप्त करना है। अगर आपने इसका प्रबंध नहीं किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगरा और किरावली इन दो तहसीलों में ही हजारों एकड़ भूमि में चौआ लग जायगा और वह जमीन बेकार हो जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समस्या की ओर देखें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वादविवाद पर बोलने का मौका देकर आपने मुझे आभारी किया। मैं अपने क्षेत्र सगड़ी, जिला आजमगढ़ की ओर सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। जरा मंत्री जी मेरी ओर भी ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी मुझे सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—एक मंत्री जी तो आपकी ओर ही देख रहे हैं।

(हंसी)

श्री इन्दुभूषण गुप्त—वहां के जिलाधीश ने जो बातें कहीं उनसे स्पष्ट है कि वहां पर अभूतपूर्व बाढ़ आयी हुई है। बहुत सी जगह पर बाढ़ देखी लेकिन ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी जिसमें एक मास से पानी भरा हुआ हो, जो घट नहीं रहा है, बराबर बढ़ रहा है। जिस समय मैं वहां पर देखने के लिये गया तो केवल १०–१५ हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी लेकिन आज के अखबार से मालूम होता है कि ५५ हजार एकड़ जमीन पानी के नीचे है। २ अगस्त को यह बाढ आयी थी, आज २४ अगस्त है, २२ रोज से पानी वहां टिका हुआ है

और निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जैसी स्थिति यहां है वैसी स्थिति प्रदेश में और कहीं नहीं होगी। सगड़ी तहसील के पूरे एरिया के पांचवें भाग में पानी भरा हुआ है। ऐसी हालत में जो सहायता वहां के लोगों के लिये दी गयी है वह अपर्याप्त है। वहां पर जो अधिकारीगण हैं वे सजग और सचेष्ट हैं और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं लेकिन जो सहायता की गयी है वह अपर्याप्त है। जिस वक्त मैं गया था १३२ गांव प्रभावित थे और उनको केवल ८० बोरे चना दिया गया था। अब आप विचार कर सकते हैं कि जो नित्य कुआं खोदत है और रोज पानी पीता है, जो रोज मजदूरी करता है उसको २२ रोज के लिये १३२ गांवों को ८० बोरा चना, कितनी कम सहायता है। मैंने वहां की जो दशा देखी उससे मुझे इस कदर तकलीफ हुई और मुझे अपनी हालत पर भी शर्म आयी कि मैं उनकी अधिक सेवा नहीं कर सका। मैं केवल १५१ रु० से ही उनकी सहायता कर सका। इसलिये सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वह वहां तत्काल अधिक से अधिक सहायता दे।

श्रीमन्, वहां पर शंडो ब्लाक बहुत दिनों से काम कर रहा है। उस क्षेत्र से मैंने रिपोर्ट भी मंगवाई है। लेकिन ५-६ साल की जो रिपोर्ट मुझे २७ जुलाई को मिली है उसमें वहां के प्लानिंग आफिसर साहब स्वीकार करते हैं कि उस क्षेत्र में न तो कोई यातायात के साधन हैं, यहां तक कि जो पुरानी सड़कें हैं वे बहुत खराब हालत में हैं और पक्की सड़कों का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। हरैया ब्लाक छोटी सरजू और भदरहवा नाले के पानी की वजह से हमेशा तबाह रहता है। इस सिलसिले में एक नहीं अनेकों सुझाव, जब से मैं उस क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं, सरकार को देता रहा हूं और मैंने एक प्रश्न भी सरकार से पूछा था, तो उसके उत्तर में सरकार ने यह बतलाया कि महुला और महाराजगंज बंध के उत्तर में ६,०७० एकड़ जमीन है जो अरक्षित है। श्रीमन्, उत्तर की जो जमीन है वह एक फर्लांग से लेकर ६ मील तक नदी से दूर है। इसके लिये एक नहीं बल्कि अनेकों बार सुझाव दिये गये कि उस पर रिंग बंध बनवा दिया जाय। यह तो हम स्वर्गीय पंत जी के आभारी हैं कि एक बार वे उस क्षेत्र में गये और उन्होंने कृपा करके महुला महाराजगंज बंध को बनवाने का आदेश दिया जिससे २०० गांव जरूर बच जाते हैं। लेकिन यह सरकार की अदूरदर्शिता तथा उसके कर्मचारियों की असावधानी से उस स्कीम के अनुसार पूरा काम नहीं किया गया। जो छोटी सरजू और मदरहवा नाले को डीपेन करने की स्कीम थी, वह स्कीम स्वीकृत हो जाने के बाद तथा उसका सर्वे आदि हो जाने के बाद भी आज तीन-चार वर्ष से खटाई में पड़ी हुई है और वह कार्यान्वित नहीं की जा सकी है। उसकी वजह से वहां वाटर लागिंग इस कदर है कि वे २०० गांव जो बच जाते थे वे भी पानी में डूबे हुए हैं। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिक ध्यान इन नालों को डीपेन कराने की ओर दे।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि वहां के तहसीलदार से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि सरकार की ओर से अन्य बकायों की वसूली के लिये चाहे जो कुछ भी हो लेकिन तकावी की वसूली मैं नहीं बन्द कर सकता, क्योंकि तकावी तो एक वर्ष के लिये एक इम्प्रूवमेंट के लिये दी गयी थी जिसका फायदा उस वर्ष में उन्होंने उठा लिया, तो फिर उसे वापस कर देना चाहिये। श्रीमन्, आप खयाल करें जो आदमी बाढ़ की वजह से इतना तबाह हो कि न केवल उसकी फसल ही बर्बाद हो गयी हो बल्कि रहने के मकान भी गिर गये हों, वह तकावी कहां से दे सकता है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि तकावी जो गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल की जाती है उसकी वसूली तत्काल मुल्तवी की जानी चाहिये।

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो मई में ड्यू होती है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—जहां तक मई में वसूली की बात है, जिनसे वसूली हो गयी हो, उनके अलावा जिन पर अभी बकाया हो उनसे तो वसूली न की जाय। यह सोचने की बात है कि अगर आपने इस मौके पर उनके बैलों को कुर्क कर लिया तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। इसलिये कम से कम बाढ़ पीड़ितों के यहां तो आप कुर्क अमीनों को जाने से रोकें।

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

उस एरिया में जो ब्लाक की जीप्स हैं, बाढ़ पीड़तों की सहायता करने में उनका इस्तेमाल होना चाहिये। इसके अतिरिक्त व ं एक मोटर बोट रेगुलर वे में रहनी चाहिये। यह नहीं कि जब मंत्री महोदय या कोई अधिकारी पहुंचें तो उनके घूमने के लिये दोहरीघाट से वह आ जाय। अगर वहां एक मोटर बोट रहे तो हर गांव को तत्काल सहायता पहुंचायी जा सकती है। हम तो देखते हैं कि जनता को अपने घर से इतना मोह होता है कि आखिरी वक्त तक वह अपने घरों में टिके रहना चाहती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मोटर बोट का तकाल इन्तजाम करे। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में भी यह बात आयी थी कि सरकार के पास काफी मोटर बोट्स हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमारे इन क्षेत्रों की सहायता करें।

श्री शीतलाप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोंडा जिले की तरबगंज तहसील की बात आप के द्वारा मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। घाघरा व सरजू नदी जो कि प्रदेश की सब से बड़ी नदियों में से हैं उनका तरबगंज, जिला गोंडा में संगम होता है और उसके बाद वह वृहद रूप धारण कर लेती हैं। तरबगंज ६० मील लम्बा इलाका है और उस पूरी तहसील को यह नदी क्रास करती है। पहले जब यहां सैलाब आता था तो पानी फैलकर बहता था जिससे फसल व जानमाल की बचत हो जाती थी लेकिन सरकार ने किसानों के हित के लिये वहां ३५ मील का बांध बनाया जिससे पानी के बहाव का दायरा सीमित हो गया और साधारण बाढ़ का भी पानी वहां भर जाता है। हर साल वहां थोड़ा बहुत सैलाब आता था लेकिन इस साल बीज बोते ही दुर्भाग्य से खेतों में पानी भर गया और सारी फसल जो जमी थी वह चौपट हो गई और उसका १६० गांवों पर प्रभाव पड़ा है। वहां लाखों की जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित है। मैंने भी उस इलाके में २०–२५ गांवों का दौरा किया तो मुझे पता लगा कि वहां सरकारी अधिकारी बिलकुल ही उदासीन हैं, न वहां कोई नावों का प्रबन्ध था और न कोई तात्कालिक सहायता ही पहुंचायी गयी। एक फ्लड पोस्ट पर जहाँ दस बारह हजार जनता रहती है २०० रुपये का सामान बांटा गया, इतने में तो इतनी आबादी को ठीक से नमक भी नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर फौरन ध्यान दे और अधिकारियों को उदासीन न रहने दे। वहां बार-बार सैलाब आने से किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि आज उनके घर में खाने के लिये दाने भी नहीं हैं।

एक गांव सुनौली में मैं गया, वहां हैजा फैला हुआ था। वहां ८–९ मृत्युयें हो चुकी थीं और ५० आदमी बीमार पड़े थे। वहां मुझे एक डाक्टर साहब मिले तो वह कहने लगे कि यह हैजा नहीं है बल्कि इन लोगों ने कोई अखाद्य वस्तु खाई है और उससे ही इन्हें बीमारी हो गई है। इस तरह की हालत उस क्षेत्र की है लेकिन अधिकारी उधर से बिलकुल उदासीन हैं।

सन् ३८ के सैलाब में भी मैंने कई दिन तक दौरा किया था। उस समय यहां अंग्रेज सरकार थी और हमारी मिनिस्ट्री बनी हुई थी, लेकिन कोई विशेष अधिकार उस समय हमारे नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां कलेक्टर और कमिश्नर पहुंचे हुये थे और वहां का दौरा कर रहे थे लेकिन पता नहीं इस सरकार का अपने कर्मचारियों पर क्या असर है कि तहसीलदार तक वहां नहीं गये कि लोगों को जिस से थोड़ा बहुत संतोष हो जाता कि कुछ सहायता मिलेगी और सरकारी प्रबंध होगा। वह स्वयं इतने उदासीन और परेशान हैं कि वे सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। इधर सरकारी आंकड़े जो मिले हैं उन से पता चलता है कि वह आंकड़े जिले में बैठकर ही बना दिये गये हैं।

धननगर गांव का एक पूरा मजरा पानी से कट गया है। केवल दो तीन घर बचे हैं। किसी तरह से वहां के आदमियों को तो बचा लिया गया। उसके बाद उनको पहुंचा कर जब वापस आये तो पता चला कि वह घर भी गिर गये और पानी से बह गये। इसी तरह से बहादुरपुर

मांझा में भी काफी घर कटकर दरिया में चले गये । न उनके लिये रहने की जगह है और न बैठने की । चारों तरफ पानी ही पानी है । कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है । तो सरकार वहां के अधिकारियों को संकेत करे कि वह जाकर अच्छी तरह से देखें कि क्या हालत है । १९३८ में जो प्रबंध था उस तरह से भी आज प्रबन्ध नहीं हो रहा है, यह एक जनप्रिय सरकार के लिये बड़ी लज्जा की बात है । यह नहीं होना चाहिये कि जनता आज अपने को असहाय समझे कि हमारा कोई पुरसांहाल नहीं है । अधिकारी वर्ग इतना निरंकुश हो गया है कि वह जनता की परवाह नहीं करता है कि कौन मर रहा है, कौन डूब रहा है ।

उस इलाके में ३५ नावों के आंकड़े दिये गये हैं, लेकिन मैंने खुद देखा कि २–४ नावें अच्छी हालत में हैं, बाकी सब खराब हैं । जब १६० गांवों में सैलाब है तो १०–५ नावों से क्या हो सकता है ? मैं जब पहुंचा और नाव नहीं मिल पाई तो वहां के एक कृषक ने जिनके पास दो नावें हैं उनसे मैंने प्रार्थना की कि एक नाव दे दो । उन्होंने मुझे नाव दी तब मैं दौरा कर सका । हमें एक भी सरकारी नाव नहीं मिली, न कोई सरकारी आदमी मिला, कहीं-कहीं गांव में लेखपाल के अतिरिक्त कोई नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त ।

*श्री जंगबहादुर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले में ७ लाख २२ हजार ८८ एकड़ जमीन पर खेती होती है जिसमें से "नवजीवन" अखबार के मुताबिक २२ हजार ८७१ एकड़ जमीन घाघरा नदी के जल में जलमग्न हो गई । इन आंकड़ों से साबित होता है कि सिर्फ तराई इलाके में खेती योग्य भूमि का सातवां हिस्सा नष्ट हो गया है । पूरे जिले के आंकड़े देखें तो यह मालूम होता है कि पांचवां हिस्सा तो जरूर ही खेती योग्य भूमि का नष्ट हो गया है । कहीं नाले से, कहीं झील से, कहीं तालाब से, खेती योग्य भूमि नष्ट हो जाती है । अगर पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे जायं तो कम से एक बटे चार हिस्सा खेती योग्य भूमि प्रति वर्ष सैलाब से नष्ट हो जाया करती है लेकिन आज १२–१३ साल हो गये,जब से यह कांग्रेस सरकार आई है, तमाम पैसा खर्च करती है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाती है कि बाढ़ को रोकेंगे पर कुछ कर नहीं पाती इसका कारण क्या है ? बाढ़ नियंत्रण विभाग पर आज लाखों रुपया खर्च किया जाता है परन्तु फिर भी प्रदेश बाढ़ से पीड़ित होता जा रहा है ? मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्यों बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जाता है जबकि उस पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है ?

बाराबंकी जिले में "संसार" और "नवजीवन" के अनुसार ५१ हजार से अधिक व्यक्ति जल से प्रभावित हैं बल्कि "संसार" के अनुसार तो ५४ हजार हैं । लेकिन यह भी असत्य है । कम से कम ७५ हजार आदमी बाराबंकी जिले में घाघरा नदी के बाढ़ से पीड़ित हैं और मैं कह सकता हूं कि सरकार ने यह गलत आंकड़े दिये हैं कि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गये हैं । आज वह जानवरों की तरह से बाहर पेड़ों के नीचे पड़े हुये हैं । ऊपर से पानी पड़ रहा है और नीचे से सर्दी पहुंच रही है । उनके लिये छाने के लिये छोलदारी के लिये क्या इन्तजाम किया गया ? जानवरों की जो दशा है उसे तो सभी जानते हैं । एक डिप्टी कमिश्नर कौल और डिप्टी तलवार थे । उन्होंने तो दौरा किया था और नाव से मैं भी घूमा था । इनके अलावा और कोई कलेक्टर इस परगने में नहीं गया ।

अब हमारे जिले के डेविड महोदय जब वहां जाते हैं तो लोगों को आगाह करते हैं । तीन बार सैलाब वहां आये हैं लेकिन कलेक्टर महोदय आज तक वहां नहीं गये । रानी साहबा, गनेशपुर की कोठी है जिसमें नार्मल स्कूल खोला गया है उसमें चढ़ कर वह हवा खाते हैं । कुछ बाहर के किसान लोग एक नाव खरीदने आये थे । उन्होंने नाव खरीदी और ले कर चले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगं बहादुर वर्मा]

उस तरफ जहां पर कि सरकारी अधिकारी कोठी पर टिके हुए थे और घाघरा की मौजें ले रहे थे। वहीं पर चारों व्यक्ति डूब गये। न नाव निकाली गयी और न व्यक्ति निकाले गये। यहां हमको गुमराह किया जा रहा है और ये आंकड़े कहीं नहीं दिये गये हैं। दोनों ओर से सुझाव दिये जा रहे हैं बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये। लेकिन हमारे माल मंत्री कहते हैं कि हमने सम्पूर्ण रूप से पूरा इन्तजाम कर दिया है। हमारे माल मंत्री जी के बहराइच जिले में शायद अच्छा इन्तजाम हो गया होगा और इसीलिये वे जाते हैं तो अच्छा पाते हैं। इसी कारण वे समझते हैं कि सारे उत्तर प्रदेश में अच्छा इन्तजाम होता है।

एक कहावत है। एक नाऊ था। वह एक राजा के यहां नौकर था। वह हमेशा दूध भात खाता था। राजा साहब पूछते थे कि रियाया का क्या हाल है, खूब मौज में हैं? वह कहता था सरकार सभी लोग दूध भात खाते हैं। एक व्यक्ति ने उसकी गाय चुरा ली, जब दूसरे दिन राजा साहब ने पूछा कि रियाया का क्या हाल है तो उसने कहा कि सब लोग भूखे मर रहे हैं। इसी तरह से बहराइच का कलेक्टर वहां जाता है। उसे माल मंत्री जी का खतरा है। वह उनके मातहत है और उसे डर रहता है कि कहीं उसे बरखास्त न कर दिया जाय। अगर यही डर वहां पर होता तो वहां का कलेक्टर और तहसीलदार वहां भी ठीक तरह से इन्तजाम करते। लेकिन वहां इस तरह का इन्तजाम नहीं होता। अगर गांव पंचायतों के सुपुर्द यह सारा काम कर दिया जाता तो लेखपाल या तहसीलदार वहां का ठीक से इन्तजाम करते। लेकिन वहां मनमानी रूप से काम हो रहा है। अब लेखपाल या तहसीलदार को जिस किसी से फायदा पहुंच जाता था उसी को सामान दे दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार थोड़ी बहुत जो सहायता देती है वह गांव पंचायतों के जरिये दे और उन्हीं के जरिये वहां की सुरक्षा का इन्तजाम हो तो लोग सुचारु रूप से चीजें पा सकेंगे। अगर सरकार बाढ़ के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं करती है तो देश चौपट हो जायगा।

पूर्वी इलाके की बात तो सुनते थे लेकिन अब पश्चिमी इलाके में भी यह बीमारी पैदा हो गयी है। घाघरा की तराई में हजारों जानवर बीमार पड़े हुये हैं और नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। मलेरिया और जूड़ी बुखार फैल रहा है। उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। पानी इतना गन्दा है जिसका कुछ कहना नहीं। पहले पानी जहां ३०, ४० हाथ नीचे जा कर मिलता था अब एक, दो हाथ पर निकल आता है जिससे जमीन में तेला लग गया है और अनाज वगैरह नहीं होता। इससे देश का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। भूमि का सुधार होने से ही जीविकोपार्जन चलता है। रोजगार और नौकरी मिलती है लेकिन दोनों चीजों पर कुठाराघात हो रहा है और इन दोनों समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। इसलिये मुझे यही कहना है कि भूमि में जो नीचे से सीलन पैदा हो रही है, एक तो यह भी परेशानी का कारण बन गया है और दूसरे बाढ़ की वजह से नदियां बरबादी पहुंचा रही हैं। रेलवे लाइन के, सड़कों के किनारे पानी भरा रहता है जिसके निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं है। इसलिये आजकल बाढ़ ज्यादा आने लगी है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। १९५५-५६ में जब बारिश आयी थी उस समय डाक्टर सम्पूर्णानन्द मंत्रि मंडल के सदस्यों ने पश्चिमी जिलों का दौरा किया और वहां एक रीजनल कांफ्रेस हुई थी जिसमें सब एम० पीज, एम० एल० एज० एकट्ठा हुए थे और उस रीजन में पानी की निकासी के लिये कई छोटी-मोटी योजनायें बनायी गई थीं। लेकिन जहां तक मेरे इलाके का ताल्लुक है, जितनी छोटी प्लान्स बनायी गई थीं उनमें से एक भी कार्यान्वित नहीं हो सकी जिसकी वजह से यह हुआ कि अब भी बारिश का पानी रुका हुआ है और फसल तबाह हो रही है, मकान गिर रहे हैं।

इस दफा जो बारिश हुई वह पहले की बारिश से ज्यादा हुई। लेकिन उसके साथ एक हालत यह बदल गई कि उस वक्त जो बारिश हुई वह इकट्ठा, एकदम हुई थी और थोड़ी से टाइम के लिये हुई, ज्यादा बारिश हुई और पानी एकदम बहकर नालों और नदियों में चला गया। नदियां उस समय एकाएक इतने पानी को सम्भाल न सकीं जिसकी वजह से गांवों को नुकसान हुआ। लेकिन अब जो बारिश हुई है वह लगातार २०, २५ दिन तक होती रही और ज्यादा जोर से न होने की वजह से पानी खेतों में जज्ब हो गया, बाहर नहीं निकल सका जिसका नतीजा यह हुआ कि उस इलाके में जो खेत और गांव निचान में पड़ते हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जैसा आगरे के सदस्य ने कहा कि पानी इतना ऊपर कुओं में आ गया है कि बैठ कर भरा जा सकता है, यही हाल मेरे यहां भी है। सब- वायल वाटर इतना ऊंचा हो गया है कि न तो यह फसल कामयाब हो सकती है और न असाढ़ी की फसल होगी क्योंकि खेत जोतने लायक ही नहीं हैं। पहली दफा तो यह फायदा हुआ था कि पानी जल्दी बह गया और ईख कुछ ताकतवर हो गई थी। लेकिन इस साल सब-स्वायल, पानी ऊपर आ जाने की वजह से ईख कमजोर हो गई है और असाढ़ी की फसल भी नहीं हो सकेगी क्योंकि खेत सूखे नहीं हैं। मेरे यहां पचासों गांवों में असाढ़ी की फसल नहीं हो सकेगी।

इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, यों मुझे कहने में संकोच होता है और पश्चिम के लोग अपने बच्चों की फीस के लिये, किताबों के लिये या और कोई छूट लेना वह शायद पसन्द न करें, लेकिन कई किसानों की वास्तव में ऐसी दशा है कि उनके यहां न तो इस समय खाने को है और न आगे के लिये ही है।

पहले ईख से आमदनी हो जाती थी, लेकिन जैसा मैंने कहा चूंकि पानी भरा हुआ है, ईख भी ताकतवर नहीं है और उसमें बीमारी लग गयी है, इसलिये इस दफ़ा आप को पश्चिम के जिलों में भी कुछ मदद देनी पड़ेगी।

जो लगान की छूट है, अक्सर ऐसा होता है, जिसे सस्पेंशन कहते हैं कि इस साल न लिया जाय और अगली फसल में एक साथ ले लिया जाय दोनों का तो मैं कहूंगा कि यह बात हमारे यहां का किसान हरगिज़ पसन्द नहीं करेगा। अगर आपको सस्पेंड करना ही है तो आप इसी समय वसूलयाबी कर लें, सस्पेंशन न दें। अगर आप को कुछ मदद करनी है तो वह छूट देकर ही हो सकती है, क्योंकि सस्पेंशन से किसानों का कोई फ़ायदा नहीं होता और अब असाढ़ी की फ़सल की भी उनके यहां कोई उम्मीद नजर नहीं आती।

अनाज के लिये जैसा कि मैंने कहा, आपकी सस्ते गल्ले की दुकानें शहरों में ही खुलती हैं लेकिन आज कल शहरी लोग उन दुकानों से अनाज ले नहीं रहे हैं चूंकि बाजार भाव भी तकरीबन बराबर है। तो ये दुकानें आप को तमाम की तमाम देहात में शिफ्ट कर देनी चाहिये और बजाय इसके कि देहात के लोग शहर में आ कर अनाज खरीदें वे देहात में ही अनाज पा सकें।

छोटी योजनाओं की जो बात है, पूर्व में तो बांधों में हजारों, लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन पश्चिम में ऐसे बांधों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे ५–७ मील के नाले ही खुदवा देने से काम चल जायगा और यह काम आपको जरूर करवाना चाहिये नहीं तो ऐसी तकलीफ़ होती ही रहेगी। और जो मैंने कहा कि उधर कोई योजना पूरी नहीं की गयी, तो एक गांव का मुझे मालूम है कि उसके लिये रुपया मंजूर हो गया, टेन्डर पड़ गये, ठेकेदार अपने मजदूर लेकर चला गया लेकिन लोगों ने उसको खोदने नहीं दिया, लाठियां वगैरह लेकर आ गये, जिसकी वजह यह है कि सरकार नलों के लिये या और कामों के लिये जमीन लेती है उसका मुआविजा इतना कम दिया जाता है कि जब कभी वह एक्वायर का नाम सुन लेता है तो उसके कलेजे पर चाकू चलता है और वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रेवेन्यू मैनुअल में उन्होंने कोई गुर बना रखा है। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत मुझे मालूम है कि मार्केट वैल्यू प्लस १५ परसेन्ट दिया जायगा लेकिन होता यह है कि असली कीमत प्लस १५ परसेंट तो क्या माइनस १५ परसेंट भी नहीं मिलता है क्योंकि जो मुआविजा तय होता है वह मुकदमें-

[श्री तेजसिंह]

बाजी में चला जाता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा हाउस में कहा था कि माननीय जगजीवनराम जी ने कहीं भाषण में कहा था कि जिस जमीन पर मुआवजा हार में हम १०० रुपये देते हैं उसका हमारे प्रान्त में २५ रुपये मुआवजा मिलता है क्योंकि मुआवजा अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है कि वह जो मुआवजा तय कर दें वह दे दिया जाय। इसलिये छोटी योजनाओं को भी कार्यान्वित करने के लिये यह जरूरी है कि आप जो जमीन की कीमत निकालते हैं उसमें किसानों को कुछ ज्यादा पैसा दें ताकि एक्वीजीशन के खिलाफ़ वे ज्यादा वावेला न कर सकें।

*श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के प्रश्न के बाद यह विवाद सामने आया। एक आम शिकायत इधर और उधर दोनों तरफ के भाषणों में दिखायी पड़ी कि नहरों, सड़कों और बांधों आदि की योजना बनाते समय सारे का सारा एलाइनमेंट इन बड़े-बड़े इंजीनियरों की मार्फ़त ग़लत बनता ह। ये बड़े बड़े इंजीनियर हजारों रुपया तनख्वाह पाते हैं। इसमें से कुछ इंग्लैंड रिटर्न्ड हैं, कुछ अमरीका रिटर्न्ड हैं, कुछ इंजीनियर हैं और कुछ इंजीनियर-इन-चीफ़ हैं। मगर इनका सारा एलाइनमेंट गलत होता है जिसकी वजह से जो सड़कें, नहरें और बांध बनते हैं उसमें इस बात का बिल्कुल खयाल नहीं रखा जाता है कि इधर से पानी आता था, उधर पास होता था और हम बीच में सड़क या नहर बनाते हैं तो बीच में कितनी बड़ी पुलिया बनाने की जरूरत है। जहां से ५० हजार क्युसेक्स पानी निकलता था वहां १० हजार क्युसेक्स पानी निकलने वाली पुलिया बना दी जाती है और ४० हजार क्युसेक्स पानी वाटर लाग्ड हो जाता है। इस कारण से सारे प्रदेश की स्थिति वाटर लागिंग और बाढ़ के मामले में बिगड़ती चली जा रही है।

दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितनी पुलिया वगैरह बनती हैं, नहरों के नीचे साइफ़न और सड़कों के नीचे पुलियां, सब तंग बनती हैं। पता नहीं रुपये की कमी है या कमीशन ज्यादा लेने की वजह से यह होता है। यादव जी अगर कभी पता लगायें तो यह परेशानी आसानी से हल हो जायगी। एक सब से बड़ी बात यह है कि जितनी नहरें इस वक्त तक बनाई गई हैं उनसे जो डिस्चार्ज ड्रेन्स निकाली गयी हैं वह तालाबों के पानी मे मिलती हैं। उनको १०-१० वर्षों से सफ़ाई नहीं हुई है। वे अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थीं कि नहर की जहां टेल गिरती है वह पानी तालाब में गिरा दिया जाय। अब अंग्रेजी हुकूमत के बाद हमारी सरकार ने शासन संभाला है तब से उनकी सफ़ाई नहीं हुई है। माननीय उपमंत्री जी ने खीरी के संबंध में एक बयान पढ़ा था कि वहां ९ तालाब हैं जिनके द्वारा बहुत से गांव डूब गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे ९ तालाब नहीं हैं बल्कि नौ बड़े बड़े समुद्र खीरी परगने के हैं जिन में हजारों एकड़ जमीन डूब जाती है और उनका पानी २५ मील तक वाटर लाग्ड करता है और डिस्चार्ज ड्रेन महमूदाबाद में गिरती हैं और आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है। पांच वर्षों से हम बराबर सरकार का ध्यान दिला रहे हैं मगर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। इन ९ तालाबों का पानी वाटर लाग्ड हो गया है।

श्रीमन्, सब से बड़ी बात यह है और अभी प्रश्न भी आये थे, उनमें यह था कि सीमेंट का मिश्रण ठीक नहीं होता है। सीमेंट थोड़ी और बालू बहुत ज्यादा होती है। दारुलशफा में जाइये वहां पर पक्की सड़क बनी है। वह सब खराब हो गई हैं। लखनऊ से सधौली तक पक्की सड़क बनी है उसे ३० वर्ष हो गये हैं लेकिन उसकी एक किर्च तक नहीं उचली है। इस पर मोटर वगैरह सब चलती हैं लेकिन दारुलशफा की सड़क पर लोग पैदल ही जाते हैं और वह टूट गई है।

श्री उपाध्यक्ष—आप एम० एल० एज० वजनदार लोग होते हैं, इसलिये सड़क टूट गई होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, बड़ी मुश्किल है। हम लोग तो नंगे पैर चलने वाले हैं और यह कांग्रेस वाले नाल ठुका कर चलते हैं। उनसे ही टूटी है। अभी उन्होंने बयान दिया कि ऐरा की शुगर फैक्टरी डूब गयी और कोई हानि नहीं हुई और वहां पर किसी विशेष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। पानी से शुगर फैक्टरी डूब गई लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ कि कितने गांव डूब गये। मैं सूचना दे दूं कि करीब करीब २०० गांव डूब गये हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि खीरी जिले की नदियों की क्या हालत है? सब नदियों में बाढ़ आ गई है। गोमती, कठिना, सरायन, जमुवारी, उल , कंडवा, छोटी चौका, जुनई, शारदा, घार्घा, सरजू, जौरहा, नहन्नी, घघौवा, कोड़ियाला, मोहाना, घाघरा, सुखैनी और लहा, इतनी नदियों के बीच में लखीमपुर है। वहां की हालत खराब हो गई है लेकिन बताया जाता है कि वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिये कि २०-२५ नदियों के बाढ़ का पानी और तालाब के पानी से वहां क्या हालत हुई होगी? तालाब के पानी के कारण जो फसल बोयी ई थी [illegible] गल गई और ऐसी गल गई कि उसके साथ किसान भी ग गये। उनके खाने पीने तक को नहीं रह गया है। जिस तरह यमराज प्राणों को वसूल करता है उसी तरह से सरकार का अमीन लगान वसूल करता है।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाऊं कि त्योरसाल उल्ल और कंडवा नदी की बाढ़ से सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। इसके बाद नहर का पानी छोड़ दिया गया और गेहूं का पौदा बालिश्त भर का था, वह सब गल गया और शारदा नहर का पानी छोड़ दिया गया। उल्ल के पानी से १५–२० मील के अन्दर सब पौधे गल गये और इस सरकार को हजारों रुपया कम्न्सेशन का देना पड़ा और सरकार ने वहां के नहर अधिकारियों से यह तक नहीं पूछा कि हमने एक लाख के लगभग फसल का मुआवजा दिया है, तुम्हारे पानी छोड़ देने से सारी फसल नष्ट हो गई आपने पानी क्यों छोड़ा?

*आचार्य दीपंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत आभारी हूं। मैं इसलिए विशेष रूप से अपना आभार प्रकट करता हूं कि अब से पहले सदन में जब भी कभी अतिवृष्टि या बाढ़ या जलरोध के संकट की चर्चा होती थी तो आमतौर पर माननीय पूर्वी जिलों के सदस्यों की तरफ़ से यह बातें कही जाती थीं लेकिन पिछले कई वर्षों से आमतौर पर यह बात हम देख रहे हैं कि हर साल यह बात सामने आती है कि अतिवृष्टि, बाढ़, जलरोध का संकट पश्चिमी जिलों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इस वर्ष आमतौर पर इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है, खास तौर से मेरठ कमिश्नरी में हाहाकार मचा हुआ है।

सरकार की तरफ़ से जो आंकड़े रखे गये हैं, उन पर मैं इसलिए विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि मैं खुद भी अभी वहां से आया हूं। मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में जो विध्वंस हुआ है, बागपत तहसील में जिस प्रकार का विनाश हुआ है, उस विनाश की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये कैराना तहसील के प्रमख सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री चन्द्रभानु शर्मा के नेतृत्व में एक डेपुटेशन भी आया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खास कर मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों की चार तहसीलों-बागपत, सर्धना, बुढ़ाना और कैराना—में इतना बड़ा विनाश हुआ है कि यहां बैठ कर उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। सैकड़ों की तादाद में गांव ऐसे हैं जिनमें तीन, चार फीट पानी चारों ओर से भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति गांव में जाता है उसको पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर फुट-फुट कर पानी निकलने लगा है, जिसे हम चोवा कहते हैं। यह चोवा की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर, खास तौर से बागपत और कैराना तहसीलों में हो गयी है।

मिसाल के तौर पर मैं आप से कहूं रमाला, ककड़ीपुर, सूप, हिलवाड़ी, बोढ़ा, कैराना, पजोथ, कंडेला, बरवाला आदि गांवों में सैकड़ों की तादाद में घर गिर चुके हैं। यहां अभी जो रिपोर्ट की गयी है उसमें कहा गया है कि घरों के गिरने की तादाद कम है। साथ में यह भी कहा गया है कि मेरठ में इस वक्त तक अतिवृष्टि की वजह से, या बाढ़ की वजह से हानि नहीं हुई है। खाली एक गांव बावली जो बहुत बड़ा गांव है, वहां पर करीब ८० घर एक ही रात में जब कि लगातार बारिश हुई, गिर गये। दो आदमी जख्मी हुए और एक आदमी की मृत्य हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या ऐसे गांवों की है जहां पर २९ जुलाई से जो लगातार वर्षा शुरू हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। जहां तक खरीफ का फसल का सम्बन्ध है, उसमें पश्चिमी यू० पी० में मक्का बहुत खास फसल है। सहारनपुर जिले में धान की खास फसल है। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि मक्का, ज्वार, बाजरा यह तीनों खरीफ की फसलें करीब-करीब सौ फीसदी नष्ट हो चुकी हैं मगर सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट में बात कही गयी है उसमें इस बात को छिपाया गया है। सहारनपुर में धान की फसल बड़े पैमाने पर होती है वह ५० फीसदी से ज्यादा नष्ट हो चुकी है और गन्ने की फसल ५० फीसदी से ज्यादा नष्ट हो चुकी है।

जहां तक खरीफ की फसल का सम्बन्ध है मैं निवेदन कर चुका कि करीब करीब सौ फीसदी नष्ट हो चुकी लेकिन रबी की फसल में जब इस बीच में २ बार कम से कम हो पहुंच जाना चाहिये एक बार भी नहीं पहुंचाया जा सका है और अगले दो महीने तक उम्मीद नहीं है कि बहुत से गांवों में खेतों की जुताई भी हो सकेगी। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट आप के अभी हैं।

आचार्य दीपंकर---मैं चाहता हूं कि मुझे उसके बाद दो, तीन मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---आज तो बड़ा मुश्किल है। Position is very tight.

आचार्य दीपंकर---तो मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह से वहां बड़े-बड़े आदमी विध्वंस हो गये हैं उसके लिये मुझे दुख है कि सरकार की ओर से जो सहायता का क्रम रखा गया है वह ठीक नहीं है। जिन इलाकों में पहले के मुकाबले में कम वर्षा हुई है वहां ज्यादा सहायता दी गयी है जैसे वाराणसी में अगस्त के महीने में १२ इंच वर्षा हुआ करती थी लेकिन अब की बार १५ दिनों में ५ इंच वर्षा हुई है, गाजीपुर में ११ इंच होती थी इस बार ७ इंच हुई, गोरखपुर में १३ इंच होती थी १० इंच वर्षा हुई। खीरी में ११ इंच होती थी इस बार अगस्त के महीने में ९ इंच हुई लेकिन इन तमाम जिलों में १ लाख और डेढ़ लाख रुपया सरकार ने विशेष सहायता दी। लेकिन जहां तक मुजफ्फरनगर का सम्बन्ध है वहां ७ इंच वर्षा हुआ करती थी अगस्त के महीने में अबकी बार १२ इंच वर्षा हुई है, मेरठ में ७ इंच होती थी वहां १० इंच हुई, बुलन्दशहर की भी यही स्थिति है, आगरे में ८ इंच होती थी अब की बार ११ इंच हुई मगर इन जिलों में सरकार ने अनुदान के लिये दस-दस और १२-१२ हजार रुपये की मात्रा भेज कर समस्या की लीपापोती करने की कोशिश की है। अतिवृष्टि, बाढ़, और जलोध के कारण पश्चिमी जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और इसलिये मैं सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये की उसे निन्दा करनी चाहिये।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि भूमिहीन गरीबों को घरों के लिये मुफ्त मुनासिब सहायता दी जाय। खरीफ की सिंचाई के पूरे दाम और लगान माफ किया जाय, कस्बों और बड़े गांवों में सस्ते अनाज की दूकानें खोली जायं, बरसाती पानी की निकासी के लिये नये व पुराने नालों के खोदे जाने के जो निर्णय किये जा चुके हैं उन पर तुरन्त अमल किया जाय। नाला अलावलपुर तुरन्त खोद जाय, रुके हुये पानी को निकालने के लिये पम्प मशीनों का प्रबन्ध किया जाय तथा मेरठ और मुजफ्फरनगर में बरसाती पानी की निकासी के लिये योजना बनाने के लिये एक कमेटी तैनात की जाय।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। हम तो डंड बैठक करते रह जाते हैं, मौका बोलने का भी नहीं मिलता।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं कि जो आपके य० पी० भर में सब से पिछड़ा हुआ जिला है, और वह जिला बांदा है और बांदा जिले में भी सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरा है। मेरे जिले में

७ या ८ नदियां बहती हैं, जमुना, केन. बागें, पयसुनी, ओहन, गन्ता,गंडक और छोटे-मोटे नाले बहुत हैं जो बारहों महीने नहीं बहने वाले हैं और बहुत सी नदियां हैं जिसमें आजकल पानी का शुमार नहीं रहता और जब बड़ी नदियों में बाढ़ आ जाती है तो वहां से लौट कर पानी इनमें भरता है। जमुना में बाढ़ आ जाने से इनमें पानी लौट कर गांवों में धंस कर गांवों को नष्ट कर देता है। हम चिल्लाते रहते हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। यहां भी मौक़ा नहीं मिलता। जिन बातों को समय बताता है। वही कहावत है:—

समुन्दर में पानी बरसता रहा बीकानेर बिचारा तरसता रहा।
पानी में जा कर पानी मिले, प्यासे को चुल्लू पिलैया नहीं।
धनियों को सारे सहारे मिलें, निर्धनियों को कोई पुछैया नहीं।।

हमारा इतना गरीब क्षेत्र है कि जहां वे ४–४ मील से पीने के लिये पानी लाते हैं वहां जब जमुना में बाढ़ आती ह तो लौटकर पानी सारे गांवों को नष्ट कर डालता है।

हमारे यहां खोपा भदेदू नाम का एक गांव है जिसके दो तरफ से नाला है और एक ओर से जमुना है। जब बाढ़ आ जाती है तो रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। कई मर्तबा मैं लिख चुका हूं कि वहां कोई ऐसी दीवार सी बना दी जाय जिस से हजारों बीघा जमीन बच जाय और उसमें खेती होवे। उसमें माघ तक पानी भरा रहता है।

बम्हेट नाम का गांव है राजापुर के पास। वहां एक नाला ऐसा है कि घरों के भीत र उसका पानी आजकल भर जाता है। अगर उसमें एक बांध -बांध दिया जाय तो उससे खेती भी हो और घर भी बच जायं। इस तरह से अनेकों गांव हैं और वहां कोई इन्तजाम नहीं होता मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जो ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं उनका इन्तजाम कर दिया जाय। अगर हमारे यहां की नदियों में नहरें बना दी जायं तो उससे खेती भी हो सकती है और बाढ़ से भी बचत हो सकती है। विन्ध्य प्रान्त का पहाड़ी पानी भी हमारे जिले आता है और जमुना जी का पानी आता है जो गंगा में जाता है और गंगा नदी तमाम चौपट करती है। इस साल का हाल मुझे मालूम नहीं है कि मेरे यहां कहां बाढ़ आयी और कहां नहीं आयी लेकिन चाहे जितना कहा जाय कोई उसका खयाल नहीं किया जाता और कोई सुधार नहीं होता अब मैं और अधिक समय आप का नहीं लूंगा। मेरी यही प्रार्थना है कि जहां पानी घरों में घुस जाता है भदेदू, बम्हेटा आदि गांव ऐसे हैं कि इनमें बांध बना दिया तो वह जमीन जिस पर पानी भरा रहता है खेती के काम में आ सकती है और लोगों को बाढ़ की मुसीबत से भी छटकारा मिल सकता है। आजकल हमारे यहां बरसात में नदियां उलटी बहती हैं क्योंकि जमुना जी में पानी बढ़ जाता है और वह पानी उलटा चलता है। बरसात हमारे यहां अधिक नहीं होती पयसुनी नदी में बांध बंध जाने से इस जिले की बाढ़ से कष्ट कम होगा और कई हजार मन गल्ले की उपज से किसान खुशहाल होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन सुझावों की तरफ सरकार ध्यान दे।

*श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं चार वर्ष से बराबर इस सदन में देखता चला आ रहा हूं कि प्रति वर्ष हम बाढ़ के ऊपर यहां पर बहस करते हैं और सरकार की तरफ से खाली एक जो स्केर्यसिटी डिपार्टमेन्ट खुला है उसके अलावा मैं यह नहीं देखता कि सरकार कोई और महत्वपूर्ण कार्य इसके लिए करती हो। आज यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है कि जहां पहले कुछ पूर्वी जिले ही इससे प्रभावित हुआ करते थे वहां आज पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं रहता कि जो बाढ़ से और अतिवृष्टि से प्रभावित न होता हो। सरकार थोड़ी बहुत एड देकर या दस, पांच हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखानसिंह]

रुपया कहीं खर्च कर के यह समझ लेती है कि उसने अपना कर्तव्य कर लिया जब कि वास्तविक बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या के ऊपर, जिसको कि सरकार इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, बड़ी गम्भीरता के साथ सोचा जाना चाहिये।

सरकार को मालूम है कि आज इस प्रदेश में और ज्यादातर पश्चिमी जिलों में एक समस्या, ड्रेनेज की है। वह ड्रेनेज की समस्या भी बराबर कई सालों से इस सदन में रख रहा हूं। पश्चिमी जिलों में बाढ़ से इतना असर नहीं होता जितना कि इन नहरों का होता है। वाटर लेविल इनकी वजह से इतना ऊंचा हो गया है कि उसके कारण सीलों की समस्या पैदा हो गयी है। इसी कारण खाद्य स्थिति आज इतनी खराब हो गई है। जो पश्चिमी जिले इतने सरप्लस होते थे उनकी हालत आज ऐसी हो गई है कि सरकार को सस्ते गल्ले की दुकानें वहां खोलनी पड़ती हैं। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज है उसका कारण यह है कि सरकार ने इन जिलों में और पश्चिमी जिलों में खासकर कोई ठोस कदम इसके लिये नहीं उठाया है जिससे कि यहां की ड्रेनेज समस्या हल होती।

आज प्लानिंग की तरफ से तालाबों से पानी निकालने की योजना बनती है और नहर या ट्यूबवेल के नाले खोद कर के उन छोटी-छोटी नदियों में पानी डाल दिया जाता है। लेकिन उनकी खुदाई और सफाई का कोई प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया। उसके कारण उस नदी के आस-पास के गांव प्रभावित हो जाते हैं। उनकी फस्ल नष्ट हो जाती है और जब यहां कहा जाता है तो वही बात कह दी जाती है कि आपत्ति काल में हम क्या करें? वर्षा हो रही है, हम रोक नहीं सकते। लेकिन पानी के निकलने का प्रबन्ध तो हम कर सकते हैं। आज ११ वर्ष हो गये यह जनतंत्रवादी सरकार, जो किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार अपने को कहती है, उन किसानों के खेतों से पानी को निकालने का भी प्रबन्ध नहीं कर सकी। तो इससे अधिक और उपेक्षा की क्या बात हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, जितना पानी पश्चिमी जिलों में पड़ता है चाहे वह बुलन्दशहर में पड़े या मेरठ में वह सब काली नदी में मिलकर हमारे यहां मैनपुरी से पास होता है। जो पुल उस नदी पर बने हुये हैं वह पुराने समय के बने हुये हैं जो भीषण वर्षा के आदी नहीं हैं। इसलिये जतनी बाढ़ हमारे जिले में आती है वह बुलन्दशहर और मेरठ की नदियों में अधिक पानी होने की वजह से आती है क्योंकि उनमें जितना भी अधिक पानी होता है वह सब मैनपुरी होकर निकल जाता है। मैंने चीफ इंजीनियर से कहा कि उन छोटी-छोटी नदियों का पानी निकालने के लिये व्यवस्था की जाय लेकिन वैसे ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिये विभाग तो बना हुआ है परन्तु वह बड़ी बड़ी नदियों को देखता है। वह देखने के लिये तो आते हैं लेकिन फिर देख कर वापस चले जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन छोटी छोटी नदियों से पानी निकलने की व्यवस्था की जाय। अगर ऐसा हो जाय तो गर्की की समस्या और बाढ़ की समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती है। इस सरकार की तरफ से यह होता है कि एक ड्रेनेज विभाग खोल दिया किसी को ५ हजार रुपया दे दिया और किसी को १० हजार दे दिया और किसी को ५० हजार दे दिया लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी जिले भिखमंगे जिले नहीं हैं। वह चाहते हैं कि वहां की समस्या हल की जाय जिससे वे जमीन में अधिक अन्न पैदा कर सकें। आवश्यकता इस बात की है कि वहां से पानी निकालने की व्यवस्था की जाय। पानी की यदि ठीक व्यवस्था हो जाय तो वे अन्नोत्पादन बहुत कर सकेंगे और पैदावार बढ़ा सकेंगे। उसके द्वारा प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकती है। आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या हाल है यह मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। हर काम टेक्नीकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर हुआ करता है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वही मानी जायगी। इसका मैं उदाहरण आपके सामने रखूं। यहां जो यह सिंगार नगर बना है वह उन्हीं टेक्नीकल एक्सपर्ट की राय पर बना है। लेकिन यह देखते हैं कि उस कालोनी के चारों तरफ पानी भर जाता

है। जो टेक्नीकल एक्सपर्ट ऐसे हों कि एक साल के अन्दर डिप्लोमा लेकर आ जायं और ऐसे एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चीफ इंजीनियर डिटो करते हों कि यही फाइनल है तो इससे लाभ नहीं हो सकता है और प्रदेश के अन्दर इसी प्रकार से दुर्व्यवस्था होती रहेगी। ड्रेनेज का काम खत्म होता जा रहा है पानी भरता चला जाता है।

मैं इसका आपको एक उदाहरण बतलाऊं कि हमारे देश में जो यह जी० टी० रोड है जो अपने प्रदेश से भी गुजरती है और कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाती थी किन्तु उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि उस सड़क पर पानी आया हो। शेरशाह ऐसा इंजीनियर था कि उसकी बनाई रोड पर कहीं से भी पानी नहीं उतरता है। कोई नहीं कह सकता कि उसके ऊपर से पानी पास होकर गया हो। आजकल चाहे जितने भारी इंजीनियर हों उनकी बनाई सड़क का हाल ४, ५ साल बाद यह होता है कि लेविल को ऊंचा करने की जरूरत पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में जी० टी० रोड को मैं हर जगह जानता हूं लेकिन कहीं पर भी पानी ऊपर से गया हो यह नहीं सुना गया। हमारी सरकार के इंजीनियर जो आजकल सड़क बनाते हैं उनमें बहुत नाकामयाबी होती है जिसकी इस सदन में जितनी भर्त्सना की जाय वह कम ही होगी क्योंकि आज का दिन हमारे नुकसान का दिन है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कारण आया है। खाली बाढ़ की नियंत्रण योजना बनाकर वह अपने बंगले में बैठे रहते हैं। कोई सही प्लानिंग नहीं बनती है। वह सोचते हैं कि तनख्वाह मिलती रहे और भत्ता मिलता रहे फिर चाहे जो कुछ हो। बाढ़ के समय यह कह देते हैं कि फलां जगह पर इतनी मदद भेज दी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस पूरी समस्या के ऊपर गम्भीरता से विचार करके, हर जिले की ड्रेनेज समस्या के ऊपर विचार करके हरएक जिले के हिसाब से, उसको नहीं लिया जायगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। हम चन्द रोज इसी तरह से चलते रहे और यह डिपार्टमेंट इसी तरह से २, ४ करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च करता रहा तो यह तबाही आती रहेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विवरण बाढ़ और अतिवृष्टि का .....

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जिन सदस्यों ने इस विवाद के लिये अपना नाम दिया उनमें से कई ऐसे सदस्य रहे हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला हालांकि बोलना सभी चाहते हैं लेकिन जिन्होंने सूचना दी है, जिनके नाम सूची में हैं, उनमें से कई सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं इसका खयाल करूंगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—और साथ ही में समय बढ़ाने का प्रस्ताव भी करना चाहता हूं ताकि सदस्यों को अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप जारी रखें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल २३ अगस्त के पेश्तर गालिब न ८ और ९ अगस्त को बाढ़ और अति वृष्टि का विवरण जो सरकार की ओर से प्रेषित किया गया था और आज माननीय माल मंत्री जी की ओर से जो विवरण बाढ़ और अतिवृष्टि का माननीय सदन के सम्मुख पेश किया गया है उसको देखने से प्रतीत होता है कि प्रदेश में बाढ़ के कारण एक चिन्ता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मुजफ्फरनगर जिले के जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन आंकड़ों को देखने से यह जाहिर होता है कि पिछले साल के मुकाबले में १५ अगस्त तक वहां दुगुनी बारिश हो चुकी है और इस आखिरी सप्ताह में, १५ से २३ तक जितनी भयंकर बारिश वहां हुई है वह उस जिले की पिछली किसी मिसाल से दूर है। मैं यह समझता हूं कि अभी तक पिछले साल के मुकाबले में दुगुनी से ज्यादा बारिश हो चुकी है और नकशे में ३७,८५४

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

एकड़ बाढ़ग्रस्त एरिया दिखलाया गया है और १४६ गांवों को नुक्सान पहुंचने की सरकार को सूचना है। इससे जाहिर है कि वहां की फसलों को भी नुकसान हुआ है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया कि उस नुकसान को पैसों में नहीं आंका गया है और न फसलों का नुकसान ही दिखलाया गया है। या तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है और या फिर अगर नुकसान हुआ है तो अधिकारीवर्ग उस के लिये सजग नहीं हैं उतने, जितने कि प्रदेश के दूसरे जिलों में सजग हैं।

मैं यह समझता हूं कि जितनी वर्षा हो चुकी है और जैसा आसार चल रहे हैं, इधर सलोनी और उधर यमुना में कितने ही गांव कट गये हैं। परगना गोवर्धनपुर बरबाद हो चुका है और कपास, मक्का, चारा और गवार की फसलें और सब्जियां नष्ट हो गयी हैं, ईख में कीड़ा लग गया है और खेतों में एक से दो फुट तक पानी खड़ा है, ऐसी स्थिति में मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कितनी सहायता उस जिले को पहुंची, कितनी ग्रेचुएटी रिलीफ दी गयी, कितनी तकावी पहुंचायी गयी। मुझे पता चला कि १० या २० हजार रुपया वहां सहायता के लिये दिया गया है। न जाने कितने मकान वहां गिर चुके हैं, उनके लिये अभी तक सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। जिले को जितनी सीमेंट की आवश्यकता है, जितने कोयले की आवश्यकता है, वह वहां नहीं है। कल मुझे यह सुन कर खेद हुआ कि मुजफ्फरनगर जिले में सीमेंट का कोई ब्लैक मार्केट नहीं है। आज भी वहां १२, १३ रुपये का सीमेंट का कट्टा बिक रहा है और लोग मजबूरी में अपने मकानों की मरम्मत के लिये उसे ब्लैक में खरीद रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरनगर जिले में जहां उसकी औसत से दुगुनी से ज्यादा बारिश हो चुकी है और इन आंकड़ों को देख कर कहा जा सकता है कि जितनी बारिश वहां हुई है और प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुई है। वहां सब से ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारी आदत है कि हम अपनी तकलीफ का ज्याद बयान आपके सामने नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह न दी जाना चाहिये कि हमारी तरफ कोई तवज्जह न दी जाय। मुझे संदेह होने लगता है कि हमारे मातहत के कर्मचारी और अफसर कार्यकुशल हैं सजग हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो वहां चकबन्दी चल रही है और डोलबन्दी भी अभी नहीं हुई है उसकी किस्तें वहां के उन किसानों से जिनकी फसल बरबाद हो गयी है, वसूल न की जायगी। उन किसानों के मकान गिर गये हैं, फसलें बरबाद हो गयी हैं, सलोनी और यमुना में गांव के गांव जा चुके हैं इसलिये उस वसूलीको उनकी नकदी फसलों के मौके पर की जानी चाहिये यह मेरा सुझाव है।

सौभाग्य से यहां माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनके पास लिख कर भी भेज चुका हूं कि सरकार की तरफ से जो आदेश गये हैं कि ५ मील से ऊपर तक के नाले सरकार बनायेगी और उससे कम के लोग खुद श्रमदान द्वारा बनायेंगे, इससे समस्या हल नहीं हुई है। आज नाला खुदता किसी की जमीन में है और पानी किसी के खेत में होकर जाता है इस कारण लोग उसकी मुखालफत करते हैं। हालत यह है कि आज मैदानी इलाकों में मुश्किल से बरसाती पानी के निकास के लिये २–४ नाले श्रमदान द्वारा बनाये गये होंगे। पानी के निकास का प्रबन्ध न होने के कारण किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज कोई भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, फिर श्रमदान वहां पर कैसे हो। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और उनकी मदद करें।

आज प्रश्न संख्या २१ व २२ के उत्तर में माननीय उग्रसेन जी को बताया है कि करीब ५ करोड़ ७० लाख रुपया गन्ना-किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है। इसमें करीब ८८ लाख मुजफ्फरनगर के किसानों का बकाया है। वहां पर लोगों को आज कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। सरकारी चकबन्दी का खर्चा तथा तकावी आदि की वापसी भी देने का उनको प्रबन्ध करना पड़ता है। अगर यह रुपया उनको मिल

जाय तो वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और दूसरों से कर्ज लेने के लिये मजबूर नहीं होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे गन्ने की कीमत जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो चकबन्दी का खर्चा है तथा तकावी वगैरह जो उनसे वसूल की जा रही है वह भी वे किसानों की नगदी फसल, यानी गन्ने की फसल तक रोक देने के आदेश देने की कृपा करें ताकि उस समय वे उसको अदा कर सकें।

श्री भीखालाल—अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के संबंध में जो विवरण यहां दिया गया है तथा माननीय उप मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उसमें उन्नाव जिले में बाढ़ की स्थिति को बहुत कम आंका गया है। विवरण में केवल ३३ गांव बाढ़ से प्रभावित दिखाये गये हैं और हालत यह है कि उन्नाव जिले में, गंगा नदी के किनारे करीब ६० मील के इलाके में पानी ही पानी है और बाढ़ से प्रभावित है। बहुत से गांव आज पानी में डूबे हुये हैं। कल्याणी और गंगा के बीच में २० गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुये हैं और वहां पर लोगों का आना जाना तक बन्द है। बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर १०-१५ दिन से आग भी घरों में नहीं जली है।

श्रीमन्, पिछले साल लखनऊ में जो बाढ़ आई थी उसकी याद आ जाती है। उस समय सरकार ने बड़ा अच्छा इन्तजाम किया था। सरकार ने हवाई जहाज से खाना बंटवाया था बहुत से कैम्प खोले गये थे। बड़ा अच्छा प्रबन्ध था। बाढ़ का आना दुख का विषय है और मुझे उन सभी लोगों से सहानुभूति थी जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय पिछले साल यहां की बाढ़ को देख कर मुझे एक बात की खुशी हुई थी और वह यह कि कम से कम यहां के रहने वाले बड़े-बड़े अधिकारियों को और माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनकी सरकार को इतना एहसास तो हुआ कि बाढ़ से लोगों को कितनी परेशानी होती है और उसके कारण देहातों के लोगों को कितनी परेशानी होती है इस को कुछ तो समझ सके होंगे। जो इन्तजाम सरकार ने पिछले साल यहां किया था, वही इन्तजाम सरकार को दूसरी जगह भी करना चाहिये। और भविष्य में अगर ऐसी नौबत आई तो अवश्य करेगी।

मैं माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्नाव जिले में जहां कि २० गांव बिलकुल पानी से घिरे हुए हैं, जहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है, जहां पर घरों में १५ दिन से आग तक नहीं जली है, वहां पर सरकार ने कौन से साधन देकर लोगों की सहायता की है। मैं जानता हूं कि हवाई जहाज जैसे ऊंचे साधन उन गांवों के लोगों की किस्मत में नहीं है। उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। उन्नाव जिले के सिर्फ ३३ गांव बाढ़ग्रस्त दिखलाये गये हैं जब कि लगभग २०० गांव गंगा की चपेट में हैं। उसके लिये सरकार ने १० हजार रुपये की इमदाद दी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शायद लखनऊ में एक कैम्प पर दस हजार रुपया खर्च किया गया होगा लेकिन एक जिले भर के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये १० हजार रुपया क्यों दिया गया है? यह तो सहायता के नाम पर उन गरीबों का उपहास है। तकावी के लिये २० हजार रुपया दिया गया है। हर किसान को ५ और १० रु० तकावी के रूप में दिये जाते हैं, यह उनकी मदद नहीं है बल्कि उनका उपहास है। सई नदी में पिछले साल भी बाढ़ आयी थी और इस साल भी वह बढ़ रही है। अभी-अभी मुझे खबर मिली है कि हरदोई जिले में पानी बढ़ा है, उसका प्रभाव हमारे जिले पर भी पड़ेगा। १५० गांव सई नदी से प्रभावित है। लखनऊ-कानपुर सड़क पर पानी बह रहा है और यातायात बन्द है।

सई नदी पर जो पुल हैं उनकी तरफ सदन में पहले भी सरकार का ध्यान दिलाया जा चुका है। लखनऊ-मोहनलाल गंज सड़क पर सई नदी में जो पुल है उसमें दो दर हैं जिसमें पानी पूरा नहीं निकलता है और उसी सई नदी में लखनऊ-कानपुर रोड पर जो पुल है उसमें ३ दर हैं जिससे ज्यादा पानी निकलता है और वह पानी दो दर से नहीं निकल सकता। इसका नतीजा यह होता है कि सड़क कट जाती है। पिछले साल भी वह सड़क तीन-चार जगह से कट गयी थी और इस साल भी वह कट चुकी होगी। इधर दो दिनों की मुझे खबर नहीं है। सरकार का

[श्री भीखालाल]

ध्यान पिछले साल भीदिलाया गया था कि इस पुल को चौड़ा किया जावे जिससे जो ये बनावटी कारण हैं वे तो दूर हों। लेकिन अफसोस है कि सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। खबर मिली है कि चकलौसी-संडीला रोड तीन, चार जगह कट गयी है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बनी है। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा---आपका इंजीनियरिंग विभाग ऐसा है जो सड़कों के निर्माण के समय सड़क की ऊंचाई को पानी को बहाव से सही आंक नहीं पाता। इस सड़क पर इसकी पुलिया पिछले साल भी टूट चुकी थी। आश्चर्य तो यह है कि जो ड्रेन २० फुट चौड़ी है उस पर पुलिया केवल १० फुट चौड़ी है। फलस्वरूप पानी का पूरा बहाव नहीं हो पाता और सड़क टूटती है। सरकार का ध्यान इस तरफ भी अवश्य जाना चाहिये। सरकार की तरफ से जो १० हजार रुपये की सहायता दी गयी है उसे अधिक बढ़ाया जाय यह मेरी निश्चित मांग है क्योंकि किसान १० और ५ रुपये लेने से इंकार कर देते हैं, क्योंकि वे १० रु० लेकर भिखमंगा नहीं बनना चाहते। इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम उन सभी लोगों को जिनक मकान बह गये, खेती नष्ट हो गयी सब कुछ बरबाद हो गया इतनी सहायता तो सरकार दे जिससे वे अपने रहने के लिये एक कोठरी तो बना सकें, वरना सहायता बेमानी हो जाती है।

(स्वामी विश्वेश्वरानन्द के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अभी आप कृपया बैठें। मैं समझता हूं कि इस बहस को, अगर कोई आपत्ति न हो तो, दूसरे रोज के लिये भी जारी रखें ताकि सब को समय मिल सके। यानी २८ तारीख को तो सप्लीमेंटरी बजट है और एक्सेस ग्रांट पर बहुत कम समय लगता है, तो उसके लिये आधा रोज में काम चल सकता है। तो २९ तारीख को एक्सेस ग्रांट से जो समय बचे, बाद में इसे जारी रखें। उससे यह होगा कि कुछ लोग जो अपने-अपने जिलों से लौट कर आयेंगे वे भी बाढ़ पर बोल सकेंगे। नियम ५२ के अनुसार जिन लोगों ने नोटिस दी है वे सब लोग अभी बोल भी नहीं पाये हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, २८ और २९ दोनों दिन सप्लीमेंटरी बजट के लिये ही रखें क्योंकि बाढ़ से उसका भी कोई कम महत्व नहीं है।

श्री अध्यक्ष---एक्सेस ग्रांट २९ को आधा रोज में ही खत्म हो जायगा, तो उसके बाद का वक्त लेंगे।

आचार्य दीपंकर---मेरा निवेदन है कि आपने जो सुझाव दिया है वह बिल्कुल सही है। इस समय हमारे प्रदेश के लिये बहुत संकटपूर्ण समय है। आपने बड़ी कृपा की जो इस पर बहस के लिये हम लोगों को एक पूरा दिन दिया, यदि आप इसके लिये कम से कम आधा दिन और दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---अगर उस रोज न हुआ तो ३० को दे देंगे।

श्री मदन पाण्डेय---श्रीमन्, आपके इस प्रस्ताव से सब लोगों को बड़ी खुशी है लेकिन जो लोग बोल चुके हैं वे देख कर आवेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष---वे अपने साथियों की मदद लेंगे।

श्री नन्दराम---जो अपने जिले की परिस्थिति देख कर आये हैं वे क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष---वे अपने साथियों की मदद करेंगे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारा प्रदेश लगभग १४ वर्षों से बाढ़ तथा वाटर लागिंग से पीड़ित है। खास तौर से देहात की जनता जिसके कल्याण के लिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द की पिछली सरकार ने खरीफ और रबी आन्दोलन भी चलाये

लेकिन हमें दुख है कि उनमें भी हमें पूर्णरूप से सफलता नहीं मिली। उसका कारण यह है कि जिस तरह से, सरकार की ओर से आज कहा गया, प्रदेश के ४८ जिलों में बाढ़ और वाटर लागिंग से तबाही है इसी तरह से पिछले सालों में भी बहुत से जिलों में खरीफ और रबी आन्दोलन सफल नहीं हुये। यह दूसरी बात है कि आंकड़ों के द्वारा जनता को यह दिखलाया गया हो कि इतना काम उनमें हुआ है।

मैं आपके द्वारा सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दूंगा कि अगर सरकार उन चीजों पर ध्यान दे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन सुझावों द्वारा जनता का कल्याण हो सकता है। हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री ने कहा कि वह देहात के रहने वाले किसानों का उद्धार चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनका जीवन सुखी हो। इस संबंध में उनको चाहिये कि जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनाएं आज करोड़ों और अरबों रुपए की चल रही हैं, खास तौर से ऐसी परिस्थिति में जब कि सूबे के ४८ जिले बाढ़ और वाटर लागिंग से बरबाद हो रहे हैं तो वह थोड़े समय के लिये अपनी उन बड़ी योजनाओं को स्थगित कर दें और उस बचे हुये पैसे को उन जिलों में जहां कि बाढ़ और वाटर लागिंग की प्राब्लम है वहां खर्च करें। आज देहात में रहने वाले किसान और उन पर निर्भर करने वाले खेतिहर मजदूर जिनकी संख्या ७०–८० प्रतिशत से अधिक है और जिन के ऊपर यह राज्य चल रहा है, मुझे आश्चर्य है कि सरकार का ध्यान उस ओर ईमानदारी से नहीं है। मैं सरकार की ईमानदारी पर शक नहीं करता लेकिन दुख है कि सरकार जिन सरकारी कर्मचारियों के आंकड़ों पर निर्भर करती है वह ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सरकार की रिपोर्ट है कि आगरे में केवल १२८ गांव प्रभावित हुये हैं, मेरा कहना है कि यह संख्या बिल्कुल गलत है, वहां खेरागढ़, एतमादपुर, किरावली, फतेहपुर सीकरी और सदर में कुल मिला कर ४–५ सौ से ऊपर गांव प्रभावित हैं लेकिन यहां केवल वह संख्या १२८ ही बतायी गयी है। दूसरे जो क्षेत्र है वह भी ३८,३७० एकड़ ही बताया गया है, यह भी बिलकुल गलत है, अकेले किरावली का ही रकबा जो प्रभावित है वह ५० हजार एकड़ से ऊपर है। यह दुख की बात है कि सरकार अपने अधिकारियों पर विश्वास करके स्वयं भी गुमराह होती है और जनता को भी गुमराह करते हैं और काम भी ठीक नहीं हो पाता।

मैंने पिछली बार सरकार का मैनुअल आर्डर्स आफ दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो प्रावीजन्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाया था। उसमें है कि जहां पर बाढ़ या वाटर लागिंग से फसल मारी जाय तो सरकार का काम है कि वह जिलाधिकारियों को आदेश देकर उनसे जांच कराये और उसके बाद स्थायी रूप से लोगों को छूट दिलाये, और इसके साथ-साथ तकावी वगैरह का प्रबन्ध करे। वहां अन्य प्रकार की सहायता तो दूर की चीज है उनको स्थायी रूप से छूट भी नहीं मिली तो २०–२५ रुपया तकावी से किसी का कोई भला नहीं होता, लाखों रुपया इस तरह से डिस्ट्रेस तकावी में बाट दिया जाता है, इससे तो यह अच्छा है कि छोटे छोटे बांध बनाये जायं। हमारी तहसील फतेहपुर सीकरी में, जैसा कि मेरे मित्र श्री अम्बेश जी ने कहा कि जो वहां पुराना मुगल जमाने का तेरहमारी बांध है उस का ही अगर सुधार कर दिया जाय तो वहां की प्राब्लम आसानी से हल हो सकती है। लेकिन वहां सरकार के तमाम मिनिस्टर और इंजीनियर्स सभी जाते हैं पर कोई वहां की समस्या का हल आज तक नहीं हो पाया है।

हजारों, लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है और वाटर लागिंग की प्राब्लम बाढ़ से ज्यादा भयंकर इसलिये है कि रबी, खरीफ, किसी भी फसल में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसे समय में स्थगित करके, अगर अन्न की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो, वाटर लागिंग और बाढ़ की समस्या की तरफ ध्यान दें जो कि समूचे प्रदेश की बीमारी बन गई है। हम पूर्वी जिलों में बाढ़ की बात सुना करते थे लेकिन आज पश्चिमी जिलों में हालत यह है कि गांव में शौच के लिये भी स्त्री-पुरुषों को कोई सूखा स्थान नहीं है। घरों की हालत यह है कि तमाम मकान जमीन में

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

धंसे जा रहे हैं । जिला मथुरा की तहसील माठ और सादाबाद में, आगरे में भी, और भी तमाम पश्चिमी जिलों में यह हाल है कि मकान जमीन में धंस गये हैं, पक्के मकान भी धंस गये हैं । अगर सरकार वास्तव में किसानों का भला चाहती है तो इस ओर ध्यान दे । आज खेतिहर मजदूर के पास कोई साधन नहीं है, खेतों में पानी भरा है, कहां मजदूरी करने जायं वैसे भी उन्हें साल में २५०, २८० दिन काम मिलता है, बाकी रोज बेकार रहते हैं और इस समय जबकि खेती में काम करने का समय है तो वहां पानी भरा हुआ है । आप उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

मैं आपके द्वारा सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस वक्त विशेष रूप से इस समस्या को हल करने के लिये वह कठोर कदम उठाने की कोशिश करेगी ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय सदन में इस वक्त चल रहा है उसके संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे जिले गोंडा के संबंध में, घाघरा और सरजू इन दो नदियों के संबंध में मंत्री जी ने जो आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये हैं कि ६० हजार एकड़ भूमि प्रभावित है, १६५ गांव डूबे हुये हैं, और १५ मकान गिरे हैं । लेकिन यह आंकड़े तो बंधा के इस पार के हैं । बंधा के उस पार लोग तो जल में फंसे हुये हैं, उनका जीवन बड़े संकट में बीत रहा है । वह एक ऐसी दुनिया हो गई है जिसके सम्पर्क का नाव के अलावा और कोई साधन नहीं रह गया है । माननीय मंत्री जी पड़ोस के रहने वाले हैं, वहां पर अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची है । न तहसीलदार साहब गये, न डी०एम० गये और न नायब तहसीलदार गये हैं । कल ही कुछ लोग आये हैं, वह बता रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी के पास. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे मित्र वहां कब गये थे ? इधर चार-छः रोज में गये हैं या नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद---तीन रोज हुये हैं और अभी कल चार पांच आदमी आये हैं । शीतला प्रसाद जी गये थे और मुख्य मंत्री जी से मिलकर उन्होंने बताया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने फोन भी किया जिलाधीश को, वह भी नहीं मिले । तो मैं कहना चाहता हूं कि बंधा के उस पार के लोगों की जान को बचाइये, उन्हें खाना, कपड़ा दीजिये और कहीं दूसरी जगह उनको बसाने की व्यवस्था कीजिये । साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि बंधा के उस पार के लोगों के बच्चों की फीस छोड़ दें और वजीफा दें, जानवरों के लिये टिकरी का जंगल खोल दें ताकि चारा चर सकें । वहां के लोग बहुत परेशान हैं ।

बाढ़ पीड़ित इलाके में सबसे ज्यादा हरिजन या पिछड़ी जाति के लोग तबाह होते हैं, करीब ९० फीसदी (परसेंट) की तादाद में वह तबाह हो रहे हैं, उनके बचाव के लिये कुछ ऐसा कार्य होना चाहिये जिससे उनका रहन सहन अच्छा हो सके । बाढ़ में सब खेत डूबे हुये हैं जिसकी वजह से खेतिहर मजदूरों की हालत भी खराब है । यही नहीं सरजू घाघरा के साथ-साथ बूढ़ी राप्ती, राप्ती, कुवानों, मनवर, टेढ़ी आदि नदियां हैं । साथ ही नाले भी बहुत हैं । १६५ गांव इन सबके बीच में हैं और इनके अलावा १४५ गांव राप्ती के हैं । वहां भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है और कोई सरकारी सहायता नहीं दी गयी है । ठाकुर साहब वहां जा कर दौरा करके देखें कि वहां की क्या हालत है ।

कई बार यह कहा गया कि नदी की सतह कट गयी है । अगर सतह गहरी कर दी जाय तो बाढ़ न आये । उसके लिये एक योजना बनी थी, उस योजना का क्या हुआ ? वह योजना खत्म हो गयी । अभी कहा गया कि जलकुंडी योजना थी । एक बात कही गयी कि सरजू नहर निकाली जायगी और उसमें यह सारा पानी खपाया जायगा । नवाबगंज के पास काफी सरजू का कटाव बढ़ गया है जिससे काफी गांव कटाव में आ गये हैं और बरबाद हो गये हैं ।

हमारे जिले का ही नहीं माननीय मंत्री जी के जिले का भी वही हाल है। कैसरगंज में लोगों की हालत देख कर तरस आया और तुरन्त सहायता दी गयी २० हजार, ८ हजार और ३ हजार की। कुल ३१ हजार की सहायता दी गयी। हमारा कहना है कि हर जगह के बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी जाय जिससे बहादुरी के साथ वहां के गरीब किसान उस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। फसलें खराब हो रही हैं। जानवर बीमार हो रहे हैं। हैजा फैल रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी गोंडा जिले के बंधे के उस पार लगान माफ करेंगे और जो बकाया लगान है उसे रोक देंगे जिससे उनका रहन-सहन ठीक ढंग से चल सके।

गन्ना वहां पानी में डूबा हुआ है। मक्का की एक फसल होती थी वह भी बरबाद हो गयी। वहां का किसान और मजदूर बहुत परेशान है, दुखी है। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देंगे और इन गरीबों के खाने-पीने के लिये कोई उपचार करेंगे।

*श्री रूर्मासिह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सरकार जिला शाहजहांपुर के संबंध में सौतेले बेटे का सा व्यवहार करती है। सरकार समझती है कि वहां से वह हार गयी। इसलिये शाहजहांपुर को खूब दबाया जाय ताकि १९६२ में कोई न कोई सीट मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तरीका अच्छा नहीं है। नीयत पर हमला न किया जाय।

श्री रूर्मासिह—मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में दरियाओं का जाल बिछा हुआ है। वहां गोमती नदी है जिसका असर लखनऊ पर पड़ता है। दूसरे खन्नौत नदी की वजह से १९५८ में दो पुल टूट गये। फिर कठना, देवहा और भख्शी नदियां हैं जिनसे तिलहर कस्बे में बहुत नुक्सान हुआ। इस साल भी सैलाब आ गया है। वहगुल और रामगंगा और फिर गंगा इस तरह से ८,९ दरियायें पूरे जिले में साल भर बहा करती हैं। छोटे-मोटे नाले नहीं हैं और बराबर सैलाब से नुकसान होता है। शाहजहांपुर जिले की पिछले कई सालों से आर्थिक दशा खराब हो गयी है बाढ़ की वजह से और तीसरा साल है जब कि बड़ा जबरदस्त सूखा पड़ा है। उसमें सरकार को तकावी भी देनी पड़ी, छट भी देनी पड़ी और पिछले साल बड़ा जबरदस्त तूफान आया जिसकी वजह से ५५ गांवों में सारे के सारे खलियान उड़ गये। इस तरह से शाहजहांपुर जिला आर्थिक संकट में पड़ा हुआ है।

मैं कहना चाहता हूं कि दरिया राम गंगा और वहगुल के बीच का जितना हिस्सा है जब कभी सैलाब आता है तो दोनों दरिया एक दूसरे से मिल जाते हैं तहसील तिलहर में और इस बीच के इलाके में तबाही बरपा कर देते हैं। राम गंगा के किनारे ८ १० गांव ऐसे हैं जिनके बीच में नाला पड़ता है और उनका संबंध अन्य स्थानों से खत्म हो जाता है। मैंने नावों के लिये सवाल भी किया था लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ४० नावों का इंतजाम किया गया है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वहां १० नावें भी नहीं हैं। ४० नावें अगर होतीं तो इस तरह से कई-कई गांव एक जगह फंसे न रहते।

तहसील जलालाबाद में रामगंगा और गंगा दोनों दरियों में बाढ़ आयी होने के कारण १५-२० मील का क्षेत्र डूबा हुआ है। इसलिये मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार न करें। शाहजहांपुर की तरफ उनकी तवज्जह होनी चाहिये तथा जिस इलाके में बाढ़ का प्रकोप है वहां सरकारी वसूलयाबी शीघ्र ही स्थगित कर दी जाय। बच्चों की फीस माफ की जाय क्योंकि लगातार ७-८ साल से यह संकट वहां के निवासियों पर आ रहा है। वहां के लोगों को तकावी दी जाय, सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं जिससे लोग अनाज पा सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमसिंह]

साथ ही बीज का इंतजाम भी किया जाय क्योंकि डेढ़ महीने बाद रबी के बीज का समय आयेगा। अगर इसमें देर हुई तो रबी की फसल भी नहीं हो सकेगी। इसलिये अभी से बाढ़ क्षेत्रों में बीज की पूरी-पूरी व्यवस्था की जाय।

दो, ढाई साल पहले सरकार ने गांवों से इस किस्म की दरख्वास्तें मांगी थीं कि जहां पर जमीन में पानी भरा हुआ है उसको खाली किया जायगा, ऐसी योजना बनायी जायेगी। दरख्वास्तें दी गईं लेकिन आज तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। वे जमीनें वैसी ही डूबी पड़ी हुई हैं जिन पर कुछ नहीं हो सकता है। वर्षा की वजह से ज्वार और बाजरे की फसल भी मारी गई जो अन्यथा बहुत अच्छी हमारे यहां हो रही थी। रुपये में मुश्किल से पूरे जिले में २ आने ज्वार और बाजरे की फसल होगी।

इस समय सबसे बड़ी समस्या चारे की है क्योंकि रबी का चारा खत्म हो गया है और खरीफ की फसल बरसात और बाढ़ की वजह से बरबाद हो गई है इसलिये जानवरों के लिये कुछ नहीं रहा। अतः चारे का भी इन्तजाम होना चाहिये बाढ़ के इलाके में। सरकारी वसूलयाबी सब रोक दी जाय। सरकार ने जो ५० हजार रुपये की हमारे यहां के लिये व्यवस्था की है यह बहुत कम है, इससे कुछ नहीं होगा। कम से कम ५-६ लाख रुपया शाहजहांपुर जिले के लिये तकावी और अन्य सहायता के लिये रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह शाहजहांपुर जिले की जरूर मदद करेंगे।

*श्री श्रीकृष्ण गोयल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उससे ही ज्ञात होता है कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझसे पहले हमारे जिले के एक सदस्य, श्री हरिश्चन्द्र सिंह जी ने भी वहां की हालत पर प्रकाश डाला।

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़-ग्रस्त है। मेरे क्षेत्र में गंगा नदी के ऊपर एक बांध था। उसमें करीब ३०० फीट के बीच हुआ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जिलाधीश महोदय तथा सिंचाई विभाग के अन्य कर्मचारियों ने बड़ी तत्परता के साथ उस बीच को रोक दिया। एक बहुत बड़ी दिक्कत उस इलाके में इस वक्त जो है जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि पिछली फसल का लगान लोगों पर कुछ बकाया रह गया है और इस वक्त लगान देने में लोगों को बड़ी कठिनाई है क्योंकि लगान अदा करने का प्रश्न बाद में आता है, इस समय तो उनके खाने-पीने का प्रश्न बहुत बड़ा उनके सामने उपस्थित है और ऐसी हालत में लोगों से लगान वसूल करना मैं समझता हूं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। वहां के जिलाधीश महोदय से भी मैं इस संबंध में मिला था लेकिन उनका कहना यह है कि रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार पिछली फसल का लगान सस्पेंड करने का अधिकार उनको नहीं है और वह अधिकार केवल गवर्नमेंट की इन-हेरेन्ट पावर्स में है। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बदायूं जिले के उन ग्रामों में जहां पर इस समय लोग बाढ़ग्रस्त हैं और जिन लोगों पर पिछली फसल का लगान बकाया रह गया है वह लगान अगली फसल तक के लिये मौकूफ कर दिया जाय ताकि जिस समय वे लोग देने की हालत में हों तो दें।

इसके अलावा बहुत से क्षेत्र मेरी कांस्टीटुएंसी में ऐसे हैं जिनमें आज भी लोग पानी से घिरे हुये हैं और उनके निकलने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं हुआ। वहां एक मदरौला का इलाका ऐसा है जहां पर बहुत से गांव गंगा के अर्पण हो चुके हैं और गांव नाम की कोई चीज वहां पर रही नहीं गयी है और आज भी उनके निकलने का कोई समुचित प्रबन्ध सरकार की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नहीं हुआ और न कोई नाव वगैरह का प्रबन्ध जिलाधीश वगैरह कर पाये हैं जैसी मुझको जानकारी है । कल एक सज्जन उस क्षेत्र के मेरे पास आये थे । उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी वहां सैकड़ों लोग घिरे हुये हैं और उनको निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है ।

जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, सहायता भी हमारे जिले में जिस तादाद में पहुंचनी चाहिये उस ताद द में नहीं पहुंची । मैंने कल ही रेवेन्यू बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी महोदय से बातचीत की थी । उन्होंने बताया कि केवल १५ हजार रुपये अनुदान के रूप में बदायूं के लिये भेज है । १५ हजार रुपये और ४६० गांव शायद ४६० से ज्यादा ही गांव हों, इस हिसाब से ३३ रु ये फी गांव का रेश्यो आता है जो मैं समझता हूं बहुत कम है क्योंकि सरकार जो डिस्ट्रेस तकावी देती है वह तो ६ महीने के बाद वसूल कर लेती है । तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है, और वह बड़ी कृपा भी रखते हैं बदायूं के ऊपर, कि जितनी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रेस तकावी वहां भेज सकते हों वह भेजें । इसके अलावा हाउस सब्सिडी की भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक तो वैसे ही गरीब जिला है, इसके अलावा ४६० गांव बाढ़-ग्रस्त हुये हैं । कुछ केसेज ऐसे भी हैं कि जहां ४–४, ५–५ साल से लगातार सैलाब आने के कारण वहां के लोग डिस्ट्रेस तकावी अदा नहीं कर पाये हैं । मेरे क्षेत्र में मकोड़ा एक गांव है जहां पर ४-४, ५–५ रुपये लोगों पर डिस्ट्रेस तकावी के पिछले साल के बकाया हैं । तो वहां पर तहसीलदार महोदय इसलिये तकावी नहीं देना चाहते क्योंकि बकाया देना है इसलिये दूसरी तकावी नहीं दी जा सकती । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि वह इस प्रकार का आदेश भिजवा दें कि जहां पर १०-५ रुपये पिछले साल के बकाया हों और पिछले साल भी फसल नहीं हुई और इस साल भी फसल मारी गयी, तो उस तकावी को सस्पेंड करके उनको फर्दर तकावी, ग्रेच्युटस रिलीफ और हाउस सब्सिडी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके वह दी जाय ।

इसी तरह एक तेलियाघाट गांव है । वहां सैलाब इसलिये आता है कि रेल की पटरी और गांव के बीच में पानी भर जाता है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है । वहां के लोगों ने जिलाधीश के द्वारा सरकार से प्रार्थना की है कि रेलवे विभाग को कह करके उस गांव के निकट कोई पुलिया बनवाने की कृपा करेंगे जिससे वह गांव सैलाब से बच जाय ।

अन्त में मान्यवर, मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बदायूं की गम्भीर स्थिति को देखते हुये और जिस तरह से वहां नुक्सान हुआ है और लोग परेशान हैं, वह यहां से ज्यादा से ज्यादा तकावी भेजने की कृपा करें, सब्सिडी दें और ग्रेच्युटस रिलीफ दें और स्वयं वहां जाकर जितनी सहायता कर सकते हों करने की कृपा करें । इसके लिये मैं उनका आभारी होऊंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरे की परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार आगरे को बीस हजार अहेतुक सहायता और पचास हजार तकावी की व्यवस्था की गई है । आंकड़े के मुताबिक आप देखें कि लखनऊ में जो औसत वर्षा होती है उससे आधे से कुछ ज्यादा नहीं है फिर भी यहां के लिये जो आगरा से बहुत छोटा जिला है पिचानवे हजार तकावी का रखा है और जहां हानि हुई है वहां केवल पचास हजार रखा है । इसी तरह से वाराणसी में जितनी औसत वर्षा होती है उसकी एक तिहाई के करीब इन पन्द्रह दिनों में हुई है यानी ज्यादा नहीं हुई है लेकिन एक लाख रुपया भेजा है और आगरा में केवल पचास हजार भेजा है । तेहरा से लेकर नदीम और शाहपुर वगैरह गांवों की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है, वह जलमग्न हैं । वहां पानी के निकासी की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी ।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो रिपोर्ट सरकार की ओर से बंटी है उसके देखने से यह पता चलता है कि सरकार ने सिर्फ चने और नमक की व्यवस्था की है। बाढ़ के क्षेत्र में दो प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक तो यह कि लोगों को तत्काल निकाला जा सके और उनके भोजन आदि की व्यवस्था हो सके और दूसरी यह कि उनके लिये पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिये। इस समय अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण व्यवस्था इस बात की होनी चाहिये कि लोग सुरक्षित स्थान पर निकल आयें और उनके भोजन आदि की व्यवस्था हो जाय। इसके बाद पुनर्वास की व्यवस्था प्रारम्भ होगी। उसके लिये हमारे माल मंत्री जी चाहे एक लाख दें या डेढ़ लाख दें यानी जितनी भी तकावी पर्याप्त हो या जितनी भी लोग मांग रखें उसकी जांच सरकार या तो सरकारी विभाग से कराये या किसी और तरह से कराये और फिर उचित तकावी की व्यवस्था करे। चूंकि अगर उचित सहायता नहीं होगी तो आगे आने वाले उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और अगली फसल में कम उत्पादन होगा जिससे खाद्यान्न की समस्या सामने आ जायगी और भाव बढ़ जायेंगे और सब्सिडी वगैरा का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

लेकिन हम देखते हैं कि अभी अभी सरकार एक विधेयक लाई थी जिसमें ५० लाख रुपया प्रति वर्ष बाढ़ के लिये अलग निकाला जायगा। लेकिन सहायता के जो कार्य हुये हैं उनके देखने से पता चलता है कि जो इस विधेयक के समय सरकार की इच्छा थी उसके यह बिलकुल विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय, जिला सीतापर में कुछ क्षेत्र बाढ़ के प्रारम्भ में ही जलमग्न हो जाते हैं उनको गांजरी कहते हैं और वहां कोई यातायात के साधन नहीं रह जाते हैं। यह क्षेत्र बिस्वां तहसील में है। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। एक जहांगीराबाद स्थान है वहां से निकलने के लिये कोई साधन नहीं रहा गया है अधिकतर वहां लोग अपने छप्पर पर चढ़कर अपने को डूबने से बचाये हुये हैं दूसरा क्षेत्र मिश्रिख से संलग्न है। जहां पर गोमती अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। जब यह शाहजहांपुर से बढ़ती है तो किनारे के सारे गांव जलमग्न हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, १० हजार रुपया बांटने के लिये दिया गया है अगर केवल मात्र इससे चना, नमक और गल्ले की व्यवस्था की जाय तो भी पर्याप्त नहीं है। सरकार को इतने से ही कैसे संतोष हो गया यह समझ में नहीं आता। इस साल तो वहां नगर में भी बाढ़ की समस्या है और काफी निचले भागों में पानी भर चुका है। पिछले वर्ष नगर का काफी भाग बरबाद हो गया और उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकी। कारण यह है कि पिछले साल बहुत जगह बाढ़ होने के कारण पर्याप्त मात्रा में सरकार सहायता नहीं कर सकी। हम यह देखते हैं कि यहां कुछ नावों इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है कि वहां १५ नावें काम कर रही हैं, वहां पर १३४ आदमी निकाले गये। कोई भी छोटी से छोटी नदी ऐसी नहीं है जिसके किनारे लगभग सौ गांव न हों। गोमती को ही ले लीजिये। जहां से निकली वहां से लेकर यहां तक, नदी के एक किनारे एक दो मील के अन्दर इतना बड़ा ग्रामों का क्षेत्र है कि पूरे ग्रामीणों को निकालने के लिये तो बहुत अधिक नावों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बाढ़ के समय ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। फिर भी प्रत्येक गांव में एक नाव की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये। लेकिन नगर तक में नावों की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है।

अब मैं आपके सामने विशेष रूप से सीतापुर के गांजर की स्थिति इस लिये रख रहा हूं क्योंकि वहां अभी एक मास भर कम से कम पानी चढ़ा रहेगा। वहां जाने की तो कभी किसी ने फिक्र नहीं की है। (लालबत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, इस मिनट तो मिलने ही चाहिये। मैंने तो ४ बजकर ५४ मिनट से बोलना आरम्भ किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप सात मिनट पूरे कर लीजिये। सात मिनट का समय है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अभी तो उस दिन और बहस होगी। और लोगों को दस मिनट मिलें हैं, मुझे भी मिलने चाहिये, नहीं तो मैं बैठ जाऊं।

श्रीअध्यक्ष—आप बोलिये तो।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक भी औषधि की व्यवस्था नहीं की है। बाढ़ में औषधि की व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता होती है। जल में सारे कपड़े भीग जाते ह, मकान छोड़ कर लोग सड़कों के किनारे पड़े रहे हैं, ऐसे समय में चलते फिरते औषधालय की यदि व्यवस्था हो जाय और किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाय, तो लोगों का जीवन शायद कुछ दिन और सुलभ हो जाय।

बाढ़ की समस्या को सरकार इसलिये नहीं नियंत्रित कर सकी है, उसका कारण यह है कि स्वायल कंजरवेशन, भूमि के कटाव को रोकने के लिये इस सरकार ने न कभी ध्यान दिया है और न आगे दे रही है। दूसरे पानी से लोगों को निकालने की जो व्यवस्था थी वह अधिकतर जल नाविकों के हाथ में थी। हमारी सरकार की पालिसी ने जल नाविकों की ओर इतना अधिक दुर्लक्ष्य किया है कि जहां-जहां घाट थे, वहां उनको ठेकों पर उठा दिया है। उनके उदर पूर्ति का जो साधन था वह समाप्त हो गया। उसके कारण आज यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि गांव सभाओं को नावें खरीदवाएं। जैसा कि माननीय सदस्य बाराबंकी ने कहा गांव वाले नाव लेकर चले और किसी जगह पर जाकर नाव डूब गयी। न नाव रखने की व्यवस्था है, न उनको सिखाने की कोई व्यवस्था है। केवल यह होता है कि ७५ फीसदी हमारी सरकार अनुदान दे देती है। जब तक जल नाविकों के पुनर्वास का प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक पानी से निकालने की समस्या, प्रदेश के इन सीमित साधनों के साथ नहीं हल हो सकती।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि बाढ़ के क्षेत्र में जहां वाटर लागिंग हो गयी है, वहां लगान की वसूली बन्द कर द और तकावी सबको देने की व्यवस्था करें और जल नाविकों की समस्या पर प्रदेश की सरकार विशेष ध्यान दे जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो सके और समय पर वह हमारे काम आवें।

श्री अध्यक्ष—अब यह बहस स्थगित होती है और २९ तारीख को जारी रहेगी। अब आधे घंटे की बहस होगी।

आगामी आम चुनाव में मत-पत्रों पर उर्दू में भी नाम अंकित होने तथा सरकारी सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित १० अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ तथा तारांकित प्रश्न ७–८ के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—(जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर, यह प्रस्ताव तो पढ़ा हुआ माना जाय क्योंकि यह छपा ही हुआ है। मुझे इस संबंध में यह निवेदन करना है श्रीमन्, कि दो प्रश्न उठे थे। उनके उत्तर में यह बताया गया था सरकार की तरफ से कि हम सात जिलों में उर्दू में बैलट पेपर भी छपायेंगे और इन जिलों में वहां के एलक्टोरल रोल भी उर्दू में छपेंगे। दूसरी तरफ माननीय रामदुलारे मिश्र के प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि अभी तक सिर्फ तीन भाषा, अभ्यर्थना और सूचना विभागों को छोड़कर शेष विभागों का काम अधिकतर अंग्रजी में हुआ करता है। मान्यवर, इन बातों से दिल को

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

बड़ी ठेस पहुंचती है। एक तरफ सरकार लैंग्वेज कमीशन के नाम से उर्दू कमीशन बैठाती है। इसलिये हमें यह आवश्यकता हुई कि आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी तथा और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों तक अपनी बात पहुंचायें। मान्यवर, देश के बटवारे के पहले से भी हिन्दी उर्दू का झगड़ा बड़ा पुराना चला आ रहा है। देश का जब बटवारा हो गया और स्वयं उधर के बैठने वालों ने धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर जब देश का बटवारा किया तो हम सोचते थे कि अब ये सारे झगड़े खत्म हो जायेंगे। लेकिन आज जिस तरह से यह फिर उर्दू का झगड़ा खड़ा किया जा रहा है उससे हमें डर है कि कहीं फिर उन्हीं पुरानी बातों की पुनरावृत्ति न हो और वही खूंरेजी की स्थिति सामने न आवे। उसके बाद एकदम सरकार ने ८ अक्तूबर, सन् १९४७ को घोषणा की और उस समय की आदरणीय कौंसिल ने यह प्रस्ताव पास किया कि हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में यहां की राष्ट्रभाषा होगी और एकमात्र भाषा सभी प्रयोजनों के लिये होगी और चाहे सम्मान छापने के लिये हो, चाहे घोषणा प्रकाशित करने के लिये हो, चाहे कोई भी काम हो, हर चीज के लिये अलग-अलग जी० ओ० सरकार की तरफ से निकले और हमेशा जोर इस बात पर दिया गया कि सभी चीजें हिन्दी में निकलें। हां, दरख्वास्त के लिये यह था कि अगर कोई हिन्दी में दरख्वास्त न दे सके तो उर्दू में दे सकेगा।

उर्दू कोई दूसरी भाषा भी नहीं है। वह तो हिन्दी की ही एक शैली है जो फारसी लिपि में उलटी ओर से लिखी जाती है। मान्यवर, भाषा किसी भी देश के लिये अपने गौरव की एक वस्तु होती है। इंग्लैंड की अपनी भाषा है, इसी तरह से हमारी देवनागरी सारे राष्ट्र और सारे देश की भाषा है, मराठी वगैरह की भी....

श्री अध्यक्ष—वह लिपि है, भाषा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—जी हां, लिपि ही मेरे कहने का मतलब था। आपने सुधार दिया, धन्यवाद।

तो यह आदेश हुआ कि उम्मीदवार जो नये रखे जायेंगे उनके लिये हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य होगा। १९५२ में चीफ सेक्रेटरी, श्री भोलानाथ झा की तरफ से आदेश गया और यह कहा गया कि अब तक जो नीति सरकार ने बरती है उसके परिणामस्वरूप जितने कर्मचारी हैं उनमें केवल २ प्रतिशत ऐसे रह गये हैं कि जो हिन्दी नहीं सीख पाये बाकी सब सीख गये हैं। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये भी यह अनिवार्य किया कि एक परीक्षा विषय हिन्दी हो। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि इसमें प्रगति नहीं हुई और समय समय पर जो आदेश निकले उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सन् १९५२ में ही सरकार को यह महसूस हो गया था कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह यथेष्ट नहीं है क्योंकि १ दिसम्बर, १९५५ को श्री भोलानाथ झा की तरफ से जी० ओ० निकला तो यह लिखा गया कि खेद की बात है कि उक्त आदेशों का कड़ाई के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। आदेश यह था कि हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर्स और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं, लेकिन कुछ कार्यालयों में अंग्रेजों के स्टेनोग्राफर्स और टाइपिस्ट भर्ती किये जा रहे हैं, इसी प्रकार परिपत्र भी अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं, सार्वजनिक नोटिस इत्यादि भी हिन्दी में नहीं प्रकाशित हो रहे हैं, इसके आगे उन्होंने आदेश दिया कि सारे परिपत्र वगैरह इसके साथ लगाये जायं और दफ्तरों की तरफ से जो आब्जेक्शन आते थे उनको इसी अपने आदेश में लिखा है। असल में लोगों के आब्जेक्शंस इस तरह के रहते थे उन्होंने कहा १९५६ में कि हिन्दी के ही टाइपराइटर्स नये लिये जायं, अंग्रेजी के टाइपराइटर लेने के आदेश न दिये जायं, हिन्दी में कार्य करने के विरोध के संबंध में अधिकतर यह तर्क दिये जाते थे कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव और हिन्दी के स्टेनोग्राफरों आदि का अभाव। वही बात आज अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा ने कही है जो सन् १९५५ में कही जाती थी आज भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उस समय प्रयोग किये जाते थे, यद्यपि बहुत पहले ही सरकार द्वारा यह भी उसी आज्ञा में बताया

आ चुका है कि पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी लिपि में लिखा जा सकता है। यानी ऐसा करना feasible है, सम्भव है। मेरा सरकार के ऊपर स्पष्ट चार्ज है कि वही बातें हिन्दी में कार्य सम्भव होते हुये भी सरकार द्वारा आज भी कही जाती हैं।

सन् १९५१ में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी थे उन्होंने आफिशियल लैंग्वेजेज विधेयक उपस्थित किया था उस समय मुसलिम लीग के मेम्बर्स यहां आपोजीशन में थे जमशेद अली खां आदि आदि और उनमें से कई लोग तो आज भी कांग्रेस बेंचेज पर सुशोभित हैं, उन्होंने उस विधेयक का विरोध किया था। उन्होंने चाहा था कि रीजनल भाषा के रूप में उर्दू यहां हो जाय जिसको आज भी अंजुमने तरक्कियें उर्दू वाले कह रहे हैं और जिसके बढ़ाने का प्रयास आज भी मुख्य मंत्री जी की ओर से हो रहा है लेकिन तब उस वक्त यह दुहाई दी गयी थी कि यह नहीं हो सकता। उस वक्त तेलगू आदि का उदाहरण दिया गया था कि किस तरह से कन्नड़ आदि भाषायें क्षेत्रीय भाषायें हैं उसी तरह से उर्दू को यहां स्थान दिया जाय, तब तत्कालीन मंत्री ने सरकार को नीति को स्पष्ट करते हुये कहा था कि कन्नड़, मलयालम आदिम भाषायें जो अपने प्रदेश से बाहर बोली जाती हैं वह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं उर्दू का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां केवल हिन्दी ही बोली जाय या केवल उर्दू बोली जाय। तो उन्होंने उस समय उस बात को नहीं माना था, जब यहां वह प्रस्ताव पास हुआ था। सन् १९५१ में मातृभाषा के बोलने वालों की संख्या ७९.८१ परसेंट थी और उर्दू बोलनेवालों की संख्या ६.८१ प्रतिशत और इसीलिये उर्दू को उस समय भी मान्यता नहीं दी गयी थी।

एक चीज यहां कहना न्यायसंगत ही होगा कि कुछ भाषायें यहां ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली एक क्षेत्र में बोली जाती हैं जसे हम लोग ही अपने घर में हिन्दी नहीं बोलते पहाड़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमने राष्ट्रभाषा के लिये त्याग किया और पर्वतीय के लिये कभी मांग नहीं की। हम देश का एकीकरण करना चाहते हैं। आज जो समिति बनायी गयी है उर्दू को रीजनल लैंग्वेज बनाने के लिये उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में Linguistic Minorities के संरक्षण की बात कही गयी है। इस सरकार ने Linguistic Minorities का एक नया भूत खड़ा कर दिया है। इसमें लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये, यानी भाषा के हित की रक्षा के लिये नहीं वरन् भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये, उनके अधिकारों के हितों की रक्षा के लिये यह किया जा रहा है। आज भाषा की रक्षा होगी, कल सीटों का रिजर्वेशन होगा, परसों सेपरेट एलैक्टोरेट माना जायगा और नरसों फिर दूसरा पाकिस्तान बनाया जायगा, यह इसके पीछे है। मुख्य मंत्री जी यह सब क्या करने जा रहे हैं? भगवान् के लिये, अपने देश में एकता स्थापित करने के लिये, देश में शान्ति बनाये रखने के लिये यह गड़े हुये मुर्दे न उखाड़िये। थोड़ा-सा वोटों का लाभ उनको जरूर मिलेगा लेकिन वह लाखों लोगों की लाशों के ऊपर।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा अभी माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने की है उस की चर्चा कई मर्तबा सवालों के सिलसिले में या अन्य समय में सरकार की तरफ से कर दी गई है। मैं हैरान हूं कि यह आरोप इस सरकार के ऊपर, कि यह सरकार हिन्दी की प्रगति के लिये कुछ नहीं कर रही है, आज क्यों लगाया जाता है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वही विचार साम्प्रदायिकता के आधार पर भाषा के संबंध में जगह-जगह फैलाने की चेष्टा की जा रही है। आखिर इस सरकार की जो नीति हमारी राष्ट्रभाषा के संबंध में रही है उसमें कौन-सा परिवर्तन कर दिया है? इस वर्ष तो यह और भी प्रसन्नता की बात है कि इस सरकार के प्रयास से एक कार्य वह हो गया कि

---

*वक्ता ने भाषाण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जिसका प्रयास हम कई वर्षों से करते आ रहे थे यानी हाईकोर्ट में भी हिन्दी भाषा के द्वारा जो अपने विचार क्रिमिनल केसेज म प्रकट करना चाहते हैं, वह बहस के सिलसिले में कर सकते हैं। फिर अभी दिल्ली में जो निर्णय हुये, वह निर्णय हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का वास्तविक रूप प्रदान करने के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या कोई माननीय सदस्य इस बात को भुला सकता है कि सारे भारतवर्ष में....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विवाद का जो विषय है वह दूसरी तरफ घुमा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हिन्दी को राष्ट्रभाषा का वास्तविक रूप प्रदान करने के लिये हम एक कदम आगे बढ़े हैं क्योंकि दक्षिण में जहां अभी हिन्दी भाषा चालू नहीं हो रही थी या जिस प्रकार से उसकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी सारे देश के मुख्य मंत्रियों ने जब एक निर्णय ले लिया कि हम हिन्दी लिपि को स्वीकार करते हैं तो हम हिन्दी की प्रगति के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़े हैं। कौन नहीं जानता कि जो स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन बैठा था तो उसने लिंग्विस्टिक माइनारिटी के संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट किये थे? केन्द्रीय सरकार ने उन विचारों में कुछ विचारों को अपनाते हुये प्रांतीय सरकारों को उस सिलसिले में कुछ निर्णय लेने के लिये आदेश दिया था। इस प्रदेश ने भी सन् १९५८ में कुछ उन निर्णयों को अपनाया और लिंग्विस्टिक माइनारिटी को सुभीता देने के लिये उसने चन्द निर्णय लिये। वह निर्णय यह थे कि प्राइमरी स्टेज पर यदि कोई व्यक्ति उर्दू में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति, जो उर्दू को अपनी मादरी भाषा बतलाता है, तो वह वहां पर शिक्षा प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रत्येक बालक को दिया जाता है।

बहुत-सी सुविधाओं का चर्चा किया गया था और बहुत से निर्णय लिये गये थे परन्तु जैसा हम और आप जानत ह, बहुत से निर्णय कार्य रूप में परिणत नहीं हुये। वे निर्णय ऐसे थ जिसकी घोषणा पिछली सरकार ने और बार-बार हमारी तरफ से हुई है कि यदि किसी स्कूल में किसी क्लास में १० विद्यार्थी हों और किसी स्कूल में ४० विद्यार्थी हों और वे उर्दू पढ़ना चाहें तो उन्हें उर्दू पढ़ने के लिये सुविधा दी जायगी। लिंग्विस्टिक कमीशन ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। यह निर्णय अभी ठीक रूप से नहीं चल रहे हैं। जगह-जगह से शिकायत है कि यदि कोई उर्दू पढ़ना चाहता है तो उसके लिये उन क्षेत्रों में जैसी सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा नहीं मिल रही है। पिछली मर्तबा मार्च के महीने में या उसके पूर्व कई प्रकार की आपत्तियां हमारी नीति के संबंध में, जहां तक भाषा का संबंध है, जहां तक हमारे घोषित निर्णयों का संबंध है, कौंसिल में की गईं। उस समय मैंने बजट की स्पीच के सिलसिले में....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—इस पर टाइम लिमिट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह सरकार की नीति बतला रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—हम लोग अपना भाषण नहीं देंगे केवल प्रश्न ही करेंगे। इसलिये मुख्य मंत्री जी अपने विचार प्रकट करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो हमने यह घोषणा की कि सरकार एक कमेटी नियुक्त करेगी जो इस बात की जांच कर लेगी कि किस वजह से जो हमारे घोषित निर्देश हैं, जो आज्ञायें हैं उनका पालन नहीं होता। इस सिलसिले में कृपलानी जी की एक कमेटी नियुक्त हुई जिसमें लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के व्यक्ति और राष्ट्र भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले व्यक्ति दोनों शामिल थे। वह उन बातों पर विचार करने जा रहे हैं और उन दिक्कतों

पर विचार करने जा रहे है कि प्राइमरी स्टेज पर जो सुभीते घोषित किये गये हैं भाषा के अध्ययन के सिलसिले में वह लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें साफ साफ लिख दिया कि जहां तक हिन्दी का संबंध है या केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रभाषा की नीति का संबंध है, यह कमेटी उस विषय में नहीं जा सकती और न उन निर्णयों पर विचार कर सकती है जो कि प्रदेशीय सरकार ने या इस विधान सभा ने ले रखे हैं। यह कमेटी इस पर विचार नहीं कर सकती कि उर्दू इस प्रदेश की रीजनल भाषा बनायी जाय या नहीं। कमेटी इस बात पर अवश्य विचार कर सकती है कि १९५८ में जो सुभीते घोषित किये गये हैं वह कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं। मैं साफ तौर पर यह बात घोषित कर देना चाहता हूं कि मैं हिन्दी का पक्षपाती हूं और हिन्दी को विकसित होते हुए देखना चाहता हूं और यह सरकार भी उन संस्थाओं में से है कि जो यह चाहती है कि जो निर्णय हिन्दी के संबंध में सारे राष्ट्र ने लिया है वह वास्तविक रूप में कार्य में परिणत किया जा सके और उसके वास्तविक रूप में परिणत करने में यदि कोई बाधायें हैं, दिक्कतें हैं तो वह दूर की जायं। मैं बराबर इस बात के प्रयत्न में लगा हुआ हूं कि हिन्दी को वास्तविक रूप में राष्ट्र भाषा का रूप प्रदान किया जाय और वह सारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बने। हम कोई ऐसी नीति नहीं बरतना चाहते कि जिससे हिन्दी भाषा-भाषियों के प्रति कोई अविश्वास पैदा होता हो और आपस में लोग मनोमालिन्य की भावना रखें।

आखिर जो यह उर्दू का विषय सदस्यगण रोज-रोज उठाते हैं उसके संबंध में निवेदन है कि हम ने उर्दू को संविधान में एक जबान का रूप दिया है और १४ वीं भाषा उसको माना है। यदि उसके पढ़ने वाले उस के लिये कुछ सुभीता चाहते हैं तो यह सरकार जो संविधान में विश्वास रखती है, क्या वह उन्हें उस अधिकार से वंचित रखे? अभी अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसमें कुछ निर्णय किये गये। वहां निर्णय लिया गया कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा का समुचित स्वरूप प्रदान किया जाय लेकिन वहां यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई माइनारिटी की लैंग्वेज है, मेरा मतलब यह नहीं है कि वह कोई रिलीजस माइनारिटी की लैंग्वेज हो.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न बहुत देर से उठाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस चीज पर लेक्चर हो रहा है। कुंवर श्रीपाल जी का और रामदुलारे जी का प्रश्न स्पष्ट है, लेकिन यहां भाषा-नीति पर विवाद और भाषण हो रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय गोविन्द सिंह जी ने अपने भाषण में जिन बातों को उठाया है मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं।

श्री राजनारायण—स्पष्ट प्रश्न उनका यह है कि क्या यह सरकार बतलायेगी कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या आगामी चुनाव में मत पत्रों पर उर्दू में नाम अंकित होना आवश्यक है? यदि हां, तो सरकार ने क्या सुझाव दिये हैं? और मिश्र जी का प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकारी सचिवालय में पत्र-व्यवहार, विभाग की रिपोर्टों और फाइलों पर टिप्पणी लिखने में सरकारी फार्म और रजिस्टर आदि छपवाने में हिन्दी ही प्रयुक्त होती है? यदि नहीं, तो क्यों? और इसका उत्तर कहीं अभी तक आया नहीं। यह तो इस प्रकार सरकार की भाषा नीति का प्रोपेगेन्डा हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने और रामस्वरूप जी ने प्रश्न पूछा है उसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने जिन बातों का जिक्र अपने भाषण में किया था उन्हीं का मैं उत्तर दे रहा था। यहां सदन में अगर कोई प्रश्न ऐसे दिये जाते हैं जिनसे जनता में बाहर भ्रम पैदा हो सकता है तो उसके बारे में जवाब देना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न एक दूसरे से संबंधित तो हैं ही, लेकिन जो प्रश्न और हैं जैसे उर्दू में अंक छापे जा रहे हैं तथा और दूसरे प्रश्न हैं उनका जवाब भी आपके उत्तर में आ जाना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब उसके लिये मुझे आप समय देंगे तभी मैं उन सबका जवाब दे सकूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—३० मिनट के समय में अब ८ मिनट ही बाकी रह गये हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को बजाय आधे घंटे की बहस के और किसी दिन के लिये रख दिया जाय ताकि इस पर पूरी तरह से विवाद हो जाय, मैं यह ज्यादा पसन्द करूंगा। मैं १० मिनट में सारी बातें नहीं बता सकता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, इसे नियम ५३ के अन्तर्गत कर दिया जाय। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मंत्री जी से) तो इसके लिये मैं २ घंटे का समय ३० तारीख के लिये रख दूं, उस दिन कोई विशेष कार्य तो नहीं है, बिल वगैरह तो नहीं आयेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिल तो हैं, लेकिन आप इसको रखेंगे तो उसको पेश नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—तो उस दिन और कार्य फिर होगा नहीं।

श्री राजनारायण—दो घंटे का कार्यक्रम क्या रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—इस पर नियम ५३ में जिस तरह से विवाद होता है उसी तरह होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय राजनारायण जी तथा बिष्ट जी या और माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछना चाहें इस संबंध में वे अपने प्रश्न कृपया मुझे लिख कर भिजवा दें ताकि उनका उत्तर मैं लिखित रूप में भी दे सकूं और अपने भाषण में भी कह सकूं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले लिखित दे दिया जायगा, फिर भाषण में भी जो बातें होंगी उनको मैं बता दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं यह निवेदन कर दूं कि जो बात प्रश्न लिख कर देने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है उसके अलावा भी जो अभी पांच मिनट का समय शेष है उसमें भी कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत आप दे दें क्योंकि ३० तारीख को जो दो घंटे का समय आप दे रहे हैं उसमें मुझे भय है कि वे पूरे हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उर्दू विकास के लिये सरकार जो कुछ कर रही है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो शिकायत यह है कि उर्दू तथा हिन्दी के विकास के लिये जितना करना चाहिये उतना सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना है, लेकिन जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, कई विभागों में अभी तक हिन्दी में कार्य नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर हिन्दी में काम क्यों नहीं होता ? उसमें क्या कठिनाइयां हैं, उनको हिन्दी में कार्य करने के लिये क्यों जोर नहीं दिया जाता, इसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हिन्दी समाचार समितियों तथा समाचार पत्रों के विकास के लिये हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स बनवाने के लिये क्या सुझाव सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––उत्तर सब प्रश्नों का मैं उसी दिन दूंगा, आज प्रश्न ही हो जायं ।

श्री अध्यक्ष––यह भी ठीक है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)––माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स का हवाला दिया है और यह बताया कि वहां यह प्रश्न आया कि सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि हो तो उस निर्णय के अनुसार क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि बैलट पेपर हिन्दी उर्दू में छपेगा, तो उसमें भी उर्दू की लिपि देवनागरी होगी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं आज जवाब नहीं दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––माननीय मुख्य मंत्री ने जैसा कहा कि वे संस्थायें जिनके हाथ में हुकूमत है, शिक्षा का इन्तजाम करती हैं । तो आज जिस संस्था की हुकूमत है उसी के हाथ में ९५ प्रतिशत अन्तरिम जिला परिषदें हैं और अन्तरिम जिला परिषद् ही प्राइमरी एजूकेशन का इन्तजाम करती हैं । फिर वे ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते कि इनके प्राइमरी स्कूलों में जो भी उर्दू पढ़ना चाहें, वे उर्दू पढ़ सकें ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन लिस्ट गवर्नमेन्ट के यहां से फिक्स्ड है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिये । उर्दू वे जानते नहीं हैं क्योंकि जहां प्राइमरी स्कूल में वे पढ़ाते हैं वहां के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन उर्दू नहीं है । तो फिर किस हैसियत से माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं और इसको करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष––उसके लिये तो कमीशन बैठा हुआ है ।

श्री गौरीशंकर राय––वह तो उर्दू वालों से वोट लेने के लिये बैठा हुआ है ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं बहुत ही सफाई से यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में केवल फौजदारी के मुकदमें में ही हिन्दी में बहस करने और आवेदन पत्र देने की इजाजत मिली है तो यह फौजदारी तक ही सीमित क्यों है, उसे दीवानी और अन्य मुकदमों में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ?

दूसरी बात यह है कि सरकार का जो कानून है, उस कानून के मातहत भी सेशन जज यानी हाई कोर्ट से नीचे सेशन जजी और मैजिस्ट्रेट की अदालत में भी कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये । तो इस कानून का पालन अब तक क्यों नहीं हो रहा है ? मैजिस्ट्रेट लोग और सेशन जज लोग क्यों नहीं अब अपनी सारी कार्यवाही हिन्दी में करवाते हैं ? उसी के साथ जो मेरे चार प्रश्न थे, उनको मैं थोड़ा रूपान्तरित करके रखना चाहता हूं कि जब सरकार को अपनी नीतियों का पालन कराना सम्भव नहीं है तो.....

श्री अध्यक्ष––आपके पूरक प्रश्न हैं ? तो इसको नोट कर लिया जायगा । आपके जितने पूरक प्रश्न हैं उनको मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मेरा पूरक प्रश्न इसी सम्बन्ध में है कि फौजदारी के अलावा दीवानी तथा और अन्य अदालतों में हिन्दी को क्यों नहीं बढ़ाया जाता, इसके अलावा जो मौजूदा कानून है उसका पालन अब तक और अदालतें क्यों नहीं कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष––ठीक है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो बहुत से अधिनियम पहले पारित हो चुके हैं और अंग्रेजी में हैं, उनके संशोधन के लिये जब कोई प्रस्ताव होता है तो आधी अंग्रेजी ही उसके अन्दर होती है। तो जब सरकार की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर हिन्दी को आगे बढ़ाने की है, इस बात को देखते हुये उन सभी अधिनियमों का उल्था वह हिन्दी में कराने का प्रयत्न करेगी ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अपने यहां इस सदन के अन्दर जो विधेयक आते हैं हिन्दी में, वे अंग्रेजी विधेयक के ट्रांन्सलेशन होते हैं या मूल हिन्दी में लिखे जाते हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि हमारे सूबे के कुछ लोगों का यह खयाल है कि हम पर हिन्दी लादी जाती है और उर्दू को मिटाया जा रहा है ? और इस गलत फहमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

मेरी दूसरी गुजारिश यह है कि अगर उर्दू में दरख्वास्त दी जायगी तो क्या उसका जवाब भी उर्दू में मिल जायगा ? यदि यह बात हो तो क्या हर सरकारी नौकरी करने वाले को हिन्दी उर्दू दोनों पढ़ना पड़ेगा ?

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरकार की नीति की घोषणा हुई है कि उर्दू को संरक्षण दिया जायगा तो क्या वह अपने वक्तव्य में स्पष्ट करेंगे कि वह संरक्षण किस कैटेगरी का होगा और किस चीज में किस मात्रा में वह संरक्षण देंगे ? इस को वह स्पष्ट कर दें ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मेरे ३ प्रश्न हैं, मैं जल्दी-जल्दी पूछे लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, केवल एक पूछ लीजिये बाकी लिख कर भेज दें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—लिंगविस्टिक माइनारिटी को, जो संविधान में प्रतिशत दिया गया है, वह बहुत अधिक है और यहां पर इतना कम प्रतिशत होते हुये भी उस को इतना संरक्षण माननीय मुख्य मंत्री जी क्यों दे रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—सरकार के आदेश जो जिलास्तर पर जिला परिषदों को या दूसरी जगह जाते हैं वे प्रायः अंग्रेजी में जाते हैं, क्या यह सम्भव है कि वह आदेश अब से हिन्दी में ही जाया करें ?

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर २८ अगस्त, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ अगस्त, १९६१ ॥

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

उन नगरपालिकाओं के जल कल बढ़ाने तथा पुनर्गठन की योजनाओं की सूची जो पिछले पांच वर्षों में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनायी गई

	अनुमानित लागत
	(रुपया लाखों में)
१—गोलागोकरननाथ जल कल (पुनर्गठन)	१.१२
२—उन्नाव	१.२१
३—मसूरी	५.१९६
४—मथुरा	३१.१४३
५—मुगलसराय	३.७०५
६—बांदा	९.६३
७—मिरजापुर	३.१०
८—उन्नाव .. (एक्सटेंशन)	१.४४
९—मेरठ	४.६९४
१०—रामपुर	२.०२
११—पीलीभीत	०.८२
१२—इटावा	७.०२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

SUMMARY OF RECOMMENDATION

H E A L T H

(1) Municipal health rules should be strictly enforced and living conditions improved.

(2) More quarters should be constructed to accommodate a higher percentage of industrial workers in these healthy surroundings.

(3) Lectures on health, hygiene, family planning and social ethics should be periodically arranged in Labour 'Ahatas' and adequate pamphleteering should be done.

(4) Vaccinations and anti epidemic measures should be promptly undertaken.

(5) A good deal of illicit liquor appears to be still available in labour areas, this should be stopped. Strict measures should be undertaken stop use of illicit liquor in the labour areas.

(6) Efforts should be made to improve the unhealthy working and living conditions. Better feeding facilities should also be provided to workers within their factories.

(7) Education on sex hygience should be organised in such a way that the knowledge can be imparted not only to workers but to their families too.

(8) More facilities for recreation, acceptable to workers and their family members, should be provided at or near the place of their residence.

(9) Periodical survey of the health of industrial workers should be undertaken to get the comparative figures.

(10) Rest homes should be available to the workers on very economical cost. Facilities for annual check-up of the health of the workers should also be available at these Rest Homes.

Employees' State Insurance

(1) The number of Health Insurance dispensaries should be increased and the number of Health Insurance Doctors and auxiliary staff should also be proportionately increased.

(2) Proper publication of the facilities provided to the Insured persons should be made.

(3) Workers' Education scheme should give special emphasis on educating the workers regarding the Employees' State Insurance Scheme and its benefits.

(4) The duties of the Medical Referee should be thus defined that the workers may have information about this officer and whenever anyone has any grievance against any Doctor or compounder of the unit which serves him, he can approach the latter. The number of referees should be increased and there should be one referee over not more than six dispensaries and easily accessible. In order to give full information regarding the scope and nature of service of the Health Insurance, it should be prominently displayed, in Hindi and Urdu, at each dispensary.

(5) Every case that comes for leave should be recorded whether leave is recommended or not in separate register.

(6) All cases of appeal referred against each dispensary should be properly recorded and notice of the same taken by the officers of the department.

(7) A few new posts of specialists should be created to whom the Insurance Medical Officers may refer cases requiring their attention.

(8) The definition of family for purposes of treatment of insured persons should be suitably explained.

(9) The family members of the insured persons should be given the same type of treatment as is intended for the insured persons.

(10) To remove the complaint that required medicines are sometimes not available at the dispensaries and the Hospitals, Insurance Medical Officer should at first ring up the Central Stores maintained for supply of medicines to dispensaries, and find out if the required medicine is available there. If so, the stores should be asked to send it through special messenger or the insured person himself be authorised to obtain the required medicine from the store. In case the required medicine is not available at the Central Stores, he should ring up the Deputy Director (Employees' State Insurance) or the Civil Surgeon, as the case may be, to obtain the required medicine from the local chemists approved for the purpose, and supply it immediately.

(11) The usual complaint that the employers do not grant leave to workers for reasons other than illness, should on the one hand be taken up with the employers and on the other Health Directorate should see to it that while no leave is obtained on false pretexts, genuine cases should not suffer.

(12) The patients of tuberculosis should be given a suitable increase in cash benefits. The cash benefit should be fixed keeping in view that the tubercular worker has to support a family and needs food of extra-nutritional value. The benefit period should also be increased for patients of T.B.

(13) Until the doctors and other members of the staff are provided with residential accommodation adjoining the dispensaries or in its close proximity, their addresses be properly displayed outside the dispensaries concerned.

(14) The midwives should be authorised to keep their kits with them ready for use beyond the working hours.

(15) Until the construction of Employees' State Insurance Hospital, a suitable number of beds should be earmarked for the insured workers referred to the General Hospitals by Employees' State Insurance doctors.

(16) With a view to avoid impersonation cases, it is recommended that a small photograph of the insured workers be affixed on their respective cards at the cost of E.S.I. Corporation.

(17) The working hours of the dispensaries as well as the local offices should be changed to suit the convenience of the patients. They should coincide with their shifts of the Mills.

(18) Retirement age of industrial workers be fixed at 70 years after paying adequate compensation. In exceptional cases of technical experts, further employment be subject to medical fitness annually subject to a maximum of 65 years.

Delinquency

(1) Labour colonies should be centres of social education.

(2) Quarters in the labour colonies should, necessarily and by need, consist of at least two rooms. One room tenement inspite of its economic necessities is not a healthy system for family life as discussed earlier.

(3) Campaign should be launched from time to time to popularise the activities and utility of Government Labour Welfare Centres amongst the industrial workers.

(4) A course of parent guidance should be included in the syllabus of Workers Education Scheme and a section of the Government Labour Welfare Centres be allotted as the parent guidance clinic.

(5) There should be a few child guidance clinics in the labour areas of the city wherein the children taking to delinquent habits be sent.

(6) Childrens' Act should be enforced in Kanpur (Urban areas).

(7) Prohibition rules should be strictly enforced.

(8) The Police and Probation departments should always record the professions of the delinquents brought before them.

(9) The problems of both juvenile and adult delinquency be studied intensively as a separate study.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

क्रेडिट फैसेलिटीज ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम से मिल सकेंगी। मार्कटिंग की सुविधायें राज्य लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत मिल सकगी। सस्ते मूल्य पर बिजली देने की कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों की बकाया गन्ने की कीमत का विवरण जो कि सीजन १९६०-६१ के १ जुलाई, १९६१ तक दिया गया है

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	गन्ने का बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)	क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	गन्ने का बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)
१	२	३	१	२	३
१	सिम्भावली ..	८.९१	३२	महोली ..	०.३७
२	मोदीनगर ..	४.४९	३३	हरगांव ..	१.४७
३	मोहिउद्दीनपुर ..	४.६९	३४	बाराबंकी ..	३.५१
४	जसवन्त .	२.४९	३५	बिसवां ..	६.१२
५	दौराला ..	०.५१	३६	बुढ़वल ..	०.६४
६	मवाना ..	..	३७	गोला ..	०.१०
७	सकौती टांडा ..	९.२१	३८	एरा ..	१.१०
८	बागपत ..	..	३९	हरदोई ..	..
९	बुलन्दशहर ..	२.४१	४०	बलरामपुर ..	०.५०
१०	खतौली ..	३.१८	४१	तुलसीपुर ..	११.०९
११	मन्सूरपुर ..	२६.१४	४२	जरवल रोड ..	१३.२५
१२	रोहाना ..	१८.३३	४३	नवाबगंज ..	१२.१२
१३	शामली ..	४०.८३	४४	वभनान ..	०.१९
१४	सहारनपुर ..	१२.१३	४५	खलीलाबाद ..	०.०५
१५	देवबन्द ..	३२.७१	४६	मुन्देरवा ..	९.७८
१६	इकबालपुर ..	२६.५५	४७	बस्ती ..	४.६७
१७	लकसर ..	५.८०	४८	वाल्टरगंज ..	२.३५
१८	दोयवाला ..	१.४५	४९	मसोधा ..	८.६६
१९	बरेली ..	८.६३	५०	शाहगंज ..	२.०२
२०	बहेड़ी ..	१३.७७	५१	पिपराइच ..	११.८४
२१	सेवहारा ..	१२.७३	५२	घुघली ..	११.३१
२२	थामपुर ..	१७.४८	५३	सिसवाबाजार ..	५.८१
२३	बिजनौर ..	१०.६४	५४	सरदारनगर ..	३९.६६
२४	काशीपुर ..	१.७९	५५	आनन्दनगर ..	४.९६
२५	बाजपुर ..	८.५३	५६	गौरीबाजार ..	६.७०
२६	रामपुर ..	१.२०	५७	वैतालपुर ..	७.१९
२७	पीलीभीत ..	५.८८	५८	देवरिया ..	७.५१
२८	अमरोहा ..	१३.९४	५९	भटनी ..	५.५६
२९	बिलारी ..	९.०४	६०	परतापपुर ..	०.०२
३०	नियोली ..	८.८६	६१	छितौनी ..	१०.००
३१	रोजा ..	..	६२	खड्डा ..	१४.३७

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	गन्ने का बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)	क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	गन्ने का बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)
१	२	३	१	२	३
६३	कैप्टनगंज ..	५.५३	६७	कठकुइयां ..	३.५९
६४	रामकोला (पी) ..	५.६१	६८	लक्ष्मीगंज ..	१०.२२
६५	रामकोला (के) ..	१४.७७	६९	सेवराही ..	१२.६४
६६	पडरौना ..	३.२१			
				योग ..	५७०.८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

पी० एम० एस० द्वितीय के अस्पताल जहां डाक्टर नहीं हैं
मैदानी क्षेत्र

आगरा

१—सरेथी
२—बरौली अहीर

आजमगढ़

३—खन्नौरा
४—मधुवन

बलिया

५—नौरार कोदरहा
६—नरही
७—बैलाहारी
८—दुवहर

वाराणसी

९—चोलापुर
१०—रामपुर कला

बाराबंकी

११—कुरसी
१२—पिटौली
१३—ददुरा
१४—थून्टेर
१५—नरौली
१६—बड़ा गांव

बरेली

१७—सेन्ट्रल एग्रीकलचर वर्कशाप
१८—रीछा
१९—टुन्का
२०—दलेलनगर
२१—मझगवां

बुलन्दशहर

२२—बरौला
२३—जौचना
२४—लालागढ़
२५—ऊंदागांव

फतेहपुर

२६—हथगांव
२७—गाजीपुर
२८—चांदपुर
२९—जजमुइया
३०—धाता
३१—टैडियानी

गाजीपुर

३२—क्वासीमाबाद
३३—बरछाडार
३४—गाजीपुर टी० ई० पी०

गोंडा

३५—भगौली
३६—तुलसीपुर
३७—मथुराबाजार
३८—पंचपिरा
३९—पिपरा
४०—हथियागढ़
४१—शिवपुरा
४२—परसपुर

हमीरपुर

४३—सुमेरपुर
४४—छानी
४५—कुलपहाड़
४६—मजगवां
४७—बेरी
४८—इमलिया
४९—लेयरासी यूनिट
५०—कोहनिया

हरदोई

५१—अनंगपुर
५२—हरपालपुर
५३—कचोरा

जालौन

५४—माधवगढ़
५५—पिण्डारी
५६—सिन्ध
५७—कुदौरी
५८—जगम्मनपुर
५९—कदौरा
६०—डकोरे
६१—रामपुर
६२—कुथांद

झांसी

६३—मातटीला
६४—गरौठा ।

६५—लेपरासी मोबाइल यूनिट
६६—मोठ
६७—दोरी फतेहपुर
६८—एरिच

जौनपुर

६९—समोधपुर
७०—महराजगंज

खेरी

७१—रमियाबिहार
७२—सिकन्दराबाद
७३—मजगैन
७४—पासगांव
७५—बेलरैन

मैनपुरी

७६—खारगढ़
७७—इक्का

मिर्जापुर

७८—राजगढ़
७९—सड़खान
८०—हलिया
८१—विन्धानगंज
८२—कोन
८३—पिन्डारी

मुजफ्फरनगर

८४—शाहपुर
८५—ऊन

मथुरा

८६—नवझील
८७—नन्दगोहा

प्रतापगढ़

८८—थारूपुर
८९—अमरगढ़
९०—सन्ग्रामगढ़

पीलीभीत

९१—बनवसा कैनाल
९२—देवरिया कलां
९३—माधोटांडा

रामपुर

९४—सुवार
९५—कोमारी
९६—चमरथा
९७—सैदनगर

रायबरेली

९८—खिरोन
९९—कोरिहार सतांव
१००—त्तिलोई
१०१—ऐहर

शाहजहांपुर

१०२—मदनपुर
१०३—लुटार
१०४—बांदा

सीतापुर

१०५—तम्बौर
१०६—खिवटा
१०७—पिसावां
१०८—काटेश्वर
१०९—हरगांव

सुल्तानपुर

११०—जामन
१११—लम्भुआ
११२—मादर
११३—अखडपुर

बांदा

११४—अतर्रा
११५—चित्रकूट
११६—शिवरामपुर
११७—रैसिन
११८—मारकुन्डी
११९—बिसेवा

इटावा

१२०—सहावल
१२१—बसरेहार
१२२—राजपुर

फतेहगढ़

१२३—सौरिख
१२४—बिसनगढ़
१२५—नवाबगंज

कानपुर

१२६—रसूलाबाद
१२७—बकवां
१२८—कपारा

सहारनपुर

१२९—ननौता
१३०—नरसेन
१३१—मुजफ्फराबाद

बहराइच

१३२—निवासी
१३३—सोनवा
१३४—चरदा
१३५—बोंदा
१३६—खेरीघाट
१३७—शिवपुर
१३८—महसी

बदायूं

१३९—उसेहट
१४०—रूदेन
१४१—सयदपुर
१४२—मझारा
१४३—उसवां
१४४—दहगवां
१४५—गुलरिया

देवरिया

१४६—कैंपटनगंज

मुरादाबाद

१४७—मुतलबपुर
१४८—धनौरा

मेरठ

१४९—दाहा
१५०—अलीपुर
१५१—लतीफपुर
१५२—इरीगेशन वर्कशाप

नैनीताल

१५३—स्यालवाडी
१५४—वारी
१५५—जोसीयारा
१५६—गरही नेगी
१५७—दिनेशपुर
१५८—पहाड़पानी
१५९—कालाडुंगी
१६०—किच्छा

इलाहाबाद

१६१—होलागढ़
१६२—शंकरगढ़
१६३—झूंसी
१६४—बरोखर
१६५—कोटवा

अलीगढ़

१६६—दानों
१६७—बिजवां
१६८—गोंडा
१६९—बिजौली
१७०—जवां
१७१—थानीपुर

बिजनौर

१७२—अलीपुर
१७३—सुवावाला
१७४—कादराबाद
१७५—ताजपुर
१७६—कासिमपुरगढ़ी
१७७—कानागढ़

बस्ती

१७८—बनपुर
१७९—इटावा
१८०—मेढ़ावल
१८१—धनवापुर

देहरादून

१८२—टूनी
१८३—गोवाइल बी० डी० क्लीनिक
१८४—साहसपुर

एटा

१८५—नदरौली
१८६—नमानी
१८७—आगापुर
१८८—आबूगढ़

गोरखपुर

१८९—गाजीन
१९०—नरही
१९१—देवरा
१९२—भटहट
१९३—कैंप्यीयरगंज

उन्नाव

१९४—नवाबगंज
१९५—ओरास
१९६—बारी खेरा

फैजाबाद

१९७—जहांगीरगंज
१९८—खन्जासा

लखनऊ

१९९—सिसंदी

मैदानी महिला अस्पताल जिनमें इस समय महिला चिकित्सक नहीं हैं

१—इस्लाम नगर, जिला बदायं
२—दातागंज, जिला बदायूं
३—निवासन, जिला खीरी
४—अलीगंज, जिला एटा
५—जिला कानपुर के ३७ ई० एस० आई० अस्पताल।
६—ई० एस० आई० अपस्ताल, बरेली
७—नवाबगंज, जिला बरेली
८—जिला आगरा के ४ ई० एस० आई० अस्पताल
९—जिला इलाहाबाद के २ ई० एस० आई० अस्पताल
१०—आनापुर, जिला इलाहाबाद
११—सहारनपुर के ३ ई० एस० आई० अस्पताल
१२—वाराणसी के ४ ई० एस० आई० अस्पताल
१३—चकिया, जिला वारणसी
१४—रामपुर के ३ ई० एस० आई० अस्पताल
१५—अलीगढ़ के २ ई० एस० आई० अस्पताल
१६—हाथरस, जिला अलीगढ़ के २ ई० एस० आई० अस्पताल
१७—सिकन्द्राराव, जिला अलीगढ़
१८—मोदीनगर, जिला मेरठ के ३ ई० एस० आई० अस्पताल
१९—गाजियाबाद, जिला मेरठ का ई० एस० आई० अस्पताल
२०—बागपत, जिला मेरठ
२१—बड़ौत, जिला मेरठ
२२—ई० एस० आई० अस्पताल, शिकोहाबाद जिला मैनपुरी
२३—ई० एस० आई० अस्पताल, मिर्जापुर
२४—चुनार, जिला मिर्जापुर
२५—ई० एस० आई० अस्पताल सहजनवां, जिला गोरखपुर
२६—कोंच, जिला जालौन
२७—जालौन, जिला जालौन
२८—भिनगा, जिला बहराइच
२९—पयागपुर, जिला बहराइच
३०—कैसरगंज, जिला बहराइच
३१—बैरिया, जिला बलिया
३२—नावा नगर, जिला बलिया
३३—भरथना, जिला इटावा
३४—कायमगंज, जिला फतेहगढ़
३५—शमशाबाद, जिला फतेहगढ़
३६—कन्नौज, जिला फतेहगढ़
३७—देवाई, जिला बुलन्दशहर
३८—महोबा, जिला हमीरपुर
३९—चिउटौनी, जिला देवरिया
४०—रुदौली, जिला बाराबंकी
४१—सैदपुर, जिला गाजीपुर
४२—हलदौर, जिला बिजनौर
४३—बिलग्राम, जिला हरदोई
४४—पिहानी, जिला हरदोई
४५—शाहाबाद, जिला हरदोई
४६—मौरानीपुर, जिला झांसी
४७—खलीलाबाद, जिला बस्ती
४८—टनकपुर, जिला नैनीताल
४९—रुद्रपुर, जिला नैनीताल
५०—कान्धला, जिला मुजफ्फरनगर
५१—मऊ, जिला आजमगढ़
५२—सरोजनी नगर, जिला लखनऊ

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर।)

१७ व १८ अप्रैल, १९६१ को चकबन्दी आयुक्त द्वारा आयोजित प्रदेश के समस्त बन्दोबस्त अधिकारियों (चकबन्दी) की सचिवालय में हुई बैठक में विचारणीय विषय और भाषणकर्ताओं से सम्बन्धित सूचना। (द्वितीय सत्र के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४४ से संबंधित)।

उक्त बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ था:--

१--वित्तीय वर्ष १९६१-६२ का बजट और मितव्ययिता की आवश्यकता।

२--वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में चकों पर कब्जा बदलने के लिये जिलेवार वार्षिक एवं त्रयमासिक लक्ष्य निर्धारण।

३--अधिक से अधिक क्षेत्र में नये चकों पर कब्जा बदलने के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों की मीमांसा।

४--चकबन्दी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन।

बैठक में दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ को श्री उदय शंकर दुबे, उप राजस्व मंत्री ने भी बन्दोबस्त अधिकारियों के समक्ष चकबन्दी कार्य के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे। बैठक में चकबन्दी आयुक्त, संयुक्त निदेशक चकबन्दी, उपनिदेशक चकबन्दी, सहायक निदेशक चकबन्दी और विभिन्न बन्दोबस्त अधिकारियों (चकबन्दी) आदि के भाषण हुये थे।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

जौनपुर जिले में सन् १९५९, १९६० व १९६१ के ३० जून तक चकबन्दी विभाग के ऐसे चकबन्दी कर्त्ताओं व लेखपालों से सम्बन्धित सूची जिनकी सेवायें एक मास की नोटिस दे कर समाप्त कर दी गई थीं।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६१ के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री मुक्तिनाथ राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से सम्बन्धित।)

वर्ष	चकबन्दीकर्ता	चकबन्दी लेखपाल
१९५९	२	२३
१९६०	८	४३
१९६१ (३० जून तक)	१	७६

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३३ पर)

उत्तर प्रदेश में वर्षा का विवरण १ अगस्त, १९६१ से १५ अगस्त तक

(आंकड़े इंचों में)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अगस्त माह की सामान्य औसत वर्षा	१ से १५ अगस्त तक की वास्तविक औसत वर्षा का योग
१	२	३	४
मेरठ डिवीजन			
१	देहरादून ..	३०.३७	१३.८८
२	सहारनपुर ..	१०.२६	६.८७
३	मुजफ्फरनगर ..	७.८५	१२.८०
४	मेरठ ..	७.८२	९.७२
५	बुलन्दशहर ..	७.६०	६.९२
आगरा डिवीजन			
६	अलीगढ़ ..	७.५८	३.७२
७	मथुरा ..	७.३३	६.६३
८	आगरा ..	८.०२	११.५४
९	मैनपुरी ..	९.४३	८.१५
१०	एटा ..	८.३३	४.७१
रूहेलखंड डिवीजन			
११	बरेली ..	१२.४९	९.२९
१२	बिजनौर ..	१२.०३	४.३६
१३	बदायूं ..	९.११	७.९५
१४	मुरादाबाद ..	१०.५९	६.७३
१५	शाहजहांपुर ..	१०.७४	७.७०
१६	पीलीभीत ..	१३.७३	११.२७
१७	रामपुर ..	..	५.७०
इलाहाबाद डिवीजन			
१८	फर्रुखाबाद ..	९.२५	४.३८
१९	इटावा ..	९.७६	९.४७
२०	कानपुर ..	१०.०७	५.३९
२१	फतेहपुर ..	१०.५७	६.२५
२२	इलाहाबाद ..	१०.९७	८.२०
झांसी डिवीजन			
२३	बांदा ..	१२.०६	२.४४
२४	हमीरपुर ..	१०.७०	५.७६
२५	झांसी ..	१०.९६	१४.७२
२६	जालौन ..	१०.०५	११.९९
वाराणसी डिवीजन			
२७	वाराणसी ..	१२.०२	४.९८
२८	मिर्जापुर ..	१२.९१	६.६८
२९	जौनपुर ..	११.३८	६.४६
३०	गाजीपुर ..	११.७७	७.०६
३१	बलिया ..	११.४०	५.२३

नोट—रामपुर व टेहरी गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड कमिश्नरी के तीनों जिलों के सामान्य वर्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट—सूचना केवल एक सप्ताह की है।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अगस्त माह की सामान्य वर्षा	१ से १५ अगस्त तक की वास्तविक औसत वर्षा का योग
१	२	३	४
	गोरखपुर डिवीजन		
३२	गोरखपुर	१३.२९	१०.७५
३३	बस्ती	१२.४५	६.५०
३४	आजमगढ़	११.५७	५.१०
३५	देवरिया	१२.१०	सूचना उपलब्ध नहीं है।
	कुमायूं डिवीजन		
३६	नैनीताल	१७.७६	२.६८
३७	अल्मोड़ा	१५.६५	४.८१
३८	गढ़वाल	१५.४०	८.९१
३९	टेहरी गढ़वाल	..	१०.३१
	लखनऊ डिवीजन		
४०	लखनऊ	१०.५९	६.४२
४१	उन्नाव	१०.०६	२.६१
४२	रायबरेली	१०.८९	३.६४
४३	सीतापुर	१०.६६	४.९८
४४	हरदोई	१०.०८	६.६६
४५	खीरी	११.८१	९.०६
	फैजाबाद डिवीजन		
४६	फैजाबाद	११.३१	८.८६
४७	गोंडा	१२.९४	४.६१
४८	बहराइच	१२.२४	१.२९
४९	सुल्तनपुर	११.८०	६.३५
५०	प्रतापगढ़	११.२२	४.२९
५१	बाराबंकी	११.२१	५.२०
	उत्तराखंड डिवीजन		
५२	चमोली	..	२.३०
५३	पिथौरागढ़	..	सूचना उपलब्ध नहीं है
५४	उत्तरकाशी	..	,,

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३३ पर)

उत्तर प्रदेश में बाढ़ तथा अतिवृष्टि द्वारा सन् १९६१ में हुई क्षति का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियों के नाम जिनमें बाढ़ आई	प्रभावित क्षेत्र-फल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या		जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा अनुमानित मूल्य	फसलों को हानि प्रतिशत	सड़क, पुल, पुलिया व बांध आदि को हानि
						मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५		६	७	८	९	१०
१	देहरादून	.. जमुना, असन	६०	१	..	..		४० झोपड़ी	१२	दो सड़कें तथा एक काठ का पुल टूट गया ।
२	सहारनपुर	.. यमुना, गंगा	१,०३०	११		१	..	३४०	..	एक बांध में दरार पड़ी ।
३	मुजफ्फरनगर	.. यमुना, सलोनी	३७,८५४	१४६	..	..		१३५	..	एक सड़क थोड़ी सी चटक गई ।
४	मेरठ	.. गंगा, यमुना	८,४६२	१६	..	१		५०९	२५ से ८५ तक	..
५	बुलन्दशहर	.. यमुना, गंगा, हिंडन, काली नदी	१,१२,४१५	३०४	५	४		१२१९	३१ से ७५ तक	राजघाट, देवई और जहांगीराबाद, दौलतपुर, बिलासपुर कलना, छपरौली, खानपुर, सड़कें तथा

											तहसील अनूप शहर में दुरगांवा तीरूखाना गांव के पास रेल मार्ग टूटी
६	मथुरा	..	यमुना, करवन	६४,४४०	२८६	१	..	६११	..		एक सड़क दो स्थानों पर टूटी ।
७	आगरा	..	सेंगर, यमुना,	३८,३७०	१२८	३	२	२,६५४	..		एक नहर टूटी ।
८	अलीगढ़	..	काली, नीम नदी, सेंगुर, करवन गंगा, और यमुना	३०,४३१	३७	१	..	१००	१००	..	..
९	मैनपुरी	..	..	७५,०००	३५०	..	..	..	..	..	..
१०	एटा	..	गंगा, काली इसान	२५,२३५	१७७	३	६	..	३८		गंगा का एक बांध व तीन सड़क टूटी
११	बरेली	..	गंगा देहवा, वगला वेहगुल, नकटियां, कैलाश, अरैल, पियरा नदी	१५,२२२	१९८	५	..	अनुमानित हानि ८०,४७३ रु० की	४० से ७५ तक		दो सड़कें व पुल टूटे।
१२	बिजनौर	..	रामगंगा	..	१	..	..	६६	..	..	..
१३	बदायूं	..	गंगा, राम गंगा सोत, महावन, मैसुर व अरिल	१,२७,८८४	४६०	२	४	१,६२८	१२ से ५० तक		एक सड़क बह गई व एक गांव के सब मकान नदी में कट कर गिर गये । रेल की पुलिया व तीन सड़कें बह गईं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियों के नाम जिनमें बाढ़ आई	प्रभावित क्षेत्र फल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा अनुमानित मूल्य	फसलों को हानि (प्रतिशत)	सड़क, बांध	पुल, पुलिया आदि को हानि
					मनुष्य	पशु				
१	२	३	४	५	६	७	८	९		१०
१४	शाहजहांपुर ..	रामगंगा, वहगुल सोत, गंगा, अरिल	५,१०४	९२	१	..	१७५	..	..	..
१५	मुरादाबाद ..	गंगा, रामगंगा, ढेला, यगदबगद कोंसी	३१,७२२	२०२	..	..	१,१३५	..	रानीवंध एक जगह पर टूट गया जो हिस्सा जिला बिजनौर में पड़ता है ।	
१६	फर्रुखाबाद ..	गंगा, रामगंगा	१,०७,४५०	२११	..	..	५८	२५ से ३८ तक		
१७	इटावा ..	सिरसा, सेंगुर, एहनय्या, पुरा	२,३२४	६७	..	..	..	५०	इटावा-मैनपुरी सड़क टूट गई और यातायात बन्द हो गया ।	
१८	कानपुर ..	गंगा नदी में कुछ पानी बढ़ा । जलविन्दु ३७१.६ फीट तक पहुंचा । खतरे का बिन्दु ३७४ फीट है । अभी तक कोई बाढ़ या अतिवृष्टि की स्थिति पैदा नहीं हुई ।								
१९	इलाहाबाद ..	टोंस, यमुना, गंगा	३४,७११	३१३	..	..	..	..	..	..
२०	बांदा ..	यमुना, केन	७,४१२	६६	..	..	मकानों तथा फसलों की अनुमानित क्षति ७,०००		कोई क्षति नहीं ।	
२१	हमीरपुर ..	यमुना, बेतवा	..	१६	..	..	..	..	एक निजी बांध टूट गया ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२२	झांसी	..	पहुज, जलाशय व पंदुवाहानाला	..	..	१	७२	२४०	..	..	..	
२३	जालौन	..	यमुना, पहुज	..	..	..	..	२०	बहुत नगण्य रही	कोई क्षति नहीं ।		
२४	वाराणसी	..	गंगा, वरुणा, गोमती	१२,०७१	१५१	..	..	..	..	..	..	
२५	जौनपुर	..	गंगा, साई, गोमती	२०१	३६	..	..	..	२५	..	..	
२६	गाजीपुर	..	गंगा, गोमती, वीसो मंगई	४६,४६२	१,१६६	४१	..	२०	अनुमानित हानि ३,५५,१७५ रु०	..	..	
२७	बलिया	..	गंगा, घाघरा, टोंस	..	४१४	..	१०	४९५	६२ से १०० तक	एक बांध टूटा व एक पुलिया में दरार पड़ी ।		
२८	गोरखपुर	..	बड़ी गंडक, छोटी गंडक, चंदन, घाघरा, राप्ती आदि सभी नदियां	७१,३९९	४६५	१	..	३३	..	तीन सौ एकड़ भूमि घाघरा नदी से कट गई। बांसगांव टेड़िया बांध टूट गया ।		
२९	बस्ती	..	घाघरा, कुआनों, मनवार, कुंडा, तिलार नाला	१,१२,४५८	५४३	१	..	५९	..	बधवापुर के समीप बांध टूट गया । छावनी दुबाली रोड कई स्थानों पर टूट गई ।		
३०	आजमगढ़	..	घाघरा	४२,८८०	१३४	..	..	५२	३७ से १०० तक	आजमगढ़–गोरखपुर पी० डब्ल्यू० डी० रोड एक स्थान पर टूट गई ।		
३१	देवरिया	..	घाघरा, राप्ती, बड़ी गडंक	ऽ २०,०००	९४	..	..	..	२५ से ६२ तक	नारायनपुर गांव के समीप एक छोटा बांध टूट गया ।		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियों के नाम जिनमें बाढ़ आई	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा अनुमानित मूल्य	फसलों की हानि (प्रतिशत)	सड़क, पुल, पुलियां व बांध आदि को हानि
					मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३२	अल्मोड़ा ..	सरयू, सुंगर, खोरी, कनालगढ़	२७	..	..	..	अनुमानित क्षति ४४,०३०रु०	..	बागेश्वर, कंडा बागेश्वर कारकोटी मोटर की सड़कें टूट गईं।
३३	गढ़वाल ..	वर्षा से कुछ सड़कें पहाड़ियों की ढलान से भूमि खिसकने के कारण टूटीं।							
३४	टेहरी गढ़वाल	..	२२	..	२०	१५ प्रतिशत मकानों को क्षति हुई	..	..	सभी मोटर वाली सड़कें टूट गईं।
३५	चमोली	..	..	११	३० (ददुआ ग्राम में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि खिसकने से)	७४	..	..	..
३६	पिथौरागढ़ ..	..	२५३	५७	१७	२००	५१	५०,००० रु०	टनकपुर-पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ असकोट, असकोट—

										धारचुला, पिथौरागढ़ कनालीदिन, अकोड़ा–भलाघाट सड़कें कई स्थानों पर टूट गई।
३७	उत्तरकाशी	जालन्द्री	..	..	..	..	..	२ मकानों व फसलों की अनुमानित क्षति ५,५०० रु०		जालन्द्री का जो पुल टूट गया था अस्थायी तौर पर चालू कर दिया गया।
३८	लखनऊ	..	गोमती नदी बढ़ी थी परन्तु अब कम हो गई है। १७ अगस्त को उसका जलस्तर ३५०.५ फिट था, यद्यपि जिलें में कोई बाढ़ की स्थिति नहीं पैदा हुई परन्तु मोहनलालगंज तथा मलिहाबाद तहसील के चार गांवों की आबादी भूमि पानी से घिर गई थी। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई।								
३९	उन्नाव	..	गंगा, कल्याणी, सई	११,२९१	३३	..	..	अनुमानित हानि २०,०७५ रु०	अनुमानित हानि ६०,००० रु०	छकलवंशी-औरास सड़क दो स्थानों पर टूट गई।
४०	रायबरेली	..	गंगा	८००	१०	..	..	..	..	..
४१	हरदोई	..	..	८००	८	..	..	..	५० से कम	..
४२	सीतापुर	..	घाघरा, दहावर, चौका, केवानी,	५०,०५०	४४४	..	२	६२७	अनुमानित हानि २७,०८,९०० रु०	
४३	खीरी	..	शारदा, कंडुआ, उल्ल, जमुनाई, घाघरा	९०,२४०	१९०	..	१	..	..	पलिया, कटौली, लखीमपुर-चितौली, लखीमपुर-निधासन, सड़कें कई जगह टूट गईं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	नदियों के नाम जिनमें बाढ़ आई	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जीव हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा अनुमानित मूल्य	फसलों की हानि (प्रतिशत)	सड़क, पुल, पुलियां व बांध आदि की हानि
					मनुष्य	पशु			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४४	फैजाबाद	.. घाघरा	१४,८०८	१०	..	..	..	२५ से १०० तक	सड़क पुल और बांध कई स्थानों पर टूट गये ।
४५	गोंडा	.. घाघरा, सरयू	६०,०००	१६५	..	..	१५	..	पस्का-पारसपुर सड़क कट गई ।
४६	बहराइच	.. घाघरा	८१,०००	१४१	..	..	१११	७५ से १०० तक	बहराइच–बहरामघाट सड़क कई स्थानों पर टूट गई ।
४७	बाराबंकी	.. घाघरा, शिवली, कौरियारी, सोटा, चौका	८५,०००	२३०	..	..	९६ (अनुमानित हानि १३,९५० रु०)	४० से १०० तक	बेलहरा-छेदा, सूरतगंज छेदा, कच्ची सड़कें कट गईं तथा एक पुलिया टूट गई ।
४८	मिर्जापुर	.. गंगा, जामो	२९,०००	३००	..	..	..	१२ से ७५ तक	..
		योग .	१४,५३,८८८	७,६८८	११३	३९६	१०,७९१ + १,५८,५२८		

टिप्पणी :—रामपुर, पीलीभीत, फतेहपुर, नैनीताल, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति नहीं पैदा हुई है और न कोई क्षति हुई है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३३पर)

उत्तर प्रदेश में सन् १९६१ में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के लिये दी गई सहायता का विवरण।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सहायतार्थ स्वीकृत धन		सहायता कार्यों का संक्षिप्त विवरण।
		अहेतुक सहायता अनुदान आदि के लिये।	तकावी आदि के लिये।	
१	२	३	४	५
१	देहरादून ..	२,०००	१५,०००	अहेतुक सहायता पीड़ित परिवारों में बांटी गयी।
२	सहारनपुर ..	१०,०००	१५,०००	१,२०० आदमियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया तथा अहेतुक सहायता और तकावी बांटी गई। १०,००० पूले छप्पर छाने के लिये बांटे गये।
३	मुजफ्फरनगर ..	१०,०००	२०,०००	बहुत सी नावें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। तहसील सदर के १४ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ५० पूले बांटे गये।
५	मेरठ ..	१५,०००	४०,०००	८ नावों द्वारा ११६ आदमियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा जिन गांवों में खतरा था वे खाली करा दिये गये हैं।
५	बुलन्दशहर ..	१०,०००	४०,०००	२० नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गईं। चना, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई तथा दवाइयां आदि वितरित की गयीं। कुछ गांवों से लोगों को हटा कर सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया गया। बुलन्दशहर नगर से बाढ़ के पानी को पम्पों द्वारा निकालने की व्यवस्था की गयी।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सहायतार्थ स्वीकृत धन		सहायता कार्यों का संक्षिप्त विवरण
		अहेतुक सहायता अनुदान आदि के लिये ।	तकावी आदि के लिये ।	
१	२	३	४	५
६—मथुरा	..	१०,०००	५०,०००	शेरगढ़ खादर से १६ परिवारों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
७—आगरा	..	२०,०००	५०,०००	८० परिवार सुरक्षित स्थानों पर भेज दिये गये हैं। श्रमदान द्वारा ५ नालियां पानी निकालने के लिये खोदी गयी हैं। २ छोटे बांध आबादी को बचाने के लिये ऊंचे किये गये हैं। आवश्यक सामग्री बांटी जा रही है। १६ सहायता केंद्र खोले गये हैं।
८—अलीगढ़	..	१०,०००	५०,०००	२ नावें किराये पर ली गई हैं तथा २ नावें और तहसीलों से मंगाई गई हैं। १०० आदमी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये हैं।
९—मैनपुरी	..	१०,०००	५०,०००	.. .. ..
१०—एटा	..	१०,०००	५०,०००	माल तथा नियोजन विभाग के कर्मचारी सहायता कार्यों में व्यस्त हैं।
११—बरेली	..	१२,०००	५,०००	७ नावें सुरक्षा कार्य के लिये लगाई गयी। ६३८ मनुष्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये।
१२—बिजनौर	..	१०,०००	..	.. .. ..
१३—बदायूं	..	१५,०००	३०,०००	आवश्यक सामग्री अहेतुक सहायता के रूप में तथा ५,००० रु० मकान बनाने के लिये अनुदान के रूप में बांटे गये। १२ नावें सहायता कार्य में व्यस्त हैं और आदमियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
१४—शाहजहांपुर	..	१०,०००	४०,०००	४० नावें काम कर रहीं हैं। ६१८ आदमी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिये गये।

१५—मुरादाबाद	..	१५,०००	२०,०००	आवश्यक सामग्री बांटी गयी। ३२ नावें सहायता कार्य में लगायी गयीं ५१३ आदमी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये।
१६—फर्रुखाबाद	..	१०,०००	४५,०००	प्रभावित ग्रामों में पहले से बाढ़ की सूचना दे दी गयी थी और ३१३ आदमी नाव द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिये गये थे।
१७—इटावा	..	६,०००	४०,०००	४ नावें सुरक्षा कार्य के लिये लगायी गईं। नमक, आटा, दवाइयां, मिट्टी का तेल आदि बांटा गया।
१८—कानपुर	..	१०,०००	७०,०००	.. .. ..
१९—इलाहाबाद	..	१०,०००	६०,०००	४१ नावें सुरक्षा कार्य में लगायी गयीं। १२ परिवार और ५४७ पशु खतरे की जगह से हटाये गये।
२०—बांदा	..	२,०००	३३,०००	७ नावें सुरक्षा कार्य में लगायी गयीं। ३१८ मनुष्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
२१—हमीरपुर	..	१०,०००	३०,०००	अहेतुक सहायता बांटी गई तथा २०० सिरकियां मकान छाने के लिये बांटी गयीं।
२२—झांसी	..	२,०००	३१,०००	अहेतुक सहायता बांटी गई तथा लोगों को त्रिपाल दिये गये।
२३—जालौन	..	२,०००	३६,०००	बाढ़ साधारण रही अतः केवल ग्राम सभा की एक नाव प्रयोग में लायी गयी। अन्य सहायता आवश्यक नहीं समझी गयी।
२४—वाराणसी	..	१०,०००	१,००,०००	२५ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गयीं।
२५—जौनपुर	..	१०,०००	४०,०००	नदियों में बहुत कम बाढ़ थी और कोई आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ।
२६—गाजीपुर	..	१०,०००	६०,०००	८ नावें सुरक्षा कार्य में लगायी गईं, ६२ आदमी सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाये गये। चना, नमक आदि आवश्यक वस्तुवें बाढ़ पीड़ितों को बांटी गयीं।
२७—बलिया	..	२०,०००	१,५०,०००	८७ नावें सुरक्षा कार्यों में लगाई गईं। २५ बोरा नमक, ५३ टीन मिट्टी का तेल, ४४ बोरा चना, १३ बोरा मक्का और १९३ दर्जन माचिस बांटी गई व ५,९०८ आदमियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सहायतार्थ स्वीकृत पत्र		सहायता कार्यों का संक्षिप्त विवरण ।
		अहेतुक सहायता अनुदान आदि के लिये ।	तकावी आदि के लिये ।	
१	२	३	४	५
२८	गोरखपुर ..	२५,०००	१,००,०००	१०१ नावें सुरक्षा कार्य में संलग्न हैं । आवश्यक सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की जा रही है ।
२९	बस्ती ..	२५,०००	१,००,०००	३७३ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया । ९६ मन चना, ६२॥ मन गेहूं, १७ मन नमक, ३६ टीन मिट्टी का तेल और २३ दर्जन दियासलाइयां बांटी गईं ।
३०	आजमगढ़ ..	२५,०००	१,००,०००	९० नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गईं । ३६५ व्यक्तियों तथा २३७ पशुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया । ७५२ मन चना, २६ बोरे नमक, ४८ टिन मिट्टी का तेल और २१ ग्रोस दियासलाइयां बांटी गईं ।
३१	देवरिया ..	१०,०००	१,००,०००	२६ नावें लगाई गईं । ८२ परिवारों को पहुंचाया गया ।
३२	अल्मोड़ा ..	२,०००	..	अहेतुक सहायता पीड़ितों में बांटी गई तकाबी बांटने की भी व्यवस्था की जा रही है । डाकबंगले में ठहरे ५ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ।
३३	गढ़वाल ..	२,०००	..	.. .. ..
३४	टेहरीगढ़वाल ..	२,०००	..	ग्राम खटली के सभी १२ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और पीड़ितों को सहायता पहुंचाई गई ।
३५	चमोली ..	५,०००	५,०००	अहेतुक सहायता बांटी गई । ३६ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ।

३६--पिथौरागढ़	..	२,०००	२,०००	२०७ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चिकित्सा तथा औषधि का प्रबन्ध किया गया। ५ मन गेहूं, १ मन चावल सुपत बांटा गया।
३७--उत्तरकाशी	..	२,०००	१०,०००	.. .. ..
३८--लखनऊ	..	१०,०००	६५,०००	.. .. ..
३९--उन्नाव	.	१०,०००	२०,८००	२६५ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयां आदि बांटी गईं।
४०--रायबरेली	.	२,०००	२८,०००	२ ग्राम सभा की नावें सहायता कार्य में लगाई गईं।
४१--हरदोई		१०,०००	१,००,०००	.. .. ..
४२--सीतापुर	..	१०,०००	२६,२००	चना, नमक, दियासलाई आदि पीड़ितों में बांटा गया। १५ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गईं। १३२ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
४३--खीरी	..	१०,०००	३८,०००	बाढ़ की वजह से किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी।
४४--फैजाबाद	.	१०,०००	३०,०००	११ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गईं, १४० व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
४५--गोंडा	..	१०,०००	३०,०००	२५ नावें और एक इंस्पेक्शन बोट सुरक्षा कार्य में लगाई गईं। ३५२ व्यक्ति तथा २५५ पशु, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुयें वितरित की गईं।
४६--बहराइच	..	१०,०००	३०,०००	७५ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गईं। ६०० व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चना, नमक, दियासलाई और मिट्टी का तेल बाढ़ पीड़ितों में बांटा गया।
४७--बाराबंकी	..	१५,०००	७०,०००	४७ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गयीं, ४६५ व्यक्ति और ६४७ पशु सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये। उघिया ग्राम में सम्पूर्ण आबादी हटा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचायी गयी। ५१ मन भोजन सामग्री, १,५०० दियासलाई, २७ मन नमक, और २५ टिन मिट्टी का तेल बाढ़ ग्रस्तों को बांटा गया। उघिया ग्राम के पीड़ितों

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सहायतार्थ स्वीकृत धन		सहायता कार्यों का संक्षिप्त विवरण
		अहेतुक सहायता अनुदान आदि के लिये।	तकावी आदि के लिये।	
१	२	३	४	५
				के निमित्त एक हैन्ड पम्प की व्यवस्था की गई। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी उचित प्रबन्ध किया गया।
४८—मिर्जापुर	..	१०,०००	८०,०००	२३ बाढ़ चौकियों पर कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं परन्तु कोई विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई।
योग	..	४,८१,०००	२१,६५,०००	
४९—रामपुर	..	२,०००	५०,०००	इन जिलों में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं पैदा हुई है।
५०—पीलीभीत	..	२,०००	३५,०००	.. .. ..
५१—फतेहपुर	..	१०,०००	५०,०००	.. .. ..
५२—नैनीताल	..	२,०००	..	.. .. ..
५३—प्रतापगढ़	..	२,०००	४०,०००	.. .. ..
५४—सुल्तानपुर	..	१०,०००	५०,०००	.. .. ..
पूर्ण योग	..	५,०९,०००	२३,९०,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा